

वार्षिक रिपोर्ट

2017 - 2018



मिशन और विजन

“विशिष्टता प्राप्त अवसंरचना विकासकर्ता के रूप में पहचान बनाना तथा पर्यावरण, गुणवत्ता व सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए अवसंरचना परियोजनाओं के सभी क्षेत्रों के लिए विख्यात सेवाप्रदाता के रूप में स्वयं को स्थापित करना ”



विषयवस्तु

विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष का संबोधन	09
निदेशक की रिपोर्ट	14
फार्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न का सार	28
फार्म एओसी-2 में संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण	34
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर गतिविधियों) पर रिपोर्ट	36
प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट	38
निगमित शासन रिपोर्ट	44
निगमित शासन पर प्रमाणपत्र	58
सचिवीय संपरीक्षा रिपोर्ट	60
वित्तीय विवरण 2017-18	66
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन आईएसएल की वित्तीय विशेषताएं	67
तुलन पत्र	68
लाभ एवं हानि विवरण	69
रोकड़ प्रवाह विवरण	70
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां – नोट सं. 1 एवं 2	74
प्रकटनों सहित लेखों पर नोट – नोट सं. 3 से 57	97
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	142
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	154

निदेशक मंडल

(अंशकालीन निदेशक)



श्री एम.के.सिंह

अध्यक्ष



श्री सुरजीत दत्ता
निदेशक



श्री ए.के.गोयल
निदेशक



श्री पराग वर्मा
निदेशक



प्रमुख कार्यपालक



श्री अनिकेत खेत्रपाल

मुख्य कार्यपालक अधिकारी



श्री सी.के.नायर

मुख्य वित्त अधिकारी

Statutory Auditors

Kapoor Goyal & Co.
Chartered Accountants
G-1, Pooja Apartment, 4A,
Ansari Road, Daryaganj,
New Delhi - 110 002

Main Bankers

Indian Overseas Bank
HDFC Bank

Registered Office


Plot No. C-4, District Centre Saket,
New Delhi-110017
CIN-U45400DL2009GOI194792



बहुउद्देशीय परिसर



इंदौर



ग्वालियर



इलाहबाद



जम्मू




सिलिगुडी



दीघा



बर्धमान



हरिद्वार

5

अध्यक्ष का संबोधन



अध्यक्ष का संबोधन

गणमान्य शेयरधारकों,

आपकी कंपनी की 9वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट तथा निदेशक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा सचिवीय संपरीक्षकों की रिपोर्ट आपको परिपत्रित की गई है और मैं इस आशय की अनुमति हेतु अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ लिया गया होगा।

आरंभ में, मैं कंपनी के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, आपकी कंपनी ने 32.36 करोड़ रूपए का प्रचालनिक राजस्व रिकार्ड किया है, जो कि पिछले वर्ष की 40.98 करोड़ रूपए था, और 39.12 करोड़ रूपए का कुल राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 17.19 प्रतिशत (लगभग) की कमी को प्रदर्शित करता है। कंपनी ने 18.11 करोड़ रूपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। कर पश्चात लाभ 13.65 करोड़ रूपए है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान संवर्धित टर्नओवर प्रमुख रूप से इरकॉन परियोजनाओं से श्रमशक्ति की आपूर्ति और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के लिए लागत जमा आधार पर सीएसआर कार्यों के निष्पादन के कारण है। इसप्रकार, इन परियोजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अर्जित राजस्व क्रमशः 2.19 करोड़ रूपए और 5.05 करोड़ रूपए था, जबकि वर्ष 2017-18 के दौरान यह केवल

क्रमशः 0.48 करोड़ रूपए तथा 1.54 करोड़ रूपए था। इसलिए, वास्तविक दृष्टि में और पिछले वर्षों की तुलना में, प्रचालनों से राजस्व में वृद्धि हुई है।

प्रचालनिक प्रोफाइल

आपकी कंपनी ने रेल मंत्रालय के लिए चौबीस चिह्नित रेलवे स्टेशन परिसरों पर बहुउद्देशीय परिसरों के विकास का कार्य किया था। इरकॉन आईएसएल, ने 23 बहुउद्देशीय परिसरों को तीसरे पक्षों को सफलतापूर्वक उपपट्टे पर दिया है। तारापीठ में बहुउद्देशीय परिसरों को वित्तीय रूप से अलाभप्रद माना गया था और इसलिए इसे रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को वापस किया गया था। आपकी कंपनी ने उपपट्टेदार द्वारा पट्टा किराए का भुगतान न करने के कारण कन्नूर, मदुरै, हैदराबाद, मैसूर, रामपुरहाट राजगीर और थिरिवुल्ला के उपपट्टा करारों को समाप्त कर दिया है।

आपकी कंपनी ने म्यामार में रखीने राज्य में मुंगत्वा-अलेथेंकेवु सड़क परियोजना के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए म्यामार सरकार द्वारा प्रदान की गई परामर्शदात्री परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अंतिम डीपीआर दिनांक 28.02.2018 को प्रस्तुत की गई थी।

इरकॉन आईएसएल, 1518 करोड़ रूपए की निर्माण लागत वाली म्यामार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.2 तक पलेटवा से भारत-म्यामार सीमा (ज़ोरिनपुरई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टताओं पर दो लेन वाली सड़क का निर्माण कार्य के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) की परियोजना प्रबंधन पराशर्म सेवाओं प्रदान कर रही है।

इरकॉन आईएसएल, 293.93 करोड़ रूपए की निर्माण लागत पर म्यामार में त्रिपक्षीय राजमार्ग के तमु-कियंगोने-कलेवा (टीकेके) पर पहुंच मार्ग सहित 69 पुलों का निर्माण कार्य के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) की परियोजना प्रबंधन पराशर्म सेवाओं को भी प्रदान कर रही है। इसके लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 26.10.2017 को हस्ताक्षर किए गए थे।

आपकी कंपनी ने 3.72 करोड़ रूपए के पीएमसी शुल्कों पर 66.88 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर 25.10.2017 को भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) द्वारा प्रदान की गई पारदीप (ओडीशा) में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण के लिए पीएमसी के रूप में नियुक्त किया है। इरकॉन आईएसएल ने 3.25 करोड़ रूपए के पीएमसी शुल्क पर कडकोला स्टेशन, मैसूर जिला, कर्नाटक के समीप मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए पीएमसी सेवा भी उपलब्ध करा रहा है।

इरकॉन आईएसएल, भारतीय भू पोत प्राधिकरण (एलपीएआई) द्वारा 07 भू पोटों पर सुरक्षा कार्मिकों के लिए बैरिक एकोमोडेशन के निर्माण के लिए के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवा भी उपलब्ध करा रही है, जिसकी कुल परियोजना लागत लगभग 198.53 करोड़ रुपए है।

इरकॉन आईएसएल को नवोदय विद्यालय समिति (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय) के लिए जेएनवी, अगर माल्वा (मध्य प्रदेश) तथा सबरकनाथ (गुजरात) में दौ नवोदय विद्यालयों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में भी नियुक्त किया गया है। दोनों परियोजनाओं के लिए दिनांक 14.09.2017 को करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे और इनकी अनुमानित परियोजना लागत क्रमशः 25.09 करोड़ रुपए तथा 18.06 करोड़ रुपए है।

इरकॉन आईएसएल को दुधोला, पलवल, हरियाणा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) की स्थापना के लिए पीएमएस के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इसके लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 22.01.2018 को हस्ताक्षर किए गए थे और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 425 करोड़ रुपए (पीएमसी शुल्क सहित) है।

इरकॉन आईएसएल को दिनांक 16 अक्टूबर 2017 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तकनीकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली में नए अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 10.11.2017 को हस्ताक्षर किए गए थे और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 192 करोड़ रुपए (पीएमसी शुल्क सहित) है।

इरकॉन आईएसएल अपने सीएसआर पहल को अंतर्गत मानेसर के बाघंकी तथा पचगांव में, ककरोला, मानेसर और गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश में भारतीय पावरग्रड निगम लिमिटेड के लिए निर्माण सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इन परियोजनाओं की संयुक्त लागत 192 करोड़ रुपए (पीएमएस शुल्क सहित) है। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 4.32 करोड़ रुपए के पीएमसी शुल्क सहित है।

आपकी कंपनी ने दिनांक 11.06.2018 को प्रदान की गई कॉनकॉर के लिए भावपुर, कानपुर (उत्तर प्रदेश) के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने की परियोजना प्राप्त की है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 6.02 करोड़ रुपए के पीएमसी शुल्क सहित 108.36 करोड़ रुपए है।

आपकी कंपनी ने दिनांक 26.07.2018 को राष्ट्रीय ताप उर्जा निगम लिमिटेड के लिए एनटीपीसी उच्चाहार, उत्तर प्रदेश में चरण-1 के स्लीपर एमजीआर प्रणाली के परियोजना प्रबंधन और प्रतिस्थापन की नई परियोजना भी प्राप्त की है। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत लगभग 34.19 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्क सहित) है।

निगमित शासन

आपकी कंपनी ने लागू नियमों, कानूनों, विनियमों का अनुपालन किया है और नैतिक रूप से व्यवसाय का पारदर्शी संचालन किया है। सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर लोक उपक्रम विभाग दिशानिर्देशों के पैरा 8.3 के अंतर्गत निगमित शासन की तिमाही अनुपालन रिपोर्ट संबंधित मंत्रालय (मंत्रालयों)/विभाग (विभागों) को भेजी गई है। अनुप्रयुक्त ब्यौरे को उपलब्ध कराने वाले निगमित शासन का एक पृथक खंड निदेशक की रिपोर्ट का भाग है।

आभारोक्ति

निदेशक मंडल और कंपनी की ओर से, मैं रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय तथा रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए), तथा इसके अतिरिक्त, अपनी धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा शेयरधारकों का, उनके निरंतर सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं कंपनी के कर्मचारियों के प्रयासों की भी सराहना करता हूं, जो हमारी सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति हैं। उनका समर्पण, विवेक, कड़ी मेहनत और मूल्यों की गहन भावना कंपनी को प्रगति की ओर अग्रसर करने की कुंजी है। अंत में, मैं अपने ग्राहकों, वेंडरों तथा साझेदारों को उनके विश्वास और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

ह/-
(एम.के.सिंह)
(अध्यक्ष)

(डीआईए न. 06607392)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 25.09.2018

निदेशक की रिपोर्ट

निदेशक की रिपोर्ट

इरकॉन आईएसएल के गणमान्य शेयरधारकों,

आपकी कंपनी के निदेशकों को लखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखपरीक्षक की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा सहित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के कार्यकलापों की 9वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है।

प्रचालन निष्पादन

क. आपकी कंपनी ने भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुविधाएं और जनसुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चिह्नित रेलवे स्टेशन परिसरों पर रेल मंत्रालय के लिए बहुउद्देशीय परिसरों के विकास का कार्य आरंभ किया निर्माण का भौतिक कार्य (वार्म शैल) 24 बहुउद्देशीय परिसरों यथा एल्लेप्पी, बर्धमान, दिघा, हरिद्वार, इंदौर, रामपुरहाट, रायपुर, सिलिगुड़ी, मदुरै, मैसूर, उदयपुर, इलाहबाद, बिलासपुर, ग्वालियर, हैदराबाद, हुबली, जबलपुर, जोधपुर, कन्नूर, राजगीर, तारापीठ, तिरुवल्ला, जम्मू (बजट होटल सहित एमएफसी) तथा जम्मू एएफसी (छोटा) आरंभ किया गया था। सभी स्टेशनों पर यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

इरकॉन आईएसएल ने इन 23 बहुउद्देशीय परिसरों को सफलतापूर्वक तीसरे पक्षों को उपपट्टे पर दे दिया है। तीरापीठ में बहुउद्देशीय परिसरा को वित्तीय रूप से अलाभप्रद माना गया था और इसे रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को वापस किया गया था। उपपट्टेदारों द्वारा पट्टा किराये का भुगतानप न किए जाने के कारण, इन 23 बहुउद्देशीय परिसरों में से कन्नूर, मदुरै, हैदराबाद, मैसूर, राजपुरहाट, राजगीर और तिरुवल्ला के लिए उपपट्टा करारों को समाप्त कर दिया गया है।

ख. आपकी कंपनी ने म्यामार में रखीने राज्य में मुंगत्वा-अलेथेंकेवु सड़क परियोजना के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए म्यामार सरकार द्वारा प्रदान की गई परामर्शदात्री परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अंतिम डीपीआर दिनांक 28.02.2018 को प्रस्तुत की गई थी।

इरकॉन आईएसएल, 293.93 करोड़ रूपए की निर्माण लागत पर म्यामार में त्रिपक्षीय राजमार्ग के तमु-वियंगोने-कलेवा (टीकेके) पर पहुंच मार्ग सहित 69 पुलों का निर्माण कार्य के लिए विदेश

मंत्रालय (एमईए) की परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं को भी प्रदान कर रही है। इसके लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 26.10.2017 को हस्ताक्षर किए गए थे।

इरकॉन आईएसएल, 1518 करोड़ रूपए की निर्माण लागत वाली म्यामार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.2 तक पलेटवा से भारत-म्यामार सीमा (ज़ोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टताओं पर दो लेन वाली सड़क का निर्माण कार्य के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) की परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं प्रदान कर रही है। इसके लिए पीएमएस करार पर दिनांक 09.03.2017 को हस्ताक्षर किए गए थे।

म्यामार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.2 तक पलेटवा से भारत-म्यामार सीमा (ज़ोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टताओं पर दो लेन वाली सड़क का निर्माण कार्य के लिए कैम्प-1, किमी 0+000 पर स्टोन क्रशर का संस्थापन

इरकॉन आईएसएल ने 3.72 करोड़ रूपए के पीएमसी शुल्कों पर 66.88 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर 25.10.2017 को भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) द्वारा प्रदान की गई पारदीप (ओडीशा) में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण के लिए पीएमसी के रूप में नियुक्त किया है। इरकॉन आईएसएल ने 3.25 करोड़ रूपए के पीएमसी शुल्क पर कडकोला स्टेशन, मैसूर जिला, कर्नाटक के समीप मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए पीएमसी सेवा भी उपलब्ध करा रहा है।

इरकॉन आईएसएल, भारतीय भू पोत प्राधिकरण (एलपीएआई) द्वारा 07 भू पार्लो यथा अटारी (पंजाब), रक्सौल (बिहार), जोगबनी (बिहार), पेट्रापोल (पश्चिम बंगाल), दवकी (मेघालय), अगरतला (त्रिपुरा), मोरेह (मणिपुर) पर सुरक्षा कार्मिकों के लिए बैरिक एकोमोडेशन के निर्माण के लिए के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवा भी उपलब्ध करा रही है, जिसकी कुल परियोजना लागत लगभग 198.53 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है।

इसके अतिरिक्त, इरकॉन आईएसएल को नवोदय विद्यालय समिति (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय) के लिए जेएनवी, अगर मालवा (मध्य प्रदेश) तथा सबरकनाथ (गुजरात) में दौ नवोदय विद्यालयों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में भी नियुक्त किया गया है। दोनों परियोजनाओं के लिए दिनांक 14.09.2017 को करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे और इनकी अनुमानित परियोजना लागत क्रमशः 25.09 करोड़ रूपए तथा 18.06 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है।

इरकॉन आईएसएल को दुधोला, पलवल, हरियाणा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) की स्थापना के लिए पीएमएस के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इसके लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 22.01.2018 को हस्ताक्षर किए गए थे और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 425 करोड़ रूपए है।

दुधोला, पलवल, हरियाणा में हरियाणा विश्वकर्मा दुधोला, पलवल, हरियाणा में हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) का मॉडल कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) के निर्माण स्थल का दृश्य

आपकी कंपनी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तकनीकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली में नए अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 10.11.2017 को हस्ताक्षर किए गए थे और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 192 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्क सहित) है।

अत्याधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तकनीकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली का मॉडल अत्याधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तकनीकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली का निर्माण स्थल

इसके अतिरिक्त, इरकॉन आईएसएल अपने सीएसआर पहल को अंतर्गत मानेसर के बाघंकी तथा पचगांव में, ककरोला, मानेसर और गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश में भारतीय पावरग्रुड निगम लिमिटेड के लिए निर्माण सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इन परियोजनाओं की संयुक्त लागत 4.32 करोड़ रूपए (पीएमएस शुल्क सहित) है।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात, इरकॉन आईएसएल को दिनांक 11.06.2018 को प्रदान की गई भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) के लिए न्यू भावपुर, कानपुर (उत्तर प्रदेश) के समीप मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श का कार्य प्राप्त हुआ है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 6.02 करोड़ रूपए के पीएमसी शुल्क सहित 108.36 करोड़ रूपए है।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात, आपकी कंपनी को दिनांक 26.07.2018 को राष्ट्रीय ताप उर्जा निगम (एनटीपीसी), उच्चाहर, उत्तर प्रदेश के स्टेज-1 की एमजीआर प्रणाली के लिए पीआसी स्लीपरों सहित सीएसटी-9 स्लीपरों के प्रतिस्थापन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्राप्त हुई है है। इसकी कुल अनुमानित परियोजना लागत 34.19 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है।

इसके अतिरिक्त, इरकॉन आईएसएल को दिनांक 22.06.2018 को प्रतापगढ़ जिला (उत्तर प्रदेश) में सरकारी स्कूलों में स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत शौचालय ब्लॉकों के निर्माण के लिए भारतीय पावर ग्रिड निगम लिमिटेड के लिए पीएमसी कार्य प्राप्त हुआ है।

इरकॉन आईएसएल इरकॉन की मलेशिया परियोजना के लिए “श्रमशक्ति आपूर्ति” का कार्य भी कर रही है। दिनांक 31 मार्च 2018 को मलेशिया में कंपनी के चार कर्मचारी कार्यरत हैं। इरकॉन आईएसएल अल्जीरिया में इरकॉन की परियोजना के लिए भी श्रमशक्ति आपूर्ति का कार्य कर रही है और कंपनी ने इरकॉन की अल्जीरिया परियोजना में एक कर्मचारी को तैनात किया है। इस करार पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।

आपकी कंपनी इरकॉन की विभिन्न परियोजनाओं के लिए उसे “मशीनरी पट्टे पर देने” का कार्य भी कर रही है। पूर्व में, इरकॉन की श्रीलंका परियोजना के लिए एक डियोमेटिक मशीन उपलब्ध कराई गई थी, जिसे इरकॉन के साथ करार के समाप्त होने के पश्चात दिनांक 30.06.2017 को भारत वापस लाया गया था। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात, कंपनी ने दिनांक 28.05.2018 को डियोमेटिक मशीन को जयनगर बरदिबास रेल परियोजना में लगा दिया है।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी के पास तीन ओल्ड-ट्रैक मशीने उपलब्ध हैं, जिन्हें पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के लिए खरीदा गया है और यह वलसाड (गुजरात) में रखी गई है। इन कंपनी द्वारा मशनों को तीसरे पक्ष को पट्टे पर दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वित्तीय विशेषताएं

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय निष्पादन के महत्वपूर्ण सूचकांक निम्नानुसार हैं :

वित्तीय निष्पादन संकेतक

(रूपे करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2017-18	2017-18
1.	प्राधिकृत शेयर पूंजी	65.00	65.00
2.	अंशदायी तथा प्रदत्त शेयर पूंजी	65.00	65.00
3.	आरक्षित निधि व अधिशेष	63.35	49.70
4.	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	2.17	2.00
5.	कुल राजस्व	39.12	47.24
6.	प्रचालनों से राजस्व	32.36	40.98
7.	कर पूर्व लाभ	18.11	20.81
8.	कर पश्चात लाभ	13.65	12.36
9.	निवल संपत्ति	128.35	114.70
10.	प्रति शेयर आमदनी (रूपे)	2.10	1.90

प्रचालनों से राजस्व

प्रचालनों से राजस्व 40.98 करोड़ रूपे से कम होकर 32.36 करोड़ रूपे हो गया है। तथापि, कर पश्चात लाभ 12.36 करोड़ रूपे से बढ़कर 13.65 करोड़ रूपे हो गया है।

शेयर पूंजी

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 65 करोड़ रूपे की प्राधिकृत शेयर पूंजी तथा 65 करोड़ रूपे की प्रदत्त शेयर पूंजी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है, जिसका 100 प्रतिशत इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा धारित है।

आरक्षित ऋण

कंपनी ने इस्कॉन (धारक कंपनी) से वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है। आरंभिक शेष 22.92 करोड़ रूपे था। वर्ष के दौरान, ऋण पर प्रदत्त/देय ब्याज सहित ऋण की सम्पूर्ण बकाया राशि का पुनर्भुगतान कर दिया गया है।

लाभांश

कंपनी के संसाधनों के संरक्षण और कंपनी के विकास के लिए लाभों को प्राप्त करने हेतु, निदेशक मंडल दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी प्रकार के लाभांश की सिफारिश नहीं करता है।

प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन, ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास आदि

पर्यावरण पर समान तीव्रता के साथ बल दिया जा रहा है और वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को बहुउद्देशीय परिसरों में ग्रीन बिल्डिंग के व्यावहारिक तत्वों को शामिल करके पूरा किया गया था।

विदेशी विनियम आमदनियां और निर्गम

इरकॉन की मलेशिया परियोजनाओं से श्रमशक्ति आपूर्ति, इरकॉन की श्रीलंका परियोजना के लिए संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर दिए जाने तथा म्यांमार में पीएमसी परियोजना के कारण वर्ष 2017-18 में 39,81,282 रूपए का निवल विदेशी विनियम आमदनियां प्राप्त हुई हैं।

कार्मिक विकास

वर्ष के दौरान कंपनी में मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध विद्यमान रहा। दिनांक 31 मार्च, 2018 को कंपनी की कुल श्रमशक्ति संख्या 56 कर्मचारी हैं जिसमें इरकॉन की मलेशिया परियोजना के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त 4 ठेके के कर्मचारी तथा अल्जीरिया परियोजना के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त 01 ठेके के कर्मचारी शामिल हैं।

इरकॉन से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के कार्मिक विकास से संबंधित मुद्दों पर इरकॉन द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

जिन कर्मचारियों की नियुक्ति कंपनी द्वारा की गई है और जिन्हें ठेके पर इरकॉन की मलेशिया परियोजना अल्जीरिया परियोजना में तैनात किया गया है, उनकी व्यवस्था कंपनी कर रही है।

अनुपालन

राष्ट्रपति के निदेश

वर्ष के दौरान कोई राष्ट्रपति निदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है, जिसने कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के साथ पठित अनुच्छेद 134(3) की शर्तों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्रतिवर्ष 1.02 करोड़ रूपए या प्रति माह 8.50 लाख रूपए से अधिक का पारिश्रमक प्राप्त किया हो।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पारदर्शिता के संवर्धन एवं संवर्धित जवाबदेही के लिए, कंपनी में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के लिए तंत्र विद्यमान है। इस अधिनियम के अंतर्गत देश के नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सीपीआईओ/एपीआईओ को नामित किया गया है।

कंपनी के अपील प्राधिकारी, केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा सहायक जन-सूचना अधिकारी (एपीआईओ) के नामों सहित आवश्यक अद्यतन सूचना कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्राप्त शिकायतों का उत्तर निर्धारित समय-सीमा के भीतर दिया जाता है। वर्ष के दौरान कंपनी को 17 शिकायत प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 14 की प्रक्रिया/निपटान किया गया है और शेष को उन संबंधित प्राधिकारियों के पास भेज दिया गया है, जिनसे वे शिकायतें संबंधित हैं। वर्ष की समाप्ति के पश्चात, चार शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 2 की प्रक्रिया/निपटान किया गया है और शेष को उन संबंधित प्राधिकारियों के पास भेज दिया गया है, और शेष को अनुमेय समयसीमा के भीतर निपटाने के लिए प्रक्रियाधीन किया गया था।

सूचना प्रौद्योगिकी

कंपनी की अपनी वेबसाइट <http://www.irconisl.com> उपलब्ध है जिसमें कंपनी का प्रोफाइल, परियोजनाएं, वार्षिक रिपोर्टें, निविदाएं, सम्पर्क ब्यौरा आदि उपलब्ध कराया गया है। वर्ष के दौरान नए निदेशकों और परियोजनाओं, वार्षिक रिपोर्टें, निविदाओं, संविदाओं, आरटीआई, संपर्क ब्यौरा आदि को अद्यतन किया गया था। यह वेबसाइट धारक कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org के साथ भी लिंक है।

वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 92(3) और खंड 134(3)(क) के अनुसरण में है, फार्म **एमजीटी-9** में वार्षिक रिटर्न का सार निदेशक मंडल की रिपोर्ट के भाग के रूप में **अनुबंध-क** पर उपलब्ध है।

खंड-188 के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं और व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों को या तो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के रूप में या आर्म लैथ आधार पर निष्पादित किया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 188(1) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं और व्यवस्थाओं का ब्यौरा फार्म **एओसी-2** के रूप में **अनुबंध-ख** पर संलग्न है।

एकीकृत रिपोर्ट

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर रिपोर्ट, प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट, निगमित शासन रिपोर्ट और सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस निदेशक रिपोर्ट के अभिन्न अंग हैं और इन्हें क्रमशः अनुबंध ग, घ तथा ड. पर प्रस्तुत किया गया है।

सीएसआर गतिविधिय रिपोर्ट

“सीएसआर गतिविधिय रिपोर्ट” कंपनी की सीएसआर नीतियों, सीएसआर समिति की संरचना, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का औसत शुद्ध लाभ, सीएसआर बजट, निर्धारित सीएसआर व्यय, तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निष्पादित गतिविधियों/परियोजनाओं पर किए गए सीएसआर व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। (अनुबंध-ग)

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट कम्पनी के कार्यों, व्यावसायिक वातावरण, मिशन और उद्देश्यों, क्षेत्रीय तथा सगमेंटवार प्रचालनिक निष्पादन, शक्तियों, जोखिमों तथा चिंताओं और मानव संसाधन तथा आंतरित नियंत्रण प्रणाली ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है। (अनुबंध-घ)

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट, निगमित शासन पर कंपनी के दर्शन, निदेशक मंडल तथा इसकी समितियों की संरचना और उनका ब्यौरा, साधारण बैठकों का ब्यौरा और अन्य संगत प्रकटन, आदि उपलब्ध कराती है (अनुबंध-ड.)। इसमें निम्नलिखित अनुपालन प्रमाणपत्र भी शामिल होते हैं:

1. वित्तीय विवरणों, देय अनुपालनों व वित्तीय रिपोर्टिंग की सत्यता तथा विश्वसनीयता, के संबंध में सीईओ तथा सीएफओ से प्रमाण पत्र (अनुबंध-ड.1 पर प्रस्तुत);
2. पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित निगमित शासन के अनुपालन का प्रमाणपत्र (अनुबंध-ड.3 पर प्रस्तुत)।

कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 204 तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी की सचिवीय संपरीक्षा के लिए मैसर्स के.के.सिंह एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को नियुक्त किया है। लेखापरीक्षा से प्राप्त फार्म सं. एमआर-3 में सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट **अनुबंध-च** पर संलग्न है। सचिवीय लेखापरीक्षक ने अवलोकन किया है कि डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष 2017-18 के लिए तिमाही अनुपालन रिपोर्टों को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किया गया है, केवल 30.09.2017 को समाप्त तिमाही को छोड़कर। सचिवीय लेखापरीक्षक ने यह भी अवलोकन किया था कि धारक कंपनी द्वारा नामांकन आधार पर नए निदेशकों की नियुक्ति के कारण दो निदेशकों के त्यागपत्र देने की वजह से आठ दिनों की अवधि के लिए बोर्ड में निदेशकों की संख्या न्यूनतम अपेक्षित संख्या से कम हो गई थी। यह भी अवलोकन किया गया था कि डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के रूप में इसके बोर्ड में एक-तिहाई निदेशक होने चाहिए। तथापि, यह उल्लेख किया गया है कि पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के लिए दिनांक 05.07.2017 के एमसीए अधिसूचना के तहत छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, यह भी अवलोकन किया गया है कि कंपनी के सभी निदेशक गैर-कार्यपालक हैं और डीपीई निशानिर्देशों, 2010 के अनुसार इनकी संख्या अधिकतम दो निदेशकों तक सीमित होनी चाहिए। इस विषय पर, निदेशकों ने उल्लेख किया है कि इरकॉन (धारक कंपनी) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, इसके बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति धारक कंपनी द्वारा की गई है।

कंपनी के लेखों के संबंध में मैसर्स कपूर गोयल एंड कंपनी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी या खामी प्रस्तुत नहीं की गई है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और जोखिम प्रबंधन

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और जोखिम प्रबंधन का ब्यौरा प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3) में यथापेक्षित निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 134(5) के अनुसार, कम्पनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:—

- क. वित्तीय लेखे तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है और इनमें कोई विशेष विचलन नहीं हुआ है बशर्ते वार्षिक वित्तीय लेखों में अन्यथा उल्लेख किया गया हो ।
- ख. ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया था और उन्हें निरन्तर लागू किया गया था और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए तथा वर्ष 2017-18 के कम्पनी के लाभ के लिए कम्पनी की कार्य स्थिति का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके ।
- ग. परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छलकपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रख-रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है ।
- घ. दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को "गोइंग कंसर्न" आधार पर तैयार किया गया है ।
- ड. सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई थीं और ऐसी प्रणालियां उपयुक्त थीं और कुशलतापूर्वक कार्य कर रही थीं ।

निदेशक मंडल तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

अप्रैल, 2017 से मार्च, 2017 के दौरान निदेशक मंडल की छह बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें जून 2017 को समाप्त तिमाही में एक बैठक, सितंबर 2017 को समाप्त तिमाही में दो बैठकें, दिसंबर 2017 को समाप्त तिमाही को दो बैठकें और मार्च 2018 को समाप्त तिमाही को एक बैठक आयोजित की गईं ।

इस रिपोर्ट की तिथि को को निम्न निदेशक कार्यरत हैं :

1.	श्री ए.के.गोयल (डीआईएन 05308809)	01.12.2013 से आगे
2.	श्री सुरजीत दत्ता (डीआईएन 06687032)	01.09.2013 से आगे
3.	श्री पराम वर्मा (डीआईएन 05272169)	05.04.2018 से आगे
4.	श्री एम.के.सिंह (डीआईएन 06607392)	10.04.2018 से आगे

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कार्यमुक्त होने वाले निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1.	श्री हितेश खन्ना (डीआईएन 02789681)	28.03.2018 से आगे
2.	श्री ए.के.गुप्ता (डीआईएन 07263307)	25.01.2018 से आगे

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-203, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2014 को प्रभाव में आया था, के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी में श्री सी.के.नायर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अनिकेत खेत्रपाल, मुख्य वित्तीय अधिकारी और सुश्री दीपशिखा गुप्ता* कंपनी सचिव को दिनांक 20.01.2015 से कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रूप में नियुक्त किया गया था।

* सुश्री दीपशिखा गुप्ता दिनांक 31 मई 2018 को कार्यमुक्त हुईं।

बोर्ड समितियां

कंपनी में निम्नलिखित बोर्ड समितियां विद्यमान हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति
3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

लेखापरीक्षा समिति, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना से संबंधित ब्यौरे को निगमित शासन रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

जमा राशियां

वर्ष के आरंभ में आपकी कंपनी के पास कोई जन जमा राशियां धारित नहीं है ना ही वर्ष के दौरान जनता से किसी प्रकार की जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

लेखापरीक्षक

क. सांविधिक लेखापरीक्षक

वर्ष 2017–18 के लिए कम्पनी के लेखों की लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षक के रूप में कपूर गोयल एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों की नियुक्ति की गई थी।

ख. सचिवीय लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए कम्पनी की सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए मैसर्स के.के. सिंह एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को नियुक्त किया गया है।

ग. आंतरिक लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए कम्पनी की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स राहुल जैन एंड एसोसिएट्स, लागत एवं प्रबंधन लेखाकारों को नियुक्त किया गया है।

कंपनी द्वारा अनुसरण किए गए लेखांकन मानक

दिनांक 31 मार्च 2017 को तथा इस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 अंतर्गत अधिसूचित **भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस)** तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के लागू प्रावधानों तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम 2016 के अनुसार तैयार किया गया है।

आभारोक्ति

हम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, धारक कंपनी तथा रेल मंत्रालय, रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए), विदेश मंत्रालय तथा विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय तथा हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और अन्य मंत्रालयों और ग्राहकों का कंपनी के प्रति उनकी निरंतर रूचि और सहयोग के लिए तथा कंपनी को प्रगति पथ पर आगे ले जाने के लिए कर्मचारियों के प्रयासों की भी प्रशंसा एवं धन्यवाद करते हैं।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/—
(एम.के.सिंह)
अध्यक्ष
(डीआईएन 06607392)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2018

फॉर्म सं. एमजीटी-9

वार्षिक रिटर्न का सार

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्त वर्ष को

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1)के अनुसरण में)

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

सीआईएन	यू 45400डीएल2009जीओआई194792
पंजीकरण तिथि	30 सितंबर, 2009
कंपनी का नाम	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एंड सर्विसेज लिमिटेड
कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	शेयर द्वारा कंपनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरा	प्लॉट सं सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली - 110017 दूरभाष 011-29565666
क्या सूचीबद्ध कंपनी है	नहीं
रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरा	लागू नहीं

II. कंपनी का प्रधान व्यावसायिक गतिविधियां:

कंपनी की सभी व्यावसायिक गतिविधियां जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं, निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1	भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुउद्देशीय परिसरों (एमएफसी) आदि के अवसंरचना के निर्माण के क्षेत्र में नियोजन, अभिकल्पन, विकास, सुधार, कार्य आरंभ, प्रचालन और अनुरक्षण आदि करने हेतु।	6810	37.90 प्रतिशत
2	परियोजना प्रबंधन परामर्श परियोजना	7110	39.63 प्रतिशत

III. धारक कंपनी, सहायक कंपनी तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण:

क्र.सं.	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/संबद्ध कंपनी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	यू45203डीएल1976जीओआई008171	धारक कंपनी	100 प्रतिशत	2(46)

IV. शेयर धारिता पैटर्न:

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

i) श्रेणीवार शेयर धारित

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत / एचयूएफ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) केन्द्र सरकार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ग) राज्य सरकार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) निकाय निगम	—	6,50,00,000	6,50,00,000	100%	—	6,50,00,000	6,50,00,000	100%	—
ड.) बैंक / वित्तीय संस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
च) कोई अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उप कुल (क) (1)	—	6,50,00,000	6,50,00,000	100%	—	6,50,00,000	6,50,00,000	100%	—
(2) विदेशी									
क) एनआरआई – व्यक्तिगत	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) अन्य – व्यक्तिगत	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ग) निकाय निगम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) बैंक / वित्तीय संस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ड.) कोई अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उप कुल (क) (2)	—	शून्य	शून्य	शून्य	—	शून्य	शून्य	शून्य	—
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)	—	6,50,00,000	6,50,00,000	100%	—	6,50,00,000	6,50,00,000	100%	—
ख. जन शेयरधारिता									
(1) संस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
क) म्यूचुअल फंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ग) केन्द्र सरकार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) राज्य सरकार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ड.) उपक्रम पूंजी निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—
च) बीमा कंपनियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—
छ) एफआईआई	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—
झ) अन्य (विनिर्दिष्ट)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उपकुल (ख)(1):		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(2) गैर संस्थागत क) निकाय निगम									
i) भारतीय	-	-			-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-			-	-	-	-	-
ख) व्यक्तिगत	-	-			-	-	-	-	-
व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा 1लाख रुपए तक समान्य शेयर पूंजी का धारण									
ii) व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा 1 लाख रुपए से अधिक समान्य शेयर पूंजी का धारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख)(2)	-	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल जन शेयरधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)	-	शून्य	शून्य	शून्य	.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क +ख +ग)		6,50,00,000	6,50,00,000	100%	-	6,50,00,000	6,50,00,000	100%	-

ii) प्रमोटर्स की शेयरधारिता

क्र.सं	शेयरधारकों के नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान धारित शेयरों में प्रतिशत परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का प्रतिशत	
1.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 6 नामिति	6,50,00,000	100%	-	6,50,00,000	100 %	-	100%
	कुल	6,50,00,000	100%	-	6,50,00,000	100%	-	100%

iii) प्रमोटर्स की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया विनिर्दिष्ट करें यदि कोई परिवर्तन नहीं है)

विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं			
वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वेट इक्विटी आदि):	वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं			
वर्ष के अंत में	वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं			

iv) शीर्ष 10 शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटर्स तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष के आरंभ में				
वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वेट इक्विटी आदि):	शून्य			
वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए हैं)				

v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

प्रत्येक निदेशक और केएमपी हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष के आरंभ में				
वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाते हुए (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वेट इक्विटी आदि) वर्ष के दौरान तिथिवार वृद्धि/कमी :	शून्य			
वर्ष के अंत में				

V. ऋणग्रस्तता :

बकाया ब्याज/अर्जित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता :

(करोड़ रुपए में)

	जमा को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	—	22.92	—	22.92
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	—	शून्य	—	शून्य
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	—	शून्य	—	शून्य
कुल (i+ii+iii)	—	22.92	—	22.92
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* परिवर्धन	—	शून्य	—	शून्य
* कमी	—	(22.92)	—	(22.92)
निवल परिवर्तन	—	(22.92)	—	(22.92)
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	—	शून्य	—	शून्य
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	—	शून्य	—	शून्य
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	—	शून्य	—	शून्य
कुल (i+ii+iii)	—	शून्य	—	शून्य

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक *:

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम				कुल राशि
1	सकल वेतन	/				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन					
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य					
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ					
2	स्टॉक विकल्प	/				
3	स्वेट इक्विटी					
4	अन्य के लाभ का प्रतिशत बतौर कमीशन, उल्लेख करें					
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्वस टैक्स आदि)					
	कुल (क)					
	अधिनियम के अनुसार सीमा					

*इरकॉन आईएसएल के बोर्ड में धारक कंपनी द्वारा नामित 4 अंशकालीन निदेशक हैं जो कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं। अंशकालीन निदेशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम				कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक	/				
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क					
	कमीशन					
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें (बोर्ड उप-समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क)					
	कुल (1)					
2	अन्य गैर अधिशासी निदेशक	/				
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क					
	कमीशन					
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें					
	कुल (2)					
	कुल (ख) = (1 + 2)					
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक					
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा					

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		मुख्य अधिशासी अधिकारी	कंपनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	मुख्य अधिशासी अधिकारी
1	सकल वेतन	38,06,479	13,15,911	5,01,567	
(क)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन				
(ख)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2)के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य				
(ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	
2	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	
3	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	
4	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	
	—लाभ के % के रूप में				
	—अन्य, स्पष्ट करें				
5	अन्य, स्पष्ट करें				
	क) अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	9,50,911	3,59,899	29,724	
	ख) निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन	13,43,412	3,42,396	-	
	ग) अन्य लाभ	2,77,628	73,541	2,58,025	
	कुल	63,78,430	20,91,747	7,89,316	
	अधिनियम के अनुसार सीमा				

VII. दंड/सजा/अपराधों की कंपाउंडिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/सजा/कंपाउंडिंग फीस का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	अपील, यदि की गई है (विवरण दें)
दंड					
सजा					
कंपाउंडिंग			शून्य		
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
दंड					
सजा					
कंपाउंडिंग					

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-
(एम.के.सिंह)
(अध्यक्ष)
(डीआईएन 06607392)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2018

फॉर्म सं. एओसी-2

फार्म सं- एओसी-2

वर्ष 2017-18 (1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक) तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्म-लैथ संव्यवहारों सहित कंपनी अधिनियम, 2013, के अनुच्छेद 188 (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन हेतु फार्म

- 1 संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैथ आधार पर नहीं हैं : शून्य
- 2 सामग्री संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैथ आधार पर नहीं हैं

क्र.सं	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड धारक कंपनी	धारक कंपनी, इरकॉन द्वारा उपलब्ध कार्यालय स्थल (पट्टा करार का नवीकरण)	पट्टा करार तिथि 17 अगस्त 2017 अवधि: 2 वर्ष अप्रैल 2017 से 2 वर्ष	1,34,238.60 रूपए प्रति माह (जमा लागू कर) की दर से दिनांक 01.04.2017 से दो वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय स्थल पट्टे पर प्रदान किया गया है। दिनांक 1 अप्रैल 2017 से प्रभारित।	लागू नहीं	शून्य

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

(एम.के.सिंह)

(अध्यक्ष)

(डीआईएन 06607392)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 01.08.2018

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर रिपोर्ट

(कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुसरण में)

1. कंपनी द्वारा निष्पादित परियोजनाओं और कार्यक्रमों और इसके वेब-लिंक के परिदृश्य सहित कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

आपकी कंपनी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय रूप से धारणीय विधि द्वारा व्यवसाय करने, जो पारदर्शी और नैतिक है, के लिए अपने स्टेकधारकों के प्रति प्रतिबद्ध है। कंपनी में वर्ष 2014 से सीएसआर संबंधी नीति विद्यमान है। सीएसआर नीति का उद्देश्य शिक्षा, साक्षरता तथा पर्यावरणीय संधारणीयता और स्वास्थ्य जैसे विकास क्षेत्रों पर कार्य करना है, जैसा की निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह कंपनी की वेबसाइट <http://www.irconisl.com> पर उपलब्ध है।

सीएसआर नीति का उद्देश्य इरकॉन आईएसएल के प्रमुख व्यवसाय में संभावित सीएसआर गतिविधियों की संगतता को स्थापित करना है और कंपनी अधिरियम, 2013 की अनुसूची VII (की तर्ज पर दिल्ली तथा एनसीआर क्षेत्र में तथा इसके आसपास के क्षेत्र में निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों के समीक्षा करना है।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

वर्तमान में, कंपनी में सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं की मॉनीटरिंग के लिए स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तरीय समिति विद्यमान है। वर्ष 2017-18 के दौरान समिति के गठन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, और 2017-18 के दौरान आयोजित बैठकों का ब्यौरा निगमित शासन रिपोर्ट के पैरा 6.2 पर प्रस्तुत है। वर्तमान में समिति के अध्यक्ष श्री ए.के.गोयल, अंशकालीन निदेशक तथा सदस्य के रूप में श्री सुरजीत दत्ता, अंशकालीन निदेशक तथा श्री पराग वर्मा, अंशकालीन निदेशक शामिल हैं।

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में यथा 2014-15, 2015-16, तथा 2016-17 में भारतीय परियोजनाओं से कंपनी को औसत शुद्ध लाभ 615.4 करोड़ रूपए प्राप्त हुआ है।

4. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सीएसआर बजट 12.31 लाख रूपए है, जो कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में भारतीय परियोजनाओं से कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2% है।

5. वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर 12.56 रूपए खर्च किए हैं। इसप्रकार, वर्ष 2017-18 के लिए खर्च न की गई राशि शून्य है और इस राशि को अगले वित्तीय वर्ष यथा 2018-19 के लिए अग्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष यथा 2016-17 के लिए कोई अग्रेषित राशि नहीं है (वित्तीय विवरणों के नोट सं. 50 का संदर्भ लें)।

वर्ष के दौरान निष्पादित परियोजनाओं और खर्च न की गई राशियों के कारणों का ब्यौरा निम्नानुसार प्रस्तुत है:

क्र. सं	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र, परियोजना जिससे संबंधित है	परियोजना का स्थल/क्षेत्र	खर्च की गई राशि (रुपए लाख में)	खर्च न की गई राशि (लाख रुपए में)	प्रत्यक्ष क्रियान्वयन या क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	दक्षिण दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वाटर कूलर और वाटर प्यूरिफायर की आपूर्ति और संवितरण	स्वच्छता	दक्षिण दिल्ली के सरकारी स्कूल	12.31	12.56	प्रत्यक्ष रूप से

6. निदेश मंडल ने दिनांक 05.03.2018 को आयोजित अपनी 42वीं बैठक में मद सं. 04/08 के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 12.31 लाख रुपए के सीएसआर बजट को स्वीकृति प्रदान की है जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों यथा 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में भारतीय परियोजनाओं के निवल औसत लाभ का 2 प्रतिशत है।
7. सीएसआर समिति पुष्टि करती है कि सीएसआर नीति का क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में की गई है।

निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से

ह/-
(एम.के.सिंह)
(अध्यक्ष)
(डीआईएन 06607392)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2018

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

विहंगावलोकन

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएलएस) रेल मंत्रालय के अधीन इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) अनुसूची 'क', मिनी रत्न – श्रेणी-I की कंपनी है की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में 30 सितंबर 2009 को निगमित हुई थी जो कि भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुविधाएं व सहूलतें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रेल की भूमि पर बहुउद्देशीय परिसरों (एमएफसी) के नियोजन, अभिकल्प, विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए आरएलडीए के साथ धारक कंपनी द्वारा समझौता ज्ञापन का परिणाम है। 24 स्टेशनों पर निर्माण (वॉर्म शैल) का भौतिक कार्य किया गया था। कंपनी ने 23 बहुउद्देशीय परिसरों को सफलतापूर्वक तीसरे पक्षों को उपपट्टे पर दे दिया है।

उपर्युक्त उद्देश्य कंपनी के भावी विकास के लिए सीमित थे और इसलिए, कंपनी ने विभिन्न अन्य क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को फैलाया और इस प्रकार इसके उद्देश्यों में संशोधन हुआ।

व्यवसाय वातावरण

इस अवधि के दौरान, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और अन्य संरचनात्मक सुधारों को शामिल किया गया है, ताकि 6.5 प्रतिशत के पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में 7.3 प्रतिशत की विकास दर को प्राप्त किया जा सके। वर्ष 2017-18 में भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छे कार्यनिष्पादन की संभावना से, अगले वित्तीय वर्ष में देश के विकास को गति प्राप्त होने की आशा है। अच्छे मानसून, संरचनात्मक सुधारों की संभावनाओं के दृष्टिगत वर्ष 2018-19 में जीडीपी विकास को बल मिलने की संभावना है।

कंपनी निम्नलिखित क्षेत्रों में अवसरों की तलाश कर रही है:

- भारत सरकार की परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।
- विभिन्न निजी/सरकारी एजेंसियों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पी.एम.सी)।
- निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण(बीओटी) आधार पर रियल इस्टेट परियोजनाएं।

- परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) अध्ययन।
- सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर) परियोजनाएं।

दृष्टिकोण

कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी का विजन/मिशन निम्नानुसार हैं:-

विजन/मिशन

विशिष्टता प्राप्त अवसंरचना विकासकर्ता के रूप में पहचान बनाना तथा पर्यावरण, गुणवत्ता व सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए अवसंरचना परियोजनाओं के सभी क्षेत्रों के लिए विख्यात सेवाप्रदाता के रूप में स्वयं को स्थापित करना।

उद्देश्य

- i) वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक 10 करोड़ रुपए के प्रचालनिक लाभ सहित 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त करना।
- ii) भारत तथा विदेश में अवसंरचना प्रबंधन परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना।

वित्तीय निष्पादन

कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान 32.36 करोड़ रुपए का प्रचालनिक राजस्व रिकार्ड किया है। वर्ष के दौरान 18.11 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ और 14.02 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है। दिनांक 31 मार्च 2018 को कंपनी की निवल संपत्ति 128.35 करोड़ रुपए हो गई है।

प्रचालनिक निष्पादन

इरकॉन आईएसएल, ने 23 बहुउद्देशीय परिसरों को तीसरे पक्षों को सफलतापूर्वक उपपट्टे पर दिया है। तारापीठ में बहुउद्देशीय परिसरों को वित्तीय रूप से अलाभप्रद माना गया था और इसलिए इसे रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को वापस किया गया था। आपकी कंपनी ने उपपट्टेदार द्वारा पट्टा किराए का भुगतान न करने के कारण कन्नूर, मदुरै, हैदराबाद, मैसूर, रामपुरहाट राजगीर और थिरिवुल्ला के उपपट्टा करारों को समाप्त कर दिया है।

आपकी कंपनी ने म्यामार में रखीने राज्य में मुंगत्वा-अलेथेंकेवु सड़क परियोजना के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए म्यामार सरकार द्वारा प्रदान की गई परामर्शदात्री परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अंतिम डीपीआर दिनांक 28.02.2018 को प्रस्तुत की गई थी।

इरकॉन आईएसएल, 293.93 करोड़ रूपए की निर्माण लागत पर म्यामार में त्रिपक्षीय राजमार्ग के तमु-वियंगोने-कलेवा (टीकेके) पर पहुंच मार्ग सहित 69 पुलों का निर्माण कार्य के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) की परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं को भी प्रदान कर रही है। इसके लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 26.10.2017 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अतिरिक्त, इरकॉन आईएसएल, 1518 करोड़ रूपए की निर्माण लागत वाली म्यामार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.2 तक

पलेटवा से भारत-म्यामार सीमा (ज़ोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टताओं पर दो लेन वाली सड़क का निर्माण कार्य के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) की परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं प्रदान कर रही है।

आपकी कंपनी को भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) द्वारा प्रदान की गई पारदीप (ओडीशा) में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण तथ कानपुर, उत्तर प्रदेश में समर्पित मालभाड़ा गलियारे के निर्माण के लिए पीएमसी के रूप में नियुक्त किया है। परियोजना का अनुमानित मूल्य 3.72 करोड़ रूपए के पीएमसी शुल्कों पर 66.88 करोड़ रूपए तथा 6.02 करोड़ रूपए के पीएमसी शुल्कों पर 108.36 करोड़ रूपए है। इसके अतिरिक्त इरकॉन आईएसएल को जेएनवी, सबरकंठ (गुजरात) और अगरमाल्वा (मध्य प्रदेश) में चरण-क कार्यों के निर्माण के लिए पीएमसी कार्य प्रदान किया गया है।

इरकॉन आईएसएल को पलवल, हरियाणा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) की स्थापना के लिए पीएमएस के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इसके लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 22.01.2018 को हस्ताक्षर किए गए थे और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 425 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है। इसके अतिरिक्त, इरकॉन आईएसएल को दिनांक 16 अक्टूबर 2017 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तकनीकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली में नए अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य प्राप्त हुआ है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 192 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्क सहित) है।

आपकी कंपनी मलेशिया और अल्जीरिया में इरकॉन की परियोजना के लिए भी श्रमशक्ति आपूर्ति का कार्य कर रही है। इरकॉन की श्रीलंका परियोजना के लिए श्रमशक्ति आपूर्ति को बंद कर दिया गया है और इरकॉन आईएसएल की श्रीलंका शाखा को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है।

क्षेत्रीय निष्पादन

वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व के चार क्षेत्र हैं यथा परामर्श, श्रमशक्ति की आपूर्ति, बहुउद्देशीय परिसरों को उप-पट्टे पर देना तथा अन्य (सीएसआर तथा स्वच्छ भारत अभियान परियोजनाओं का निष्पादन)। वर्ष 2018-19 के लिए प्रचालनिक आय में परामर्श परियोजनाओं का अंशदान प्रमुख है यथा कुल प्रचालनिक आय का 67.50 प्रतिशत है। नीचे प्रस्तुत तालिका विभिन्न क्षेत्रों से आय के भाग और कुल आय में इसके प्रतिशत अंशदान को दर्शाती है।

(रूपए करोड़ में)

सेक्टर	2017-18		2016-17		2015-16	
	प्रचालनिक आय	%	प्रचालनिक आय	प्रचालनिक आय	प्रचालनिक आय	प्रचालनिक आय
परामर्श	15.50	47.90	18.39	18.39	5.11	6.90
श्रमशक्ति की आपूर्ति	0.48	1.48	2.19	2.19	6.42	8.67
एमएफसी को उपपट्टे पर देना	14.83	45.83	13.66	13.66	14.75	19.92
संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना	-	-	1.69	1.69	6.62	8.94
अन्य सीएसआर तथा स्वच्छ भारत अभियान परियोजनाओं के निष्पादन से प्रचालन राजस्व	1.55	4.79	5.05	5.05	41.14	55057
कुल	32.36		40.98		74.04	

सेगमेंट-वार निष्पादन

वर्ष 2017-18 के दौरान कुल प्रचालनिक आय में विदेशी परियोजनाओं का अंशदान 41.58% है तथा कुल प्रचालनिक आय में घरेलू परियोजनाओं का अंशदान 58.42% है।

(रुपए करोड़ में)

सेक्टर	2017-18		2016-17		2016-17	
	कुल आय	%	कुल आय	%	कुल आय	%
विदेशी	13.45	41.56	19.01	46.39	13.04	17.61
घरेलू	18.91	58.44	21.97	53.61	61.00	82.39
कुल	32.36		40.98		74.04	

शक्तियाँ

आपकी कंपनी की सबसे बड़ी शक्ति है कि यह निर्माण के क्षेत्र में व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए धारक कंपनी के अनुभव का लाभ प्राप्त कर सकती है।

जोखिम और चिन्ता

प्रगतिरत रूप से बहुउद्देशीय परिसरों के निर्माण का कार्य पूरा होने से, इन बहुउद्देशीय परिसरों को पट्टे पर देने का कार्य आरम्भ किया गया है जो कि अत्यंत क्षेत्र विशिष्ट और बाजार आधारित है। हालांकि, एक

स्वतंत्र प्रतिष्ठित परामर्शदाता द्वारा बाजार संभाव्यता का गहन अध्ययन किया गया है किन्तु राजस्व एकत्रण का जोखिम अभी भी विद्यमान है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स राहुल जैन एंड एसोसिएट्स, लागत एवं प्रबंधन लेखाकारों को नियुक्त किया है। आंतरिक लेखापरीक्षकों ने आंतरिक प्रणालियों की पर्याप्तता की जांच करने तथा निरंतर सुधारों के उपाय सुझाने के लिए कंपनी की लेखापरीक्षाएं की हैं। आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा कंपनी की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है।

मानव संसाधन

इरकॉन आईएसएल के कर्मचारियों में उन कार्मिकों का संयोजन है जिन्हें कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है और जिन्हें निगमित कार्यालय में या इरकॉन की मलेशिया और अल्जीरिया परियोजनाओं में तैनात किया गया है और वे कर्मचारी जो इरकॉन से सेकेंडमेंट आधार पर शामिल किया गया है। दीर्घकालीन विकास परिदृश्य को देखते हुए, आपकी कंपनी अपने स्वयं के संवर्ग विकास के माध्यम से प्रमुख श्रमशक्ति संसाधनों में संवर्धन करने की योजना बना रही है।

निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से

ह/—

(एम.के.सिंह)

(अध्यक्ष)

(डीआईएन 06607392)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 01.08.2018

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

1. कंपनी का दर्शन

निगमित शासन कंपनी के व्यवसाय के नैतिक आचरण के लिए प्रणालियों तथा पद्धतियों की एक व्यवस्था है। यह अपने स्टैकधारकों की आकांशाओं को पूरा करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता, समानता और मूल्यों की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है। कंपनी का यह निरंतर प्रयास है कि व्यावसायिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में नैतिकता के उच्चतम मानकों को अपनाया जाए तथा उन्हें बनाया रखा जाए।

2. शासन संरचना

कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जो कार्यप्रणाली और नीतियों का निर्धारण करता है और आवधिक रूप से कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है।

कंपनी के निष्पादन की समीक्षा धारक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा भी की जाती है। मंडल बैठकों के कार्यवृत्त तथा कंपनी द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण संव्यवहारों और व्यवस्थाओं के विवरण तथा अलेखापरीक्षित तिमाही तथा अर्धवार्षिक परिणामों को धारक कंपनी की लेखापरीक्षा समिति/ बोर्ड बैठकों के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

इरकॉन आईएसएल के बोर्ड में चार अंशकालीन निदेशकों के अतिरिक्त, धारक कंपनी ने कंपनी के दिन-प्रति-दिन के कार्यों के प्रबंधन के लिए बोर्ड स्तर से नीचे के एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नामित किया है।

3. निदेशक मंडल

3.1 निदेशक मंडल की संरचना

कंपनी के संगम अनुच्छेद (ए.ओ.ए)(अनुच्छेद 48) के अनुसार, निदेशकों की संख्या तीन से कम तथा बारह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ए.ओ.ए (अनुच्छेद 49) के अनुसार, धारक कंपनी अध्यक्ष तथा सभी निदेशकों की नियुक्ति करती है।

निदेशक मंडल के सदस्यों की वर्तमान संख्या चार है जिसमें धारक कंपनी इरकॉन द्वारा नामित अंशकालीन निदेशकों सहित अंशकालीन अध्यक्ष शामिल हैं।

3.2 इस रिपोर्ट की तारीख को निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक मंडल (इस रिपोर्ट की तारीख तक)				
निदेशक	पूर्णकालिक / अंशकालिक / स्वतंत्र	कंपनियों / निगमित निकायों में निदेशक पर (इरकॉन आईएसएल को छोड़कर)	समिति सदस्यता की कुल संख्या (इरकॉन आईएसएल सहित)	
			अध्यक्ष के रूप में	अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य के रूप में
श्री एम.के.सिंह (डीआईएन 06607392) (10.04.2018 से)	अंशकालीन अध्यक्ष	1 [इरकॉन, आईआरएसडीसी, जेसीआरएल]	1	4
श्री ए.के.गोयल (डीआईएन 05308809)	अंशकालीन निदेशक	2 [इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल, आईएसटीपीएल, इरकॉन डीएचएचएल, इरकॉन वीकेईएल]	5	4
श्री सुरजीत दत्ता (डीआईएन 06687032)	अंशकालीन निदेशक	शून्य	1	2
श्री पराग वर्मा (डीआईएन 05272169) (05.04.2018 से)	अंशकालीन निदेशक	1 [आईआरएसडीसी]	शून्य	4

नोट:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निदेशकों की संख्या 20 कंपनियों की अधिकतम सीमा के भीतर है (जिनमें से सार्वजनिक कंपनियों के लिए अधिकतम 10)।
2. निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।
3. निदेशकों का कंपनी के साथ किसी प्रकार का अंतर-संबंध या संव्यवहार नहीं है।

4. निदेशक पद/समिति की सदस्यता निदेशकों से प्राप्त अद्यतन प्रकटनों के आधार पर है।
5. समिति सदस्यता के लिए सभी सार्वजनिक निजी कंपनियों की सीएसआर एवं धारणीय विकास समिति, लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति के सदस्यों पर ही विचार किया गया है।
6. निदेशकों की समिति सदस्यता संख्या डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई सीजी दिशानिर्देश) के अंतर्गत पांच अध्यक्षों की अनुमत सीमा सहित 10 की अधिकतम सीमा के भीतर है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति को ही गिना जाएगा।

7. कंपनियों के पूरे नाम हैं:

- क. इरकॉन – इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
- ख. इरकॉन पीबीटीएल – इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
- ग. इरकॉन एसजीटीएल – इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड
- घ. आईएसटीपीएल – इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
- ड. इरकॉन डीएचएचएल – इरकॉन देवांगेरे हवेली हाइवे लिमिटेड
- च. इरकॉन वीकेईएल – इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
- छ. आईआरएसडीसी – इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- ज. जेसीआरएल – झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

4. निदेशकों के संबंध में प्रकटन :

कंपनी (निदेशक की बैठकें व उनकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के अनुसार निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटन के अनुसार निदेशकों का आपस में कोई संबंध नहीं है। संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 49 के अनुसार धारक कंपनी द्वारा कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन किया जाता है।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

धारक कंपनी द्वारा बोर्ड में नामित अंशकालीन निदेशक कंपनी से किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं।

अंशकालीन निदेशकों को किसी प्रकार का बैठक शुल्क प्रदान नहीं किया जाता है।

6. वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें और उनमें उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल ने 15 मई 2017, 08 अगस्त 2017, 04 सितंबर, 2017, 06 नवंबर 2017, 13 दिसंबर, 2017 और 05 मार्च 2018 को छह बैठकों में भाग लिया। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 167(1)(ख) के अनुसार अनुस्थिति की अनुमति प्रदान की गई है।

वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशकों और कंपनी सचिव की उपस्थिति के विवरण निम्न प्रकार हैं :-

निदेशक	2017-18 में मंडल की बैठकों की संख्या		अंतिम वार्षिक आम बैठक में भाग लिया
	आयोजित (उनके कार्यकाल के दौरान)	उपस्थितियां	
हितेश कुमार (28 मार्च 2018 को निदेशक पद छोड़ा)	6	6	हां
ए.के.गुप्ता (25 जनवरी 2018 को निदेशक पद छोड़ा)	5	5	हां
सुरजीत दत्ता	6	6	हां
ए.के.गोयल	6	4	हां

7 निदेशक मंडल की समितियां

7.1 लेखापरीक्षा समिति

7.1.1 संदर्भ शर्तें

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 4.90 करोड़ रुपए से बढ़कर 40 करोड़ रुपए (28.03.2013 से) हो गई है, जो 100 प्रतिशत इरकॉन द्वारा धारित है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क के अनुपालन में, निदेशक मंडल ने 5 जुलाई 2013 को आयोजित अपनी बैठक में लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। कार्पोरेट शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अध्याय-4, पैरा 4.2 से पैरा 4.5 में निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तों को निदेशक मंडल द्वारा अपनाया गया था। संक्षेप में इनमें शामिल हैं:

1. कम्पनी की वित्तीय सूचना की प्रक्रिया और प्रकटन का पर्यवेक्षण करके लेखों की परिशुद्धता, पर्याप्तता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है।
2. निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण को स्वीकृति दिए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ समीक्षा करना। विशेष रूप से—
 - क) कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 134 के उपखंड 5 की शर्तों के अनुसार निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाली अपेक्षित सामग्री को निदेशक की रिपोर्ट में भी शामिल किया जाएगा।
 - ख) लेखांकन नीतियों तथा पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हो व इसके कारण।
 - ग) प्रबंधन द्वारा विवेक के प्रयोग के आधार पर अनुमानों वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।
 - घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
 - ड.) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन।
 - च) किसी संबंधित पक्षों के संव्यवहार का प्रकटन।
 - छ) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्यता आदि।
- 3) निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किए जाने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा।
- 4) प्रचालनों की वित्तीय स्थिति तथा परिणामों पर प्रबंधन द्वारा चर्चा व विश्लेषण।
- 5) आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्यनिष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
- 6) महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान व उन पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु दोनों लेखा परीक्षकों – आंतरिक एवं सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ चर्चा।
- 7) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, स्टाफिंग तथा विभागों के कार्यालय प्रमुखों की वरियता, रिपोर्टिंग ढांचा, कवरेज तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्ता की समीक्षा करना।
- 8) लेखापरीक्षा शुल्कों के निर्धारण के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।
- 9) आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पुनःनियुक्ति, पारिश्रमिक तथा निलंबन आदि की समीक्षा करना।
- 10) मुख्य कार्यपालक/वित्त प्रमुख द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रमाणन/घोषणा की समीक्षा करना।

7.1.2 लेखापरीक्षा समिति— संरचना और उपस्थिति

कार्पोरेट शासन पर दिनांक 14 मई 2010 के डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.2 से पैरा 4.5 में निर्धारित अनुसार शर्तों का अनुपालन करते हुए निदेशक मंडल की स्वीकृति से 05.07.2013 को मूल रूप से तीन अंशकालीन निदेशकों वाली बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया था। धारक कंपनी द्वारा नामित अंशकालीन निदेशकों में जब कभी परिवर्तन किए जाते हैं तो इस समिति का पुनर्गठन किया गया जाता है। तदनुसार, सभी बोर्ड सदस्यों को परिपत्रित नोट के माध्यम से दिनांक 26.04.2018 को समिति का पुनर्गठन किया गया था, जिसकी दिनांक 30 मई 2018 को आयोजित निदेशक मंडल की 43वीं बैठक पुष्टि की गई थी।

समिति की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:

श्री सुरजीत दत्ता	—	अध्यक्ष के रूप में अंशकालीन निदेशक
श्री ए.के.गोयल	—	सदस्य के रूप में अंशकालीन निदेशक
श्री पराग वर्मा	—	सदस्य के रूप में अंशकालीन निदेशक

वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 06 बैठकें आयोजित की गई थीं अर्थात् 15 मई 2017, 08 अगस्त 2017, 04 सितंबर, 2017, 06 नवंबर 2018, 13 दिसंबर 2017 तथा 05 मार्च 2018.

उपस्थिति की ब्यौरा निम्नानुसार है:

सदस्य	पद	बैठकों की संख्या (संबंधित कार्यकाल के दौरान)	बैठक में उपस्थिति
सुरजीत दत्ता (2017-18 वर्षभर)	अध्यक्ष	5	5
ए.के.गोयल (2017-18 वर्षभर)	सदस्य	5	5
ए.के.गुप्ता (25 जनवरी 2018 से निदेशक पद से पदमुक्त हुए)	सदस्य	5	5

7.2 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसार, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक की निवल संपत्ति, या 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक के टर्नओवर या 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक के शुद्ध लाभ अर्जित करने वाले प्रत्येक कंपनी, बोर्ड स्तर की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर) का गठन करेगी जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 12 अप्रैल 2013 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक सीपीएसई में बोर्ड स्तरीय समिति होगी जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा या किसी स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो कंपनी में सीएसआर तथा धारणीयता संबंधी नीतियों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

सभी बोर्ड सदस्यों को परिपत्रित नोट, जिसकी दिनांक 26 जून 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की 22वीं बैठक में पुष्टि की गई थी, द्वारा कंपनी की सीएसआर नीति के क्रियान्वयन की निगरानी करने तथा कंपनी के सीएसआर एजेंडा को वांछित दिशा की ओर ले जाने के लिए उपयुक्त नीतियों तथा पद्धतियों के निर्माण में निदेशक मंडल को सहयोग प्रदान करने हेतु सीएसआर नीति के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए 13 जून, 2014 को सीएसआर के लिए एकीकृत निदेशक मंडल समिति का गठन किया गया है।

सभी बोर्ड सदस्यों को परिपत्रित नोट द्वारा दिनांक 26.04.2018 को समिति का पुनर्गठन किया गया था, जिसकी पुष्टि दिनांक 30 मई 2018 को आयोजित निदेशक मंडल की 43वीं बैठक में की गई थी। समिति की वर्तमान संरचना इस प्रकार है:

श्री ए.के.गोयल	—	अध्यक्ष के रूप में अंशकालीन निदेशक
श्री सुरजीत दत्ता	—	सदस्य के रूप में अंशकालीन निदेशक
श्री पराग वर्मा	—	सदस्य के रूप में अंशकालीन निदेशक

वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी की कोई बैठक नहीं हुई है।

7.3 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 के अनुसार, 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी, या 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक के टर्नओवर या 50 करोड़ रुपए या अधिक के समग्र बकाया ऋण या उधार या डिबेंचर या डिपाजिट करने वाले प्रत्येक कंपनी, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन करेगी। इस समिति में तीन या अधिक गैर कार्यपालक निदेशक होंगे जिनमें से आधे से अधिक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 14 मई, 2010 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के लिए पारिश्रमिक समिति पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक सीपीएसई में एक पारिश्रमिक समिति होगी जिसमें कम से कम तीन निदेशक होंगे, और वे सभी अंशकालीन निदेशक होंगे (यथा नामिती और स्वतंत्र निदेशक), और समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी।

संदर्भ शर्तें

- क. दिनांक 26 नवंबर 2008 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्यपालकों और गैर-यूनियनिकृत पर्यवेक्षकों में वितरण हेतु वार्षिक बोनस/परिवर्ती आय पूल तथा इसके संवितरण की नीतियां निर्धारण करना।
- ख. निर्धारित मापदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों का हिह्नन/चयन हेतु नीतियों को तैयार करना और उनकी समीक्षा तथा उनके चयन और उन्हें हटाने के लिए मंडल के अनुमोदन हेतु सिफारिश करना।
- ग. वरिष्ठ प्रबंधन तथा अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक के संबंध में उनके स्तर और पारिश्रमिक का निर्धारण करना।
- घ. वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के संबंध में मानव संसाधन नीति (नीतियों) की समीक्षा, विचार और सिफारिश करना।
- ड. समय-समय पर कंपनी अधिनियम या डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा शामिल कोई अन्य कार्य।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 तथा डीपीई जीसी दिशानिर्देश, 2010 के पैरा 5.1 के अनुसरण में 28 अगस्त, 2015 को एक नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

सभी बोर्ड सदस्यों को परिपत्रित नोट द्वारा दिनांक 26.04.2018 को समिति का पुनर्गठन किया गया था, जिसकी पुष्टि दिनांक 30 मई 2018 को आयोजित निदेशक मंडल की 43वीं बैठक में की गई थी। समिति की वर्तमान संरचना इस प्रकार है:

समिति की संरचना निम्नानुसार है:

श्री ए.के.गोयल	– अध्यक्ष के रूप में अंशकालीन निदेशक
श्री सुरजीत दत्ता	– सदस्य के रूप में अंशकालीन निदेशक
श्री पराग वर्मा	– सदस्य के रूप में अंशकालीन निदेशक

वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी की कोई बैठक नहीं हुई है।

8. सामान्य आम बैठक

8.1 वार्षिक आम बैठक

क. पिछली 3 (तीन) वार्षिक आम बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई थीं:

वार्षिक आम बैठक की संख्या	वित्त वर्ष	बैठक की तिथि	समय	स्थल
8वीं	2016–17	25 सितंबर 2017	1600	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
7वीं	2015–16	27 सितंबर 2016	1500	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
6ठीं	2014–15	27 सितंबर 2015	1400	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (2014–15 से 2016–17) में कोई विशेष संकल्प अपेक्षित या पारित नहीं किया गया है।

8.2 असाधारण आम बैठक

क) पिछली 3 (तीन) असाधारण आम बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई थीं:

असाधारण आम बैठक संख्या	वित्त वर्ष के दौरान	बैठक की तिथि	समय	स्थल
चौथी	2014-15	20 फरवरी 2015	1700	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
तीसरी	2012-13	22 जनवरी 2013	1430	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
दूसरी	2011-12	12 मार्च 2012	1430	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली

ख) विशेष संकल्प

(क) चौथी असाधारण आम बैठक 20 फरवरी 2015 को आयोजित की गई थी।

प्राधिकृत शेयर पूंजी को 40 करोड़ से बढ़ाकर 65 करोड़ करने के लिए कंपनी के समझौता ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में परिवर्तन।

(ख) तीसरी असाधारण आम बैठक 22 जनवरी 2013 को आयोजित की गई थी।

(i) प्राधिकृत शेयर पूंजी को 10 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ करने के लिए कंपनी के संगम अनुच्छेद में परिवर्तन।

(ii) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) से लिए गए ऋण के 35,10,00,000 रुपये के स्तर तक के भाग को प्रत्येक 10 रुपये के 3,51,00,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करना।

(ग) दूसरी असाधारण आम बैठक 12 मार्च 2012 को आयोजित की गई थी।

उद्देश्य खंड III क (मुख्य उद्देश्य) में नए उप खंडों को शामिल करके समझौता ज्ञापन में परिवर्तन किया गया।

9. प्रकटन

9.1 वर्ष के दौरान निदेशकों या उनके संबंधितों के साथ कोई महत्वपूर्ण प्रकृति का संव्यवहार नहीं हुआ है, जिसका कंपनी के हित प्रभावित हुआ हो। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में नोट सं. 47 में निर्धारित संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहारों के प्रकटन की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया गया है।

9.2 वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी के व्यवसाय उद्देश्यों से इतर लेखों की बहियों में व्यय की किसी भी मद को नामे नहीं किया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन एवं पक (विस्तृत विवरण वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट सं 47 में भी प्रकटित) के अनुसार प्रमुख कार्यपालकों को भुगतान हेतु पारिश्रमिक को छोड़कर निदेशकों तथा शीर्ष प्रबंधन के व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

9.3 कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्ययों का ब्यौरा वित्तीय व्यय की तुलना में नीचे दर्शाया गया है:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-19	टिप्पणियां
प्रशासनिक व्यय	2.84	3.79	शून्य
बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रशर	1.19	2.63	ऋण पर ब्याज
कुल व्यय	21.01	26.43	शून्य
प्रशासनिक तथा अन्य व्यय / कुल व्यय (प्रतिशत में)	13.52%	14.34%	शून्य
बैंक तथा वित्तीय प्रभार / कुल व्यय (प्रतिशत में)	5.66%	9.95%	

9.4 कंपनी आवधिक रूप से जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाओं से संबंधित जोखिमों और विदेशी विनिमय प्रबंधन के विषय में बोर्ड को सूचित करती है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित ब्यौरा "जोखिम एवं चिंता" शीर्षक के अंतर्गत प्रबंधन विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

9.5 लेखापरीक्षा समिति के किसी कार्मिक को पहुंच उपलब्ध कराने से इनकार किए जाने की कोई घटना नहीं हुई है।

9.6 कंपनी की सम्पूर्ण इक्विटी पूंजी यथा 65,00,00,000 इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) द्वारा धारित है।

9.7 किसी सांविधिक विनियम या सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन न किए जाने की कोई घटना नहीं हुई है और पूंजी बाजार या सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से संबंधित किसी मुद्दे पर कंपनी पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

- 9.8 डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के स्व-मूल्यांकन के अनुपालन के लिए इरकॉन आईएसएल ने वर्ष 2017-18 के लिए 100 में से 95 का वार्षिक अंक तथा उत्कृष्टता ग्रेड प्राप्त किया है।
- 9.9 संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार आर्म लैथ आधार पर व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया है और कंपनी के वित्तीय विवरण के नोटों में संगत लेखांकन मानक की अपेक्षा के अनुसार इसे प्रकट किया गया है।
- 9.10 कंपनी में सांविधिक और प्रक्रियात्मक अनुपालनों की मॉनीटरिंग की प्रणालियां विद्यमान हैं। बोर्ड को इस स्थिति से अवगत कराया गया है ताकि कंपनी के सभी लागू नियमों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

10. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी ने वित्तीय विवरणों की सत्यता तथा सटीकता, देय अनुपालनों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग, जिसे लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, के संबंध में लिखित रूप में प्रमाणित किया है। (इस रिपोर्ट के अनुबंध "ड.-1" पर संलग्न है)।

11. शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

● सम्प्रेषण के माध्यम

इरकॉन आईएसएल की वर्ष 2017-18 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.irconisl.com पर तथा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध हैं।

● चालू वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक

तारीख : 25.09.2018

समय: 11.00 बजे पूर्वाह्न

स्थान: कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का बोर्ड कक्ष,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110007

- श्रेणीवार शेयरधारक पैटर्न (इस रिपोर्ट की तिथि को)

श्रेणी	भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या (10 रु. प्रति शेयर)	शेयरधारण का प्रतिशत
प्रवर्तक (इरकॉन इंटरनेशनल लि. और इसके नौ नामिति)	6,50,00,000	100 प्रतिशत
कुल	6,50,00,000	100 प्रतिशत

धारक कंपनी द्वारा पदधारियों को बदले जाने के परिणामस्वरूप किसी नामिती शेयरधारक से दूसरे शेयरधारकों को शेयरों का अंतरण करना सामान्यतः एक तकनीकी कार्य है क्योंकि 100 प्रतिशत शेयर धारक कंपनी के हैं। इन शेयरों का अंतरण करने के लिए सीईओ एक प्राधिकृत अधिकारी है और कोई अंतरण बाकी नहीं हैं।

- संप्रेषण का पता

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है:
 इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड
 प्लाट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर
 साकेत, नई दिल्ली-1100017
 टेलीफोन : 29565666
 फ़ैक्स : 26854000
 ई-मेल : info@irconisl.com
 वेबसाईट : www.irconisl.com

12. निगमित शासन पर अनुपालन

यह रिपोर्ट वर्ष 2017-18 के लिए कार्पोरेट शासन रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के संबंध में विधिक अपेक्षाओं का विधिक पालन करती है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी सनदी कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के संलग्नक "ड.-2" पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-
 (एम.के.सिंह)
 (अध्यक्ष)
 (डीआईएन 06607392)

स्थान : नई दिल्ली
 दिनांक : 01.08.2018

मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय विवरणों एवं तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, तथा रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है:-

- (i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।
- (ii) ये विवरण समग्र रूप में कम्पनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।
- (iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।
- (iv) हम आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कम्पनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। हमने आंतरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।
- (v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है; और
- (vi) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कम्पनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबन्धन या कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह/-

श्री अनिकेत खेत्रपाल
मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)

ह/-

श्री सी.के.नायर
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 01.08.2018

एम.बांगिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

डी-152, दयानन्द कॉलोनी, लाजपत नगर-4,
नई दिल्ली-110024
दूरभाष: 011-41625462
मोबाइल: 987342626
ई-मेल: manojbangia.mb@gmail.com

डी.पी.ई के निगमित शासन दिशानिर्देशों के अधीन कार्पोरेट शासन की शर्तों सहित अनुपालन संबंधित प्रमाणपत्र

सेवा में,
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड के सदस्य,
नई दिल्ली,

लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों द्वारा यथापेक्षित कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी होने के कारण इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में:

हमने कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा यथाअनुमोदित उक्त कंपनी के निगमित शासन पर रिपोर्ट का अध्ययन किया है। अमने कंपनी द्वारा अनुरक्षित संगत रिकार्डों और अभिलेखों तथा इस संबंध में हमारी समीक्षा हेतु हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की भी जांच की है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम उल्लेख करते हैं कि कंपनी द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों के अनुसार कंपनी के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई निवेशक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही उसे कुशलता या प्रभावपूर्णता का आश्वासन है कि जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का निष्पादन करता है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकनों के साथ कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कारपोरेट शासन पर दिशानिर्देशों का सभी दृष्टिकोणों से निगमित शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

कृते एम.बांगिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/—
मनोज बांगिया
प्रोप्राइटर
सी.ओ.पी सं.3655

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 01.08.2018

फार्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में)

सेवामें,

सदस्य,

मैसर्स इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड,

प्लॉट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (जिसे यहां आगे "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी, जिससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रूप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (कंपनी) द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियम:
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियम: (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)
- (iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1966 तथा इसके अंतर्गत निर्मित विनियम तथा उप-नियम: (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

- (iv) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के स्तर तक विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)
- (v) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: लागू नहीं
- (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और ओवरटेक) विनियम, 2011 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)
- (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (भीतरी व्यापार निषेध) विनियम, 1992 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)
- (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी जारी एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)
- घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन तथा कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)
- (ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना व सूचीकरण) विनियम, 2008 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)
- (च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इश्यु और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 और यह कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ संव्यवहार से संबंधित है (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)
- (छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियम, 2009 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं), और
- (ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 1998 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)
- (vi) एक सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम और मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन, रेल मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूची-क, मिनी रत्न –श्रेणी। कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होने के कारण, हमने अन्य विशिष्ट लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के अनुपालन में कंपनी की जांच और सत्यापन किया है यथा:
 - (क) निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देश, दिनांक 14 मई 2010.
 - (ख) लागू स्तर तर संबंधित श्रम कानून।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है।

- i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक।
- ii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015, यदि लागू हो। (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान तथा प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण और अभ्यावेदनों तथा कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के मद्देनजर, कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकनों पर उपर्युक्त विषय के संबंध में अधिनियम, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है यथा डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के अंतर्गत यथापेक्षित निदेशकों के लिए आचार संहिता को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार यथापेक्षित समीक्षाधीन वर्ष के लिए तिमाही अनुपालन रिपोर्ट क्रमशः दिनांक 31.07.2017, 14.11.2017, 15.01.2018 तथा 10.04.2018 को प्रस्तुत की गई थी।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल का उपर्युक्त अवलोकनों के मद्देनजर कार्यपालक निदेशक और गैर कार्यपालक निदेशक के उचित शेष के साथ विधिवत रूप से गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड की संरचना में परिवर्तन हुए थे, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दो निदेशकों ने अपने पद से त्यागपत्र दिया है, जिसके परिणामस्वरूप, आठ दिनों के लिए निदेशकों की संख्या अपेक्षित संख्या से कम रही। तथापि, हमारी धारक कंपनी द्वारा नामांकन आधार पर क्रमशः दिनांक 05.04.2018 और 10.04.2018 को नए निदेशकों की नियुक्ति की गई है। कंपनी के चार निदेशक इसकी धारक कंपनी द्वारा नामांकित हैं, जो गैर कार्यपालक निदेशक हैं जबकि डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के खंड 3.1.3 के अनुसार, नामांकित निदेशकों की अधिकतम संख्या दो निदेशकों तक सीमित रहेगी। रिपोर्ट के वर्ष के दौरान, कंपनी के लिए अपेक्षित है कि डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार निदेशक मंडल में 1/3 स्वतंत्र निदेशक हों, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों के होने की अपेक्षा के संबंध में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के लिए दिनांक 05.07.2017 की एमसीए अधिसूचना के तहत छूट प्रदान की गई है।

सभी निदेशकों को उपर्युक्त नोटिस दिया गया है कि वे समिति बैठकों के साथ बोर्ड बैठकों की अनुसूची तैयार करें तथा सात दिन या उससे कम अवधि के पूर्व नोटिस पर कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट तैयार करें, जैसा भी मामला हो, और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर कोई अन्य सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए तथा निदेशकों द्वारा बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी की प्रणाली विद्यमान है।

प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के रूप में बोर्ड बैठकों के निर्णय एकमत से लिए जाते हैं।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग करने और इनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप उपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी में निम्नलिखित घटनाएं/क्रियाएं हुई हैं जिनका कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रमुख प्रभाव पड़ा है:

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्ट की अवधि के दौरान, कंपनी में निम्नलिखित कोई घटना नहीं हुई है:

- I. पब्लिक/राइट/प्रेफरेंशियर शेयरों/डिबेंचरों/स्वीट इक्विटी, आदि जारी किया जाना।
- II. प्रतिभूतियों का रिडम्पशन/बाय-बैक
- III. कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 180 के अनुसरण में सदस्यों द्वारा प्रमुख निर्णय लिया जाना।
- IV. विलय/एमलबमेशन/पुनर्संरचना आदि
- V. विदेशी तकनीकी गठजोड़

*इस रिपोर्ट को **अनुबंध-क** के रूप में अनुबंधित हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

कृते के.के.सिंह एंड एसोसिएट्स कंपनी सचिव

ह/—

सीएस रिचा सिंह

भागीदार

एफसीएस:44237 सीपी सं.:16640

दिनांक: 01.08.2018

स्थान: गुरुग्राम

अनुबंध-क

सेवामें,

सदस्य,

मैसर्स इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड,

प्लॉट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,

नई दिल्ली-110017

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाए:

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमार निष्कर्षों/लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्त करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। जांच आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि रिकार्डों में सही तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रक्रियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं की है। हमने संगत वित्तीय वर्ष के लेखा बहियों, दस्तावेजों तथा वित्तीय विवरणों के अनुरक्षण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसे अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुपालन के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का आश्रय लिया है, जो हमें कंपनी के कार्यकलापों का सत्य एवं सही स्थिति प्रस्तुत करता है।
4. हमने सेवाकर या जीएसटी सहित वित्तीय नियमों के अनुपालन के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का आश्रय लिया है। जैसा भी मामला हो और हमने उनका अवलोकन नहीं किया है।
5. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

6. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट ना तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही कुशलता या प्रभावपूर्णता के लिए है जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का संचालन करेगी।

कृते के.के.सिंह एंड एसोसिएट्स कंपनी सचिव

ह/—

सीएस रिचा सिंह

भागीदार

एफसीएस:44237 सीपी सं.:16640

दिनांक: 01.08.2018

स्थान: गुरुग्राम

वित्तीय विवरण (2017–18)

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इस्कॉन आईएसएल की वित्तीय विशेषताएं

(रूपए लाभ में)

विवरण	2017-18	2016-2017	2015-2016	2014-2015	2013-2014	2012-2013
प्रचालनिक आय	3,235.51	4,098.22	7,404.72	3,638.76	3,107.51	1,257.52
अन्य आय	676.33	625.51	782.65	512.33	91.20	24.27
कुल आय (1+ 2)	3,911.85	4,723.73	8,187.37	4,151.08	3,198.72	1,281.79
व्यय	2,101.22	2,643.20	5,926.33	2,122.32	1,858.17	1,002.64
प्रचालनिक मार्जिन (पीबीडीआईटी)	2,347.13	2,705.60	2,956.62	2,836.59	1,893.04	279.15
ब्याज व्यय	119.17	263.39	391.09	560.60	485.90	-
मूल्यहास	417.33	361.68	304.49	247.23	66.59	0.02
कर पूर्व लाभ	1,810.63	2,080.53	2,261.04	2,028.77	1,340.55	279.15
कर पश्चात लाभ	1,365.38	1,236.28	1,422.28	1,092.60	766.04	191.53
आरक्षित निधियां एवं अतिरेक	6,335.29	4,969.91	3,733.64	4,811.36	1,218.76	452.72
दीर्घकालीन ऋण	-	1,834.00	2,521.00	3,150.00	4,815.40	3,400.72
शेयर पूंजी	6,500.00	6,500.00	6,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
निवल परिसंपत्ति	12,835.29	11,469.91	10,233.64	8,811.36	5,218.76	4,452.72

सीआईएन-005400डीएल2009बीबीआई194792

31 मार्च 2018 को तुलना पत्र

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
I. परिसंपत्ति			
1 गैर वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	70,635,076	85,245,008
(ख) पूंजीगत प्रगतिस्त कार्य	4	21,715,638	19,988,399
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5	893,914,204	919,279,248
(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां	6		
(ङ) अन्य	6.1	38,128,188	430,567
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां/निवल	7	5,599,238	13,485,158
		1,029,992,344	1,038,428,380
2 चालू परिसंपत्तियां			
(क) दरसूचियां	8	33,583	22,601
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां	9		
(क) व्यापार प्राप्य राशियां	9.1	381,287,981	362,849,796
(ख) नकद और नकदी समतुल्य	9.2	129,874,843	360,992,227
(ग) बैंक रोम उपरोक्त (ख) के अलावा	9.3	417,205,605	193,641,582
(घ) अन्य	9.4	563,500	580,327
(ङ) अन्य	9.5	21,404,084	21,679,005
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	69,322,197	16,376,839
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	23,273,656	26,643,585
		1,042,965,449	982,785,963
कुल परिसंपत्तियां		2,072,957,793	2,021,214,342
II. झविक्टी और देयताएं			
1 झविक्टी			
(क) कुल झविक्टी शेयर	12	650,000,000	650,000,000
(ख) अन्य झविक्टी	13	633,528,980	496,990,598
		1,283,528,980	1,146,990,598
2 देयताएं			
(I) गैर वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं	14		
(i) ऋण	14.1	-	183,400,000
ii) अन्य वित्तीय देयताएं	14.2	350,469	-
(ख) प्राकटान	15	262,663	629,903
(ग) आस्थगित कर देयताएं निवल	7	184,684,145	177,937,760
(घ) अन्य गैर चालू देयताएं	16	314,739,447	336,842,330
		500,036,724	698,809,993
4 चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं	17		
(i) ऋण	17.1	-	45,800,000
(ii) व्यापार प्राप्य (निवल)	17.2	10,007,606	7,292,738
(iii) अन्य वर्तमान देयताएं	17.3	50,846,184	72,478,444
(ख) अन्य चालू देयताएं	18	228,219,857	49,705,275
(ग) प्राकटान	19	318,442	137,295
		289,392,089	175,413,752
कुल झविक्टी और देयताएं		2,072,957,793	2,021,214,342
III. वित्तीय विवरणों के संलग्न नोटों को देखें			

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते कपूर गोयल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 001370एन

ह/-

सीए तरुण कपूर

(साझेदार)

सं.सं. 0959/49

स्थान : नई

दिनांक : 01.08.2018

निदेशक मंडल के निर्दिष्ट और की ओर से

अनिकेत खेतपाल

सी.एफ.ओ

सी.के.नायर

सी.ई.ओ

सुरजीत दत्त

निदेशक

(सीआईएन- 00087032)

एम.के.सिंह

अध्यक्ष

(सीआईएन- 06607292)

लाभ एवं हानि विवरण
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु

(आकड़ें रुपए में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
	संश्लेष :			
I	प्रचालनों से राजस्व	20	323,551,393	409,822,423
II	अन्य आय	21	67,633,147	62,551,101
III	कुल आय (I + II)		391,184,540	472,373,524
IV	व्यय			
	प्रचालनिक आय	22	86,040,715	132,752,151
	कर्मचारों का लाभ व्यय	23	42,003,173	31,191,056
	वित्तीय लागतें	24	11,916,642	26,338,830
	मूल्यहास एवं परिशोधित व्यय	25	41,732,982	36,168,435
	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	26	28,428,122	37,870,500
	कुल व्यय (IV)		210,121,635	264,320,972
V	आपवादिक मदों और कर से पूर्व लाभ/घाटा (I - IV)		181,062,905	208,052,552
VI	आपवादिक मदें			
VII	कर पूर्व लाभ/(हानि) (V - VI)		181,062,905	208,052,552
VIII	कर व्यय	27		
	(1) चालू कर			
	—वर्ष हेतु		38,641,721	44,401,744
	—पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (नवल)		-8,757,877	-9,915,019
	(2) आस्थगित कर (निवल)		14,635,202	49,938,040
	कुल कर व्यय (VIII)		44,519,046	84,424,765
IX	निस्तर प्रचालनों से इस अक्षांक के लिए लाभ/(घाटा) (V - VIII)		136,543,859	123,627,787
X	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
XI	बंद प्रचालनों के कर व्यय		-	-
XII	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) (कर परचात) (X-XI)		-	-
XIII	अवधि के लिए लाभ/(हानि) (IX+XII)		136,543,859	123,627,787
XIV	अन्य वृद्धत आय	28		
	क. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-8,375	-
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया		2,898	-
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
			-5,477	-
XV	अवधि के लिए कुल वृद्धत आय (IX+X)(अवधि के लिए वृद्धत लाभ और अन्य वृद्धत आय)		136,538,383	123,627,787
XVI	प्रति इक्विटी शेयर आमदनी: (निस्तर प्रचालन हेतु)			
	(1) मूल	29	2.10	1.90
	(2) विलयित		2.10	1.90
XVII	प्रति इक्विटी शेयर आमदनी: (बंद प्रचालन हेतु)			
	(1) मूल			
	(2) विलयित			
XVIII	प्रति इक्विटी शेयर आमदनी: (बंद तथा जारी प्रचालन हेतु)			
	(1) मूल	29	2.10	1.90
	(2) विलयित		2.10	1.90

हमारी समस्त एक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते कम्प्यू गेयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001370एन
सीए तरुण कपूर
साझेदार
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 01.08.2018

निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से
ह/-
अनिकेत खेत्रवाल
सी.एफ.ओ.
ह/-
सुरजीत दत्ता
निदेशक
(सीआईएन- 0885/032)

ह/-
सी.के.नायर
सी.ई.ओ.
ह/-
एम.के.सिंह
अध्यक्ष
(सीआईएन- 0880/392)

रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु

(खंड रुपय में)

विवरण	नोट	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रचलन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
कर निर्धारण से पूर्व निवल लाभ समायोजन हेतु		181,062,905	208,052,552
मूल्यवृद्धि, परिसोधन एवं हानि		41,732,982	36,168,435
परिसंपत्तियों (निवल) के निपटान पर घाटा/(लाभ)		-	5,544
वित्तीय लागत		11,916,642	26,338,830
ब्याज आय			
अन्य कृत आय		-8,375	
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचलनगतिक लाभ समायोजन हेतु	(1)	234,704,155	270,565,361
इंवेस्टियों में कमी/(वृद्धि)		-10,982	17,805
व्यापार प्राप्यों में कमी/(वृद्धि)		-18,438,184	-16,438,610
सीसीई के अतिरिक्त बैंक ऋणों में कमी/(वृद्धि)		-223,564,023	-38,103,152
ऋणों में कमी/(वृद्धि)		16,827	150,589
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		274,921	-9,385,148
अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		3,369,929	-14,290,569
गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		-37,697,616	195,175
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		-	-
अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएं में कमी/(वृद्धि)		-22,102,883	63,434,796
प्राक्यानों में कमी/(वृद्धि)		-367,240	39,526
व्यापार प्राप्यों में कमी/(वृद्धि)		2,714,868	-32,509,530
अन्य वित्तीय देयताओं में कमी/(वृद्धि)		-21,281,791	8,209,783
अन्य चालू देयताओं में कमी/(वृद्धि)		178,514,582	3,304,267
प्राक्यानों में कमी/(वृद्धि)		181,147	-545,459
	(2)	-138,390,445	-35,920,528
प्रचलन से सृजित नकद	(1+2)	96,313,709	234,644,833
प्रदत्त आयकर		-82,829,202	-53,520,382
प्रचलन गतिविधियों से निवल नकद	(क)	13,484,508	181,124,451
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह			
पीपीपी अमूर्त परिसंपत्तियों और विकासशील अमूर्त पर पूंजीगत व्यय		-3,487,953	-21,460,158
स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री		2,703	29,035
वर्ष के दौरान प्रदान पूंजी अग्रिम प्राप्त ब्याज			
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़	(ख)	-3,485,250	-21,431,123

निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त धन उधारों से प्राप्त धन वित्तीय लागत लाभानाश (लाभानाश संवितरण कर सहित) प्रदत्त		-229,200,000 -11,916,642	-45,800,000 -26,338,830
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़	(ग)	-241,116,642	-72,138,830
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी)	(क. ख. ग)	-231,117,384	87,554,498
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य (आरंभिक)	(घ)	360,992,227	273,437,729
रोकड़ शेष			
बैंकों में शेष			
चालू खाते		71,625,537	19,398,878
—फ्लैक्सी खाते		133,003,856	34,186,255
अल्पकालीन निवेश		156,362,834	219,852,596
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (अंतिम)	(च)	129,874,843	360,992,227
रोकड़ शेष		101,548	
बैंकों में शेष			
चालू खाते		14,734,323	71,625,537
—फ्लैक्सी खाते		115,038,972	133,003,856
अल्पकालीन निवेश		0	156,362,834
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	(घ-च)	-231,117,384	87,554,498
हमारी सामंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार कृते कपूर गोयल एंड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 001370एन		निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से	
ह/-		ह/-	
सीए तरुण कपूर (साझेदार)		अनिकेत खेजवाल सी.एफ.ओ	ह/- सी.के.नायर सी.ई.ओ
सं.सं. 095949		ह/-	ह/-
स्थान : नई दिल्ली		सुरजीत दत्त निदेशक (सीआईएन- 0668/032)	एम.के.सिंह अध्यक्ष (सीआईएन- 06607392)
दिनांक : 01.08.2018			

(सीआईएन – यू45400डीएल2009बीओआई194792)
31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी परिवर्तन विवरण

(आंकड़े रुपए में)

क. इक्विटी शेयर पूंजी	रशि
31 मार्च 2017 को शेष	650,000,000
जमा : वर्ष के दौरान जारी शेयर	-
31 मार्च 2018 को शेष	650,000,000

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित तथा अतिरिक्त			
	शेयर आवेदन रशि तबित आंकड़न	सामान्य आरक्षित	प्रतिभारित आमदनी	कुल
1 अप्रैल 2017 को शेष	-	496,990,598	-	496,990,598
लेखांकन नीतियों या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन				
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनर्बिभित शेष	-	496,990,598	-	496,990,598
वर्ष के लिए लाभ	-	-	136,543,859	136,543,859
अन्य वृहत आय	-	-	(5,477)	(5,477)
कुल कृत आय	-	-	136,538,383	136,538,383
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	-	-	(136,538,383)	(136,538,383)
वर्ष के दौरान जमा	-	136,538,383	-	136,538,383
वर्ष के दौरान प्रतिपूर्ति/जारी	-	-	-	-
31 मार्च 2018 को शेष	-	633,528,980	-	633,528,980

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से

कृते कपूर गोयल एंड कंपनी
समदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001370एन

सीए तरुण कपूर
साइनेचर
ससं099949

अनिकेत खेत्रवाल
सीएफओ

सीके नवर
सीईओ

सुखीत दत्त
निदेशक
(सीआईएन- 00087032) (सीआईएन- 00007392)
एम के सिंह
अध्यक्ष

स्थान- नई दिल्ली
दिनांक: 01.08.2018

(सीआईएन - यूएन00डीएल2009जीआई194792)				
31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण				
				(बांकड़े रुपए में)
क. इक्विटी शेयर पूंजी	रुपि			
अप्रैल 2016 को शेष	650,000,000			
जमा : वर्ष के दौरान जारी शेयर	-			
31 मार्च 2017 को शेष	650,000,000			
विवरण	आरक्षित निधि एवं बहिष्क			
	शेयर पूंजी सशि लंबित बावंटन	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिवर्ति बायदानियां	कुल
1 अप्रैल 2016 को शेष	-	373,362,811	-	373,362,811
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन				
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनर्निर्मित शेष	-	373,362,811	-	373,362,811
वर्ष के लिए लाभ	-	-	123,627,787	123,627,787
अन्य वृद्धत आय	-	-	-	-
कुल वृद्धत आय	-	-	123,627,787	123,627,787
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	-	-	(123,627,787)	(123,627,787)
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	123,627,787	-	123,627,787
वर्ष के दौरान प्रतिपूर्ति/जारी	-	-	-	-
31 मार्च 2017 को शेष	-	496,990,598	-	496,990,598
द्विगरी समसंयुक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार				निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से
कृते कपूर गोपाल एंड कंपनी समदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 001370एन				
सीए उल्लु कपूर सहोदार सं.सं.092949	अनिकेत सेनगुप्त सीए.ओ	सीके.नागर सीए.ओ	सुखवीर दत्ता निदेशक (डीआईएन- 08887032)	ए ए के सिंह अध्यक्ष (डीआईएन- 08807382)
स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 01.08.2018				

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखों के भाग के रूप में

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

नोट 1: निगमित सूचना

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह कंपनी भारत में आधारित है और इसे भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित किया गया है। आरंभ में कंपनी का निगमन रेलवे प्रयोक्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिह्नित रेलवे स्टेशनों पर बहुउद्देशीय परिसरों के निर्माण और विकास के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने धीरे-धीरे धारित कंपनी सहित विभिन्न ग्राहकों के लिए अवसंरचना परामर्श परियोजनाओं, डीपीआर एवं एफएस तैयार करना, परियोजना प्रबंधन परामर्श परियोजनाओं, श्रमशक्ति आपूर्ति, संयंत्र एवं मशीनरी का पट्टाकरण, बहुउद्देशीय परिसरों को उप पट्टे पर देने तथा सीएसआर परियोजनाओं का कार्य भी आरंभ किया है। कंपनी घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के बाजारों में कार्य कर रही है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 में स्थित है।

नोट 2: महत्वपूर्ण नीतियों का सार

तैयार करने के आधार

2.1 अनुपालन विवरण

दिनांक 31 मार्च 2018 को और इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद- 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) के अनुसार तैयार किया गया है।

2.2 मापन का आधार

वित्तीय विवरण को ऐतिहासिक लागत अभिसमय तथा संचित आधार पर तैयार किया गया है, केवल निम्नलिखित मदों को छोड़कर, जिन्हें संगत इंड एस द्वारा यथापेक्षित उचित मूल्य पर मापा गया है।

- i. निर्धारित लाभ योजना।
- ii. कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है।

2.3 अनुमानों और निर्णय का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को इंड एस के अनुरूप तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान तथा संभावनाएं प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग तथा वित्तीय विवरणों की तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, की रिपोर्टिंग राशि तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के अनुप्रयोग को प्रभावित करे। वास्तविक परिणाम उनके अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

प्रमुख लेखांकन अनुमान एवं निर्णय:

- वित्तीय प्रलेखों का उचित मूल्य मापन।
- परिसंपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल।
- निर्माण संविदाओं के समापन प्रतिशत का निर्धारण।
- गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि।
- वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि।
- आस्थगित एवं चालू कर अनुमान।

प्राक्कलनों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की समीक्षा आवधिक रूप से की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तनों और उक्त परिणामों व इस अवधि के लिए स्वीकृत अनुमानों, जिसमें परिणाम ज्ञात/सामग्रीगत होते हैं, के बीच अंतरों के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

2.4 रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा गैर-रोकड़ प्रकृति के संव्यवहारों तथा भावी रोकड़ प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित या बीमांकक के संव्यवहारों को प्रभावित करने से पूर्व लाभ/(हानि को) समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

इंड एस-7 में संशोधन

दिनांक 1 अप्रैल 2017 से कंपनी ने इंड एस-7 में संशोधन को स्वीकार कर लिया है, जिसके अंतर्गत निकायों के लिए अपेक्षित है कि वे प्रकटन उपलब्ध कराएं जो वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं के लिए प्रकटन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्तीयन गतिविधियों को उत्पन्न देयताओं के लिए तुलनप; में आरंभिक और समापन शेष के बीच समायोजन का सुझाव देते हुए रोकड़ प्रवाहों और गैर रोकड़ परिवर्तनों से उत्पन्न दोनों परिवर्तनों सहित वित्तीयन गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तनों के मूल्यांकन को संभव बना सके। इस संशोधन को स्वीकार करने से वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

2.5 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

(i) क्रियात्मक और प्रतिपादन मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को उस राष्ट्र की प्रधान अर्थव्यवस्था के पर्यावरण की मुद्रा का प्रयोग करते हुए परिवर्तित किया जाता है, जहां कंपनी प्रचालन कर रही है (यथा क्रियात्मक मुद्रा)। वित्तीय विवरणों को भारतीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी की प्रतिपादन और क्रियात्मक मुद्रा है।

(ii) विदेशी मुद्रा संव्यवहार

(क) भारतीय प्रचालनों में संव्यवहार:

- i. सभी भारतीय मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार तिथि को प्रचलित दर पर क्रियात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।
- ii. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, अमूर्त परिसंपत्ति, निवेश संपत्ति, पूर्वप्रदत्त व्ययों, दरसूची, गैर-मौद्रिक मदों को आरंभिक संव्यवहार की तिथि की दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- iii. मौद्रिक मदों (व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, रोकड़ और बैंक, ऋण तथा कर्ज और अन्य प्राप्य और भुगतानयोग्य) को ऐसी रिपोर्टिंग तिथि को देयताओं हेतु प्रचलित समापन बिक्री दर तथा परिसंपत्तियों को समापन क्रय दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- iv. उपर्युक्त संव्यवहारों के संबंध में विदेशी मुद्रा लाभ या हानियों को लाभ व हानि विवरणों में स्वीकार किया गया है।

(ख) विदेशी प्रचालनों के संव्यवहार

- i. सभी विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार की तिथि को प्रचलित दर पर क्रियात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाएगा।
- ii. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, अमूर्त परिसंपत्ति, निवेश संपत्ति, पूर्वप्रदत्त व्ययों, दरसूची, गैर-मौद्रिक मदों को आरंभिक संव्यवहार की तिथि की दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- iii. मौद्रिक मदों (व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, रोकड़ और बैंक, ऋण तथा कर्ज और अन्य प्राप्य और भुगतानयोग्य) को ऐसी रिपोर्टिंग तिथि को देयताओं हेतु प्रचलित समापन बिक्री दर तथा परिसंपत्तियों को समापन क्रय दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- iv. उपर्युक्त संव्यवहारों के संबंध में विदेशी मुद्रा लाभ या हानियों को लाभ व हानि विवरणों में स्वीकार किया गया है।

विदेशी प्रचालन के परिणाम और वित्तीय स्थिति, जिनकी क्रियात्मक मुद्रा प्रतिपादन मुद्रा से भिन्न है, को निम्नानुसार प्रतिपादन मुद्रा में परिवर्तित किया जाएगा।

- i. परिसंपत्तियां और देयताएं – रिपोर्टिंग तिथि को समापन बिक्री दर।
- ii. आय/व्यय – वर्ष के दौरान औसत विनियम दर।
- iii. क्रियात्मक मुद्रा और प्रतिपादन मुद्रा के परिवर्तन में विनियम अंतरों को ओसीआई (अन्य वृहत आय)में स्वीकार किया जाएगा।
- iv. विदेशी प्रचालन के निपटान पर (ग्राहक से सभी प्राप्यों की वसूली पर) ओसीआई (अन्य वृहत आय) के घटकों को संबंधित विदेशी प्रचालन के लाभ या घाटे में परिवर्तित किया जाएगा।

2.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

- (क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत घटा संचित मूल्यहास तथा गैर वसूली योग्य घाटों, यदि कोई हो, पर मापा जाएगा।
- (ख) मशीनरी कलपुर्जे जिनका प्रयोग केवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में हो सकता है और ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के शेष जीवनकाल पर इनका प्रयोग अनियमित और पूंजीकृत तथा मूल्यहासित/परिशोधित किए जाने की संभावना हो।
- (ग) परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - i. परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागत।
 - ii. निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को उस स्तर तक निर्माण की प्रत्यक्ष लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा जिस स्तर पर वह निर्माण या इसकी आकस्मिकता से

- प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।
- iii. वस्तुओं को उस स्थल से विखंडित करने और हटाने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।
 - iv. प्रतिस्थापन की लागत, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण कलपूर्जों की मरम्मत तथा दीर्घकालीन निर्माण परियोजनाओं की ऋण लागत को पूंजीकृत किया गया है, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।
 - v. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की कोई मद और कोई महत्वपूर्ण भाग जिसे आरंभिक रूप में स्वीकार किया गया है, को उसके निपटान या जब उसके प्रयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो, पर उसे अस्वीकार किया गया है। परिसंपत्ति को अस्वीकार करने पर उत्पन्न कोई लाभ या हानि (निवल निपटान राशि और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को आयकर में शामिल किया गया है।
 - vi. प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को बकाया संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अधिग्रहण के प्रति प्रदत्त राशियां और उन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत, जो उस तिथि से पूर्व वांछित प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, को प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत प्रकट किया जाएगा। वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ होने से पूर्व परियोजनाओं के प्रति प्रत्यक्ष व्यय को परियोजना विकास व्यय के रूप में देखा जाएगा और उन्हें प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

2.7 अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब यह संभावना हो कि भावी आर्थिक लाभ, जो उस परिसंपत्ति के परिणामस्वरूप होगा, वे उपक्रम में प्रवाहित होंगे और परिसंपत्ति के मूल्य का विश्वसनियता के साथ मापन किया जा सकेगा। अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रकटन ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षति, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

2.8 निवेश परिसंपत्तियां

क. निवेश परिसंपत्ति में निर्मित परिसंपत्ति, निर्माणाधीन परिसंपत्ति तथा वित्तीय पट्टे के अंतर्गत धारित संपत्ति जिसे व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बिक्री या उत्पादन या प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग हेतु के स्थान पर किराया अर्जन या पूंजी संवर्धन या दोनों प्रयोजनों के लिए धारित किया गया है।

- ख. निवेश परिसंपत्तियों को लागत पर, संचित मूल्यहास तथा संचित अर्जन घाटों, यदि कोई हो, पर लेखांकित किया जाएगा।
- ग. कंपनी निवेश परिसंपत्तियों के भवन घटक को मूल क्रय की तिथि/निर्माण के समापन की तिथि से 60 वर्षों में मूल्यहासित करेगी।
- घ. निवेश संपत्तियों को या तो उनके निपटान किए जाने पर या प्रयोग से उन्हें स्थायी रूप से वापस लिए जाने पर और उनके निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना पर अस्वीकृत किया जाएगा। निवल निपटान राशि और परिसंपत्ति की प्रतिधारण राशि के बीच के अंतर को अस्वीकृति की तिथि में लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

2.9 सहायक कंपनियों और संयुक्त व्यवस्थाएं

क. सहायक कंपनियों में निवेश

सहायक कंपनियों में निवेश को लागत पर लेखांकित किया जाएगा।

ख. संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्था में निवेश को या तो कार्य भागीदारी व्यवस्था (संयुक्त प्रचालन) के अंतर्गत संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालनों या संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय (संयुक्त उद्यमों) द्वारा निष्पादित संविदाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण संविदागत अधिकारों और प्रत्येक संयुक्त उद्यम साझेदार का दायित्व पर निर्भर करता है ना कि संयुक्त व्यवस्था की विधिक संरचना पर। कंपनी के संयुक्त उद्यम और संयुक्त प्रचालन दोनों हैं।

i) संयुक्त प्रचालन

कंपनी अपने संयुक्त प्रचालनों की परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व तथा व्ययों के अपने प्रत्यक्ष अधिकार और संयुक्त रूप से धारित या वहन परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व और व्ययों को स्वीकार करती है।

ii) संयुक्त उद्यम

(क) अनिगमित संयुक्त उद्यम

- लाभों और हानियों में कंपनी के भाग को संयुक्त उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभों एवं हानियों के निर्धारण पर लेखांकित किया जाएगा।
- कंपनी के भाग के निवल लागत पर किए गए निवेश को लाभ एवं हानि के रूप में स्वीकार किया जाएगा और निवल निवेश को निवेशों, ऋणों तथा अग्रिमों या चालू देयताओं, जैसा भी मामला हो, के रूप में, के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।

(ख) निगमित संयुक्त उद्यम

- निवेशों पर आय को तक स्वीकार किया जाता है जब उसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।
ऐसे संयुक्त उद्यमों में निवेश को मूल्य में किसी कमी के लिए प्रावधान के पश्चात लेखांकित किया जाता है, जो कि स्थाई प्रकृति से इतर का हो।

2.10 मालसूचियां

क) प्रगतिरत निर्माण कार्य

प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसनियता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

ख) अन्य

- i) लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और शंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नहीं है उन्हें नीचे (iii) के अनुसार दर सूची मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।
- ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी संविदाओं के संबंध में, सभी सामग्रियों (पूजीकृत को छोड़कर) के उपयोग को वर्ष लाभ और हानि लेखा को प्रशरित किया जाता है।
- iii) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
- iv) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

2.11 रोकड़ एवं बैंक अधिशेष

तुलन पत्र में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शामिल हैं बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, तीन महीने या कमी की मूल परिवक्वता वाले बैंकों के अन्य अल्पकालीन जमा राशियां, जो मूल्य में परिवर्तन के अपर्याप्त जोखिम के मद्देनजर हैं तथा बैंक ओवरड्रफ्ट।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर में रोकड़, अल्पकालीन बैंक जमा राशियां आदि शामिल हैं जैसाकि ऊपर परिशोधित किया गया है तथा बकार्यो बैंक ओवरड्राफ्ट का निवल परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

2.12 प्रावधान

क. अनुरक्षण के लिए प्रावधान

- i) लागत जमा निविदा में, जहां लागत प्रतिपूर्तियोग्य हो वहां अनुरक्षण के लिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
- ii) संविदागत बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के मामलों में समूह का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसमें संविदागत बाध्यता, उप ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखा जाता है।
- iii) प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में प्रत्येक आंकलित संविदा में प्रबंधन के जोखिम अनुमान के आधार पर अभिकल्प गारंटी अवधि के दौरान अनिश्चित व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है। तथापि, यह न्यूनतम 50 लाख रूपए तथा अधिकतम ग्राहक के साथ संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी की राशि के बराबर होगा।

ख) डीमोबिलाइजेशन के लिए प्रावधान

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

ग) अन्य

प्रावधान किए जाते हैं जब :-

- i) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में समूह का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,
- ii) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की संभावना हो, और

iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है।

घ) प्रावधानों का खंडन

उपर्युक्त बिंदु क, ख तथा ग में स्वीकृत प्रावधान, जिनकी 12 महीनों से अधिक की अवधि में निपटान होने की संभावना है, को प्रिटैक्स रियायत दर का प्रयोग करके वर्तमान मूल्य पर मापित किया गया है जो देयाता के प्रति विशिष्ट जोखिमों को दर्शाते हैं। समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्ययों के रूप में स्वीकार किया गया है।

2.13 राजस्व मान्यता

(क) संविदा राजस्व मान्यता

संविदा राजस्वका अनुमान उस स्तर तक लगाया जाता है जहां तक यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ समूह को मिलते रहेंगे तथा राजस्वों का विश्वसनीय तौर पर आकलन किया जा सकेगा। संविदा प्रकृति के आधार पर राजस्व का अनुमान निम्न रूप में किया जाता है :

(i) लागत लाभ ठेकों में राजस्व का आकलन ग्राहकों को भेजे जाने वाले बिलों में व्यय की स्वीकार्य मदों और उन पर निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रभारित करके किया जाता है।

(ii) नियत मूल्य ठेकों में राजस्व का आकलन प्रमाणित कार्य की सम्पूर्ण लागत तथा पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए आनुपातिक लाभा को शामिल करके किया जाता है। पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का निर्धारण उस तारीख को लगाई गई लागत के ठेके की कुल अनुमानित लागत के अनुपात के रूप में किया जाता है।

(iii) उक्त अवधि में किसी लाभ के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाता है,

जब यह संभावना हो कि कुल संविदा लागत कुल संविदा राजस्व से अधिक होगा तो संभावित हानि को तत्काल व्यय के रूप में स्वीकार किया जाएगा। समूह के पक्ष में दिए गए दावों/मध्यस्थता (उसपर ब्याज सहित), जो संविदा की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की प्रकृति में है, को

संविदा राजस्व पर लेखांकित किया जाता है, जब उन्हें प्रदान किया गया है और जब ऐसे दावों/अवार्डों की वसूली की पूर्ण निश्चितता हो।

(iv) राजस्व में बिक्रीकर/वेट/डब्ल्यूसीटी/सेवाकर आदि सम्मिलित नहीं हैं।

(ख) अन्य राजस्व मान्यता

- (i) लाभांश आय को उस समय लेखांकित किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।
- (ii) ब्याज आय को कुशल ब्याज दर विधि के प्रयोग द्वारा स्वीकार किया जाता है। ब्याज आय को लाभ एवं हानि विवरण में अन्य आय में शामिल किया गया है।

2.14 पट्टा

(क) पट्टेदार के रूप में कंपनी

वित्तीय पट्टा:-

- (i) जो व्यापक स्तर पर सभी जोखिमों और प्रतिफलों को आकस्मिक रूप से परिसंपत्ति के स्वामित्व पर हस्तांतरित करता है।
- (ii) जो न्यूनतम पट्टा भुगतान के उचित मूल्य या वर्तमान मूल्य के निम्नतर पर पट्टा आरंभ पर पूंजीकृत किया जाता है।
- (iii) भुगतानों को वित्तीय प्रभारों और पट्टा देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता की शेष राशि पर ब्याज की स्थिर दर प्राप्त की जा सके।
- (iv) वित्तीय प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय लागतों पर स्वीकार किया गया है।
- (v) परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रासित। तथापि, यदि पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करने की कोई युक्तिसंगत निश्चितता नहीं है तो, परिसंपत्ति को अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि में से कम अवधि पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

प्रचालन पट्टा:-

- (i) पट्टे को प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब जोखिम और प्रतिफलों के प्रमुख भाग को कंपनी पर अंतरित नहीं किया जाता है।
- (ii) आय को पट्टा अवधि के स्थान पर सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया गया है केवल उन स्थानों को छोड़कर जहां पट्टा भुगतान संभावित सामान्य मुद्रास्फीति की तर्ज पर वृद्धि के लिए निर्धारित हो ताकि संभावित स्फीतिकारी लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके।

ख) कंपनी के रूप में पट्टादाता

वित्तीय पट्टा:

- (i) इसे तब मान्यता प्रदान की जाती है जब स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल कंपनी से पट्टादाता को हस्तांतरित होते हैं।
- (ii) देय भुगतान को पट्टों में कंपनी के निवल निवेश पर प्राप्य के रूप में रिकार्ड किया जाता है। वित्तीय पट्टा आय को लंखांकन अवधि में आवंटित किया जाता है ताकि इस पट्ट के संबंध में स्थिर निवल बकाया निवेश पर प्रतिफल की दर को प्रदर्शित किया जा सके।

प्रचालन पट्टा :

- (i) वे पट्टे हैं जिसमें कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को व्यापक रूप से पट्टादाता को हस्तांतरित नहीं करती है
- (ii) कार्य को पट्टा अवधि पर सीधी-रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां पट्टा भुगतान को संभावित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति हेतु संभावित सामान्य वृद्धि की तर्ज पर बढ़ाने के लिए निर्धारित किया जाता है।

2.15 निर्णीत हर्जाना और वृद्धि

- i) संविदागत बाध्यताओं के कारण उत्पन्न विलंबों के परिणामस्वरूप निर्णीत हर्जानों/दंडों (एलडी) और सभशवित रूप से ठेकेदारों द्वारा रोक दिया गया हो/विवादित हों, को इस संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात ही संविदा लागत के प्रति समायोजित किया जाता है। तथापि, ग्राहक द्वारा वसूले गए/रोके गए निर्णीत हर्जानों को वसूली में लेखांकित किया जाता है और संविदा राजस्व के प्रति समायोजित किया जाता है। दंड लगाए जाने के उनके अधिकार

के मद्देनजर ग्राहक द्वारा समय विस्तार दिए जाने वाले मामलों में संशयित निर्णीत हर्जानों को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया जाता है।

ii) वृद्धि प्राप्य/देय को ठेके के प्रावधान के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। वृद्धि प्राप्य लेकिन परियोजना लेखों को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व प्रमाणित न हो तो, उसे चालू कार्य में शामिल किया जाता है।

2.16 अनुसंधान और विकास व्यय

- i) अनुसंधान लागतों को किए जाने की संभावना है।
- ii) व्यक्तिगत परियोजना पर विकास व्ययों को अमूर्त परिसंपत्ति में स्वीकार किया जा सकता है जब कंपनी प्रदर्शित कर कि:
 - अमूर्त परिसंपत्ति को पूरा करने की तकनीकी व्यवहार्यता ताकि परिसंपत्ति प्रयोग या बिक्री के लिए उपलब्ध हो।
 - पूरा करने की इसकी मंश और परिसंपत्ति के प्रयोग या बिक्री की इसकी क्षमता और मंश।
 - इस प्रकार परिसंपत्ति भावी आर्थिक लाभों का सृजन करेगी।
 - परिसंपत्ति को पूरा करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता।
 - विकास के दौरान व्यय की विश्वसनीयता को मापने की क्षमता।

परिसंपत्ति को विकास व्यय के रूप में स्वीकार करने की आरंभिक स्वीकृति के पश्चात, परिसंपत्ति का आकलन लागत घटा संचित परिशोधन तथा संचित क्षतिपूर्ण घाटों पर किया गया है। परिसंपत्ति का परिशोधन तब आरंभ होता है जब विकास कार्य पूरा हो जाता है और परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध है। इसे संभावित भावी लाभ की अवधि के उपर परिशोधित किया जाता है। परिशोधन व्यय को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाता है जबतक कि ऐसे व्यय अन्य परिसंपत्ति के प्रतिधारण मूल्य के भाग का निर्माण न करता हो।

विकास की अवधि के दौरान, परिसंपत्ति को परिशोधन के लिए वार्षिक रूप से परीक्षित किया जाता है।

2.17 संसाधनों को जुटाने पर व्यय

संसाधनों को जुटाने के लिए नई परियोजनाओं पर आरंभिक ठेका व्ययों का निर्धारण उस कार्य के वर्ष में प्रगतिरत निर्माण कार्य के रूप में किया जाता है जिसे वित्त वर्ष के अन्त में ठेके के पूरा

होने के स्तर पर उसी प्रतिशत में आगामी वर्षों के लिए परियोजना में पूर्व दरों पर प्रभारित माना जाएगा ।

2.18 मूल्यहास एवं परिशोधन

- क. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा आधार (एमएलएम) पर प्रावधान किया गया है ।
- ख. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद के प्रत्येक भाग को पृथक रूप से मूल्यहासित किया जात है । यदि उस भाग का मूल्य मद की कुल लागत के सापेक्ष में महत्वपूर्ण भाग है और उस भाग का उपयोगी जीवन अन्य शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है ।
- ग. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की महत्वपूर्ण मदों की चालू अवधि के लिए परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:

विवरण	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)
संयंत्र और मशीनरी	12 वर्ष
कम्प्यूटर	03 वर्ष
फर्नीचर, फिक्सचर एवं फर्निशिंग	10 वर्ष
कार्यालयी उपकरण	05 वर्ष
लेबोरेटरी उपकरण	10 वर्ष
वाहन	10 वर्ष

- घ. पट्ट वाली भूमि तथा उसमें परिशोधनों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि पर परिशोधित किया जाएगा ।
- ड. मूल्यहास अवधियों, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा तथा भावी समायोजन, यदि उपयुक्त हो, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी ।
- च. वर्ष के दौरान अधिग्रहित सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण, जिनकी लागत पृथक रूप से 5000 रूपए तक है, को चिह्नन के लिए 1 रूपए के सांकेतिक मूल्य पर मूल्यहासित किया जाएगा ।

अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन

- क) अमूर्त परिसंपत्तियों को उपयोग के लिए उनके उपलब्ध होने की तिथि से सीधी रेखा आधार पर उनके संबंधित उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाएगा

अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल:

अमूर्त परिसंपत्तियां	उपयोगी जीवनकाल	आंतरिक रूप से सृजित या स्व:सृजित
पट्टा अधिकार	एमएफसी का उपयोगी जीवन	आरंभ में सृजित

- ख) परिशोधन विधि, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी।
- ग) प्रत्येक मामले में 25 लाख रूपए की साफ्टवेयर लागत को चिह्नन के लिए 1 रूपए के सांकेतिक मूल्य रखते हुए क्रय के वर्ष में पूर्णतः परिशोधित किया जाएगा।
- घ) उपर्युक्त नीति संख्या 2.6(च) में उपर संदर्भित पूंजीगत व्यय को उस वर्ष से पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है, जिस वर्ष संबंधित परियोजना प्रचालन में आई है।

2.19 गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

किसी परिसंपत्ति को क्षतिपूर्ण तब माना जाता है जब उक्त परिसंपत्ति का वसूलनीय मूल्य परिसंपत्ति की वहन लागत से अधिक हो जाता है और इंपेयर्ड हानि को उस वर्ष के लाभ हानि खाते में लेखांकित किया जाता है, जिसमें परिसंपत्ति को क्षति के रूप में पहचाना गया है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर क्षतिपूर्ण घाटे की अनुमानित राशि का आकलन करती है। पूर्व लेखांकन अवधि में लेखांकित इंपेयर्ड क्षति को रिवर्स किया जाता है यदि वसूलीयोग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है और ऐसी हानियां अब विद्यमान नहीं हैं या कम हो गई हैं। व्युत्क्रम या आंशिक हानियों को लाभ व हानि विवरण में लेखांकित किया जाएगा।

2.20 उधार लागतें

- (i) सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रूप में प्राभाहित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं।

- (ii) अधिग्रहण, अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से होने वाली उधार लागत को वाणिज्यिक प्रचालनों के आरंभ होने तक ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

2.21 कर्मचारी लाभ

(क) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किए जाने हेतु संभावित अल्पकालीन कर्मचारी लाभों की गैर-रियायती राशि को उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में लेखांकित किया जाएगा जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

(ख) सेवा पश्चात लाभ तथा अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

- i) भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ परिशोधित अंशदान योजना है। भविष्य निधि ट्रस्ट तथा पेंशन ट्रस्ट के लिए अंशदान को उस वर्ष के लिए लाभ हानि खाते के विवरण में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष अंशदान देय है।
- ii) दीर्घकालीन अवकाश नकदीकरण, उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान वर्ष के अंत में बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- iii) बीमांकक लाभों और हानियों को अन्य वृहत आय में स्वीकार किया जाता है।
- iv) अन्य वृहत आय में स्वीकृत निवल निर्धारित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के पुनर्मापनों को अनुवर्ती अवधि में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

अन्य :

- i) कंपनी में कार्य करने वाले नामांकन/सेकेंडमेंट आधार पर तथा धारक कंपनी के रोल वाले कर्मचारी। दीर्घकालीन अवकाश नकदीकरण, उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान धारक कंपनी द्वारा वर्ष के अंत में बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- ii) नामांकन/सेकेंडमेंट आधार पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के अन्य सभी प्रावधान धारक कंपनी द्वारा किए जाएंगे।
- iii) केवल श्रीलंका शाखा में तैनात संविदा कर्मचारी के लिए अवकाश वेतन का प्रावधान लेखा बहियों में किया जाता है क्योंकि उन्हें कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं है।

- iv) नामांकन/सेकेंडमेंट आधार पर कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान का प्रावधान धारक कंपनी द्वारा अपने पीएफ ट्रस्ट में संचित आधार पर किया जाता है।

2.22 कर

(क) चालू आयकर

- (i) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है।
- (ii) राशि के परिकलन के लिए प्रयेक्त कर दरें और कर कानून वे हैं जिन्हें उन देशों में रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रूप से पारित किया गया है जहां कंपनी प्रचालन कर रही है और करयोग्य आय का सृजन हो रहा है।
- (iii) चालू तथा पूर्व अवधियों के लिए चालू आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं का आकलन वसूली की संभावित राशि या कर प्राधिकारियों को भुगतान की गई राशि पर किया जाता है। अतिरिक्त कर के लिए देयता, यदि कोई हो, का प्रावधान/भुगतान तक किया जाता है जब आकलन पूरे हो जाते हैं।
- (iv) ओसीआई मदों के संबंध में चालू कर को अन्य वृहत आय में स्वीकृत किया जाता है।

(ख) आस्थगित कर

- (i) आस्थगित आय कर को आगामी तुलनपत्र का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।
- (ii) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं को अस्थायी अंतर पर स्वीकार किया जाता है, जिसका परिकलन कर दरों और कर कानूनों के प्रयोग से किया जाता है जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रूप से पारित किया गया है।
- (iii) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों को यथा संभव उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जहां करयोग्य लाभ उपलब्ध हो जिसके प्रति कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों, तथा अप्रयुक्त कर ऋणों और अप्रयुक्त कर घाटों के कैरीफॉवर्ड को प्रयोग किया जा सके।
- (iv) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की प्रतिधारण राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा।
- (v) ओआईसी मद से संबंधित आस्थगित कर को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है।

2.23 प्रचालन सेगमेंट

प्रचालन सेगमेंट को इस रूप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो।

तदनुसार, कंपनी ने परियोजना के परामर्श, श्रमशक्ति आपूर्ति, एमएफसी को उपपट्टे, तथा संयंत्र एवं मशीनरी व अन्य प्रचालनिक राजस्व के आधार पर पांच प्रचालनिक रिपोर्टिंग सेगमेंटों और परियोजनाओं के भौगोलिक स्थल यथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर के आधार पर दो प्रचालनिक रिपोर्टिंग सेगमेंटों की पहचान की है।

2.25 प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकार्यो शेयरों की संख्या का औसत है। प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकार्यो शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

2.25 आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

- क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।
- भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हों, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या
 - वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हों; या
 - एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।
- ख) आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।
- ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।
- घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान में रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

2.26 उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर वित्तीय माध्यमों को मापती है। उचित मूल्य वह कीमत है जो परिसंपत्ति की बिक्री या देयता के अंतरण के लिए भुगतान हेतु मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित संव्यवहार से प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति की बिक्री या देयताओं के अंतरण का संव्यवहार इनमें से किसी रूप में निष्पादित होगा:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार, या
- प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, बाजार या देयता के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार।

प्रमुख या सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार कंपनी के लिए सुगम्य होना चाहिए। परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन इस अनुमान के साथ किया जाता है कि बाजार भागीदार यह इसका प्रयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण हेतु, इस अनुमान के साथ कि बाजार भागीदार अपने सर्वोत्तम आर्थिक हितों पर कार्य करेंगे। कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करती है जो उन

परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं और जिसके लिए उचित मूल्य मापन हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, जिससे संगत अवलोकनीय जानकारियों के अधिकतम प्रयोग और अनावश्यक जानकारियों के निम्नतम प्रयोग को संभव बनाया जा सके।

परिसंपत्तियां और देयताएं जिसके लिए वित्तीय विवरण में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर निम्नानुसार वर्णित उचित मूल्य क्रम के भीतर श्रेणीबद्ध किया जाता है।

- स्तर 1 – कोट किया गया (समायोजित) समरूपी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजारों में बाजार मूल्य।
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतर स्तर इनपुट का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जाता है।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतर स्तर इनपुट गैर अवलोकन किया जाता है।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पुनःआंकलन श्रेणीकरण (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा निर्धारित करती है कि क्या इस पदक्रम के स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को, कंपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों के संचलन का विश्लेषण करती है, जिसकी आवश्यकता लेखांकन नीतियों के अनुसार पुनःमापन या पुनःआंकलन के लिए होती है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी संविदाओं और अन्य संगत अभिलेखों के मूल्यांकन परिकलन की सूचना से सहमत होकर अद्यतन मूल्यांकन में लागू प्रमुख इनपुटों को सत्यापित करती है।

कंपनी संगत बाहरी स्रोतों से प्रत्येक परिसंपत्ति और दायित्व के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना भी करती है ताकि निर्धारित किया जा सके कि परिवर्तन युक्तिसंगत है।

उचित मूल्य प्रकटनों के प्रयोजन से, कंपनी परिसंपत्तियों या देयताओं की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों तथा उपर्युक्त मूल्य क्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियों का निर्धारण करती है।

2.27 इक्विटी धारकों को लाभांश

प्रदत्त/देय लाभांश को उस वर्ष के लिए स्वीकार किया जाता है, जिस वर्ष संबंधित लाभांशों को यथा उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

2.28 वित्तीय माध्यम

क. आरंभिक स्वीकृति और मापन

वित्तीय माध्यमों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय माध्यमों के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं।

ख. अनुवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

क) परिशोधित मूल्य पर ऋण माध्यम

ऋण माध्यमों को परिशोधित लागत पर मापा जाएगा यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

i) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के भीतर ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

ii) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकार्यो मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है।

ख) अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण माध्यम (एफवीटीओसीआई)

ऋण माध्यम को अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होते हैं:

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और
- परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के भीतर शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर-स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

(ग) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण माध्यम

एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ऋण माध्यमों को नामित करने के लिए चयन कर सकती है, जो अन्यथा एवीटीपीएल पर परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मापदंड को पूरा करते हैं। ऐसा करने पर मापन या अस्थायी स्वीकृति कम होती है या समाप्त हो जाती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत शामिल ऋण उपकरणों को लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

वित्तीय देयताएं

(क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रभावी ब्याज दर विधि पर व्यापार तथा अन्य देयों, प्रतिभूति जमा राशियों और प्रतिधारण राशियों के रूप में परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं को आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर प्रतिधारित किया जाता है

(ख) एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं

कंपनी एफवीटीपीएल पर किसी वित्तीय परिसंपत्तियों को नामित नहीं करती है।

(ग) गैर-स्वीकार्यता

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का भाग) को केवल तभी गैर-स्वीकृत किया जाता है जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है या वह व्यापक स्तर पर वित्तीय परिसंपत्तियों को अंतरित करता है या परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों या लाभों को अंतरिक करता है।

वित्तीय देयता

वित्तीय देयता को गैर-स्वीकृत तब किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वाहन हो जाता है या वह रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब व्यापक रूप से भिन्न शर्तों पर या मौजूदा देयताओं की शर्तों पर व्यापक आशोधनों द्वारा मौजूदा वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से अन्य वित्तीय देयता के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो ऐसे विनियम या आशोधन को मूल देयता की गैरस्वीकृति माना जाएगा और नए देयता को स्वीकार किया जाएगा, तथा संबंधित प्रतिधारण राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाएगा।

(घ.) वित्तीय विवरणों की हानि

कंपनी क्षतिपूर्ण हानि के मापन तथा स्वीकृति के लिए संभावित ऋण घाटा मॉडल का प्रयोग करती है। कंपनी व्यापार प्राप्य पर क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते की स्वीकृति के लिए सरलीकृत परिदृश्य का अनुसरण कर रही है। सरलीकृत परिदृश्य के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को ऋण जोखिम में रेलपथ परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है। बल्कि वह आरंभिक स्वीकृति से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को जीवनभर ईसीएल के आधार पर क्षतिपूर्ण घाटे को स्वीकार किया है।

कंपनी परिशोधित लागत और एफवीटीओसीआई ऋण माध्यमों पर प्रतिधारित परिसंपत्तियों के साथ संबद्ध अनुमानित ऋण घाटों के आधार पर आकलन करती है।

इस अवधि के दौरान स्वीकृत ईसीएल क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते (रिवर्सल पर) को लाभ और हानि विवरण में आय/व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2.29 बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह)

गैर चालू परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) को परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसे बिक्री के लिए धारित किया गया है जब इसकी प्रतिधारण राशि को बिक्री संव्यवहार तथा के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से वसूली की जाए और बिक्री को अत्यधिक संभावित है। बिक्री को अत्यधिक संभावित तब माना जाता है जब परिसंपत्ति निपटान समूह अपनी वर्तमान शर्तों पर तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह संभव नहीं है कि बिक्री को वापस लिया जाएगा और वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर। बिक्री के लिए प्रतिधारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को प्रतिधारण राशि और उचित मूल्य घटा बिक्री की लागतों में से जो कोई भी कम हो पर वर्णित किया जाएगा। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पश्चात मूल्यहासित या परिशोधित नहीं किया जाता है।

बिक्री /संवितरण के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियों को तुलन पत्र में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

यदि इंड एस-105 बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां द्वारा वर्णित मापदंड पूरे नहीं किए जाते हैं तो, निपटान समूह को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण से बाहर किया जाएगा। गैर चालू परिसंपत्तियां जिन्हें बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण से बाहर किया गया है उन्हें (i) बिक्री के लिए धारित अनुसार वर्गीकरण से पूर्व परिसंपत्ति की प्रतिधारण राशि, मूल्यहास के लिए समायोजित, जिसे यदि स्वीकार किया जाता तो उसे परिसंपत्ति को बिक्री के

लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता, और (ii) उस तिथि को इसकी वसूलीयोग्य राशि जब निपटान समूह बिक्री के लिए धारित अनुसार वर्गीकरण से बाहर किया जाए, जो कोई भी कम हो।

2.30 वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए जारी किन्तु प्रभावी न किए गए मानक:

(क) इंड एस 115 ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व

एमसीए ने दिनांक 28 मार्च 2018 को ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व पर इंड एस 115 को अधिसूति किया था। इस मानक में नए पांच चरणीय मॉडल को स्थापित किया गया है जो ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व पर लागू होगा। इंड एस 115 के अंतर्गत, राजस्व को उस राशि पर स्वीकार किया जाता है, जो ग्राहकों को वस्तुओं या सेवाओं के अंतर्गत के लिए विनिमय में निकाय द्वारा प्राप्त की जाने वाली संभावित राशि है। इंड एस 115 का सिद्धांत राजस्व के मापन और स्वीकृति को अधिक संरचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। नया राजस्व मानक सभी

निकायों पर लागू है और यह इंड एस के अंतर्गत सभी वर्तमान राजस्व मान्यता अपेक्षाओं का अधिक्रमण करेगा।

इंड एस 115 की प्रभावी तिथि दिनांक 1 अप्रैल 2018 को या उसके पश्चात आरंभ होने वाली वार्षिक अवधियां हैं। कंपनी के लिए अपेक्षित है कि वह दिनांक 1 अप्रैल 2018 से आरंभ वित्तीय वर्ष से इन मानकों को स्वीकार करे। कंपनी वर्तमान में इंड एस 115 की अपेक्षाओं का मूल्यांकन कर रहा है और उसने अभी वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया है।

3. परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

विवरण	संयंत्र एवं मशीनरी	कम्प्यूटर	फर्नीचर, फिक्सचर, फर्निशिंग	वतानुकूलन	विद्युत उपकरण	कार्यालय उपकरण	प्रयोगशाला उपकरण	वाहन
ताम्रत या मूल्यांकन								
1 अप्रैल 2016 को	127,206,078	698,069	267,669	82,500	50,200	47,149	-	-
संर्जन	727,850	266,979	19,809	27,235	-	55,762	224,324	149,800
निपटान/समायोजन	-	40,000	14,600	-	-	-	-	-
31 मार्च 2017 को	127,933,928	925,048	272,878	109,735	50,200	102,911	224,324	149,800
संर्जन	-	1,308,061	68,988	17,114	90,436	215,470	43,200	-
निपटान/समायोजन	-	3,350	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2018 को	127,933,928	2,229,759	341,866	126,849	140,636	318,381	267,524	149,800
संचित मूल्यह्रास और हानि								
1 अप्रैल 2016 को	27,923,272	293,829	67,212	13,685	8,327	9,870	-	-
वर्ष के लिए प्रसारित मूल्यह्रास	15,884,681	251,371	19,907	19,651	10,612	17,985	19,576	3,859
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	18,965	1,056	-	-	-	-	-
31 मार्च 2017 को	43,807,953	526,235	86,063	33,336	18,939	27,855	19,576	3,859
वर्ष के लिए प्रसारित मूल्यह्रास	15,890,866	329,830	22,761	22,447	17,421	28,911	24,036	14,226
निपटान/समायोजन	-	647	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2018 को	59,698,819	855,418	108,824	55,783	36,360	56,766	43,612	18,085
निवल बही मूल्य								
31 मार्च 2017 को	68,235,109	1,374,341	233,042	71,066	104,276	261,615	223,912	131,715
31 मार्च 2018 को	84,125,975	398,813	186,815	76,399	31,261	75,056	204,748	145,941

गैर चालू परिसंपत्तियां

4. प्रगतिस्त पूंजीगत कार्य

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	रशि
1 अप्रैल 2016 को आरंभिक शेष	-
संर्जन (आगामी व्यय)	19,988,399
समायोजन	-
31 मार्च 2017 को अंतिम शेष	19,988,399
संर्जन (आगामी व्यय)	1,727,239
समायोजन	-
31 मार्च 2018 को अंतिम शेष	21,715,638
निवल बही मूल्य	
31 मार्च 2018 को	21,715,638
31 मार्च 2017 को	19,988,399

	1 अप्रैल 2017 को आरंभिक शेष	2017-18 के दौरान संर्जन	सीडब्ल्यूआईपी का अमूर्त परिसंपत्ति में पूंजीकरण (पट्टा अधिकार)	31 मार्च 2018 को शेष
* विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियों का व्यौर				
प्रगतिस्त पूंजीगत कार्य (रेलपथ मशीन)				
रेलपथ मशीन सीएसएम 906	6,380,094	53400	-	6,433,494
रेलपथ मशीन सीएसएम 911	6,380,094	53400	-	6,433,494
रेलपथ मशीन यूपनआईएमएटी	6,083,797	0	-	6,083,797
रेलपथ मशीन व्यय	1,144,414	1620439	-	2,764,853
कुल	19,988,399	1,727,239	-	21,715,638

	1 अप्रैल 2016 को आरंभिक शेष	2016-17 के दौरान संर्जन	सीडब्ल्यूआईपी का अमूर्त परिसंपत्ति में पूंजीकरण (पट्टा अधिकार)	31 मार्च 2017 को शेष
* विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियों का व्यौर				
प्रगतिस्त पूंजीगत कार्य (रेलपथ मशीन)				
रेलपथ मशीन सीएसएम 906	-	6,380,094	-	6,380,094
रेलपथ मशीन सीएसएम 911	-	6,380,094	-	6,380,094
रेलपथ मशीन यूपनआईएमएटी	-	6,083,797	-	6,083,797
रेलपथ मशीन व्यय	-	1,144,414	-	1,144,414
कुल	-	19,988,399	-	19,988,399

5. अमूर्त परिसंपत्ति

(आंकड़े रूप में)

विवरण	साफ्टवेयर	फ्टा अधिकार	कुल
1 अप्रैल 2016 को आरंभिक शेष	-	972,737,423	972,737,423
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-
समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2017 को अंतिम शेष	-	972,737,423	972,737,423
वर्ष के दौरान संवर्धन	17,445	-	17,445
समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2018 को अंतिम शेष	17,445	972,737,423	972,754,868
परिशोधन एवं हानि			
1 अप्रैल 2016 को आरंभिक शेष	-	33,517,382	33,517,382
परिशोधन	-	19,940,793	19,940,793
हानि	-	-	-
समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2017 को अंतिम शेष	-	53,458,175	53,458,175
परिशोधन	17,445	25,365,044	25,382,489
हानि	-	-	-
समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2018 को अंतिम शेष	17,445	78,823,219	78,840,664
निक्ल बही मूल्य			
31 मार्च 2018 को	-	893,914,204	893,914,204
31 मार्च 2017 को	-	919,279,248	919,279,248

1. फ्टा अधिकार: कंपनी ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बहुउद्देशीय परिसरों में निर्माण के लिए आरएलडीए (रेल भूमि विकास प्राधिकरण) के साथ समझौता करार में प्रवेश किया है। भूमि रेलवे की है और कंपनी ने उस पर भकों का निर्माण किया है तथा एमएफसी के आरंभ होने की तिथि से 45 वर्षों के लिए फ्टा अधिकार (वाणिज्यिक अधिकार) प्राप्त है।

2. फ्टा अधिकार को उस तिथि से फ्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है, जिसमें संबंधित परियोजना प्रॉरेटा आधार पर वाणिज्यिक प्रवालन में आई है। वर्ष के दौरान परिशोधित राशि है 2,53,85,044 रूपए (द्वितीय वर्ष 2017-18 के लिए 1,99,40,793 रूपए)।

गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

6 अन्य

(आंकड़े रूप में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
वसूली योग्य : रक्षित		
12 महीनों से अधिक की शेष परिपक्वता वाली साविधि जमा राशियां	37,770,000	-
कर्मचारी ऋण और अग्रिमों पर संचित ब्याज	-	72,379
वसूली योग्य : अरक्षित		
जमा राशियां		
- सांविधिक विभागों के साथ -	358,188	358,188
कुल	38,128,188	430,567

7. आस्थगित कर

शेष में कर्णीय बस्थायसी बंतर शामिल

(बांकड़े रूप में)

वितरण	31 मर्च 2018 को	31 मर्च 2017 को
बास्थगित कर देयता		
परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपकरण व अपूर्ति परिसंपत्तियां	184,684,145	177,937,760
कुल बास्थगित कर देयताएं	184,684,145	177,937,760

बास्थगित कर परिसंपत्तियां		
रुपदान	38,686	17,966
अवकाश केतन	53,441	201,792
पीडवारपी	108,982	45,754
डीमोबिलाइजिंग	-	4,672,080
अन्य व्यय	5,398,130	8,547,565
कुल बास्थगित कर परिसंपत्तियां	5,599,238	13,485,158
निक्ल बास्थगित कर (परिसंपत्ति)/ देयता	179,084,906	164,452,602

बास्थगित कर देयता/(परिसंपत्ति) में संक्लन

वितरण	पीपीपी (परिसंपत्ति, संयंत्र व उपकरण)	कर्मचारी लाभ दायित्व	अन्य व्यय	कुल
31 मर्च 2018 को समाप्त शेष	114,955,742	-441,180	-	114,514,562
2016-17 के दौरान प्रसारित/(नाशे) लाभ व हानि खते में अन्य कृत आय में	62,982,018	175,668	-13,219,645	49,938,040
31 मर्च 2017 को समाप्त शेष	177,937,760	-265,512	-13,219,645	164,452,602
2017-18 के दौरान प्रसारित/(नाशे) लाभ व हानि खते में अन्य कृत आय में	6,746,385	67,302	7,821,515	14,635,202
		-2,898		-2,898
31 मर्च 2018 को समाप्त शेष	184,684,145	-201,109	-5,398,130	179,084,906

चालू परिसंपत्तियां

8. दस्सूचियां

(आंकड़े रूप में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
सामग्री एवं भंडारण		
– हाथ में	33,583	22,601
– तीसरे पक्ष के पास	-	
– ट्रांजिट में	-	
प्रगतिरत कार्य	-	
कुल	33,583	22,601

9. वित्तीय परिसंपत्तियां

9.1 व्यापार प्राप्य

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
वसूली योग्य : रक्षित		
व्यापार प्राप्य*	381,287,981	362,849,796
कुल	381,287,981	362,849,796

*व्यापार प्राप्यों का ब्यौरा

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
वसूली योग्य : रक्षित		
(क) संबंधित पक्षों से – इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	39,112,558	64,935,613
(ख) अन्यो से	342,175,423	297,914,183
वसूली योग्य : अरक्षित	-	-
संदिग्ध	-	-
	381,287,981	362,849,796
संदिग्ध प्राप्यों हेतु प्रावधान	-	-
कुल व्यापार प्राप्य	381,287,981	362,849,796

उपर उल्लिखित व्यापार प्राप्य में कंपनी, फर्म के अधिकारियों को देय ऋण शामिल नहीं हैं, जिनमें निदेशक साझेदार हैं या निजी कंपनी जिनमें निदेशक सदस्य हैं।

9.3 रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

(आंकड़े रूप में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
उपलब्ध रोकड़	101,548	-
उपलब्ध चेक/ड्राफ्ट		
बैंकों में शेष:		
– चालू खातों में	14,734,323	71,625,537
– फ्लैक्सिबिलिटी खाते	115,038,972	133,003,856
–तीन माह से कमी की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियां	-	156,362,834
कुल	129,874,843	360,992,227

9.3 रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों के अतिरिक्त बैंक शेष

(आंकड़े रूप में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
अन्य बैंक शेष		
– 3 महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियां	417,205,605	193,641,582
कुल	417,205,605	193,641,582

9.4 ऋण

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
प्रतिभूति जमा राशियां	563,500	561,000
कर्मचारी ऋण*		
क. वसूली योग : रक्षित	-	-
ख. वसूली योग : अरक्षित	-	19,327
कुल	563,500	580,327

*उपर उल्लिखित ऋण और अग्रिम में कंपनी, फर्म के अधिकारियों को देय ऋण शामिल नहीं हैं, जिनमें निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिनमें निदेशक सदस्य है।

9.5 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
वसूलीयोग्य – रक्षित		
कर्मचारी ऋणों और अग्रिमों पर संचित ब्याज	58,714	83,835
बैंकों में एफडीआर पर संचित ब्याज	13,712,349	14,914,563
वसूलीयोग्य – अरक्षित		
ग्राहकों द्वारा आहरित राशि/प्रतिधारण राशि	4,833,021	6,280,607
बयाना जमा राशि	2,800,000	400,000
कुल	21,404,084	21,679,005

10. चालू कर

चालू कर परिसंपत्तियां

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
आयकर के लिए प्राक्धान (अग्रिम कर और टीडीएस का प्राक्धान)	2,065,416	-
अग्रिम कर/टीडीएस प्राप्य (पिछले वर्ष)	67,256,781	16,376,839
कुल	69,322,197	16,376,839

11. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
पूंजी अग्रिमों से इतर अग्रिम		
ठेकेदारों को अग्रिम	2,100,000	-
अन्य		
पूर्वप्रदत्त व्यय	966,267	1,185,252
बिल योग्य राजस्व	20,159,283	25,353,373
स्टाफ को इम्प्रेस्ट	48,106	-
अग्रिम में प्रदत्त ब्याज – संबंधित पक्ष	-	104,960
कुल	23,273,656	26,643,585

12. इक्विटी शेयर पूंजी

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
10 रुपए के पूर्व प्रदत्त 6,50,00,000 इक्विटी शेयर (इक्विटी शेयर)	650,000,000	650,000,000
	650,000,000	650,000,000
जारी/अशदायी तथा प्रदत्त पूंजी		
10 रुपए के पूर्व प्रदत्त 6,50,00,000 इक्विटी शेयर (इक्विटी शेयर)	650,000,000	650,000,000
	650,000,000	650,000,000

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता का व्यौर

(आंकड़े रुपए में)

शेयरधारक के नाम	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	लाख में	श्रेणी में % धारिता	लाख में	श्रेणी में % धारिता
इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इस्कॉन)	65,000,000	100.00%	65,000,000	100.00%
कुल	65,000,000	100.00%	65,000,000	100.00%

रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पांच वर्ष पूर्व की अवधि के लिए रोकड़ एवं शेयरों से इतर विचारणीय बांडों के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयरों की समग्र संख्या।

	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
रोकड़ से इतन आवंटित इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-
बोनस के रूप में जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

इक्विटी शेयरों और शेयर पूंजी का समाप्तान

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में जारी/अशदायी तथा प्रदत्त इक्विटी पूंजी बकाया	65,000,000	650,000,000	65,000,000	650,000,000
जमा : वर्ष के दौरान जारी शेयर	0	0		
वर्ष के अंत में जारी/अशदायी तथा प्रदत्त इक्विटी पूंजी बकाया	65,000,000	650,000,000	65,000,000	650,000,000

नोट

1) कंपनी के पास 10.00 रुपए प्रति शेयर के पार मूल्य वाले इक्विटी की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक प्रत्येक शेयर के लिए केवल एक मत का पात्र है दिवालियापन के मामले में इक्विटी शेयरधारक सभी प्रेफरेंशियल राशियों के सवितरण के पश्चात अपने शयस्धारिता के अनुपात में कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र है।

13. अन्य झकट्टी
(आंकडे रूप में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
प्रतिघासित आमदनियां	-	-
सामान्य आरक्षित निधि	633,528,980	496,990,598
शेयर आवेदन रीशि लवित आवंटन	-	-
कुल	633,528,980	496,990,598

13.1 प्रतिघासित आमदनियां
(आंकडे रूप में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
आरमिक शेव	-	-
जमा : लाम व हानि विवरण से अंतसित लाम	136,543,859	123,627,787
जमा : निघासित लाम दावित्वां के पुनर्माण से उत्पन अन्य आय	-5,477	-
घटा : सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	136,538,383	123,627,787
समानन शेव	-	-

कंपनी ने वर्ष के लिए किसी लामांश की घोषणा नहीं की है।

सामान्य आरक्षित निधि
(आंकडे रूप में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
आरमिक शेव	496,990,598	373,362,811
जमा : लाम व हानि विवरण से अंतसित लाम	136,538,383	123,627,787
समानन रूप	633,528,980	496,990,598

गैर चालू देयताएं
 14. वित्तीय देयताएं
 14.1 ऋण

(आंकड़े रूप में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
अरक्षित ऋण संबंधित पक्षों से ऋण —इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	-	183,400,000
कुल	-	183,400,000

14.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(आंकड़े रूप में)

जमा : लाम व हानि विवरण से अंतरित लाम	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
प्रतिधारण राशि	350,469	-
कुल	350,469	-

15. प्राक्धान
(आंकड़े रूप में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
कर्मचारी लाभों के लिए प्राक्धान :		
i) उपदान	111,667	51,863
ii) अवकाश वेतन	150,996	578,040
कुल	262,663	629,903

16. अन्य गैर चालू देयताएं
(आंकड़े रूप में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
एमएफसी के उपपट्टे से अपफ्रंट राशि	314,739,447	336,842,330
कुल	314,739,447	336,842,330

17.1 ऋण

(आंकड़े रूप में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
अरक्षित ऋण – संबंधित पक्ष		
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	-	45,800,000
कुल	-	45,800,000

17.2 व्यापार देय

(आंकड़े रूप में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
अन्य		
(क) ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता	10,007,606	7,292,738
(ख) संबंधित पक्ष		
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	-	-
कुल	10,007,606	7,292,738

17.3 अन्य वित्तीय देयताएं
(आंकड़े रूप में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
अन्य देय राशियां		
कर्मचारियों को देय	1,698,491	1,676,859
जमा राशियां, प्रतिधारण राशि	23,393,511	26,763,967
अन्य	19,102	182,341
अन्य व्यय – प्राक्धान	15,597,924	24,698,235
डीमोबिलाइजेशन	-	13,500,000
अन्य देय – इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड		
ऋणों पर देय ब्याज		
– कर्मचारियों के पश्चिम, अन्य व्यय आदि के प्रतिपूर्ति के प्रति	10,137,156	5,234,189
– किराए के भुगतान के प्रति	-	422,852
कुल	50,846,184	72,478,444

18. अन्य चालू देयताएं
(आंकड़े रूप में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
अन्य		
साविधिक देय:		
अग्रिम में प्राप्त आय	9,071,133	2,647,365
	219,148,724	47,057,910
कुल	228,219,857	49,705,275

19. प्राक्धान
(आंकड़े रूप में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
कर्मचारी लागों के लिए प्राक्धान :		
i) उपदान	116	51
ii) अवकाश वेतन	3,421	5,038
iii) पीआरपी	314,905	132,206
कुल	318,442	137,295

20. प्रचालनों से राजस्व
(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) सेवाओं की बिक्री		
एमएफसी के उपपट्टे से पट्टा किराया		
— अन्य	148,277,654	136,623,588
— संबंधित पक्ष		
उपकुल	148,277,654	136,623,588
श्रमशक्ति आपूर्ति		
— अन्य		
— संबंधित पक्ष	4,816,293	21,908,951
उपकुल	4,816,293	21,908,951
संयंत्र एवं मशीनरी को पट्टा पर देना		
— अन्य		
— संबंधित पक्ष	-	16,912,324
उपकुल	-	16,912,324
परियोजना प्रबंधन परामर्श		
— अन्य	154,616,659	178,989,972
— स्वच्छ भारत अभियान परियोजनाएं	407,550	4,848,789
— संबंधित पक्ष		
उपकुल	155,024,209	183,838,761
(ख) अन्य प्रचालनिक राजस्व		
सीएसआर और स्वच्छ भारत अभियान परियोजनाओं का निष्पादन		
अन्य	15,433,237	50,538,799
संबंधित पक्ष	-	-
उपकुल	15,433,237	50,538,799
कुल	323,551,393	409,822,423

21. अन्य आय
(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
बैंक ब्याज सकल	38,404,577	31,577,030
कर्मचारी अग्रिम पर ब्याज	315	385
प्राप्य एवं अग्रिम पर ब्याज	26,471,353	30,605,055
आयकर की प्रतिपूर्ति पर ब्याज	369,864	-
विनिमय उच्चावचलन लाभ	983,905	
अन्य गैर प्रचालनिक आय		
— अन्यो से	1,403,133	368,631
— संबंधित पक्ष (इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड)	-	-
कुल	67,633,147	62,551,101

22 प्रचालनिक आय
(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रचालनों से लागत	86,040,715	132,752,151
कुल	86,040,715	132,752,151

i) प्रचालनों से लागत का ब्यौरा
(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्य व्यय – सीएसआर	12,755,358	51,863,699
कार्य व्यय – परामर्श कार्य	8,402,613	37,857,924
कार्य व्यय – एमएफसी का पट्टा	43,911,270	41,656,307
कार्य व्यय – ईएमपी लैब का प्रचालन एवं अनुसंधान	977,815	1,346,643
अन्य परियोजनाओं के लिए कार्य व्यय	3,892,661	27,578
कार्य व्यय – एलपीएसआई	930,000	-
कार्य व्यय – एमईए	15,170,999	-
कुल	86,040,715	132,752,151

23. कर्मचारी लाभ व्यय
(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन एवं पारिश्रमिक	39,164,298	28,136,821
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान	2,838,876	3,054,235
कुल	42,003,173	31,191,056

24. वित्तीय लागत
(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज व्यय		
— संबंधित पक्ष से ऋण पर ब्याज (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड)	11,916,642	26,338,830
कुल	11,916,642	26,338,830

25. मूल्यहास, परिशोधन एवं हानि
(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
परिसंपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	16,350,497	16,227,642
अमूर्त परिसंपत्तियां	25,382,485	19,940,793
कुल	41,732,982	36,168,435

26. अन्य व्यय
(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
दरें एवं कर	2,046,005	539,166
यात्रा एवं कन्वेंस	10,542,400	7,316,530
मुद्रण एवं स्टेशनरी	405,214	287,374
पोस्टेज, दूरभाष एवं टेलिक्स	306,612	139,635
विविध एवं व्यावसायिक प्रभार	3,006,062	2,212,520
स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटा	-	5,544
डीमोबिलाइजेशन व्यय	-	13,500,000
बीमा	93,253	190,774
किसया	3,621,034	4,076,493
प्रशिक्षण एवं भर्ती व्यय	47,018	300,310
वाहन प्रचालन एवं अनुसंधान	1,215,772	1,162,080
बैंक और अन्य वित्तीय प्रभार	705,061	220,087
लेखापरीक्षा पारिश्रमिक (ब्यौरे हेतु बिंदु(i) का संदर्भ ले)	235,900	124,180
विज्ञापन एवं प्रचार	1,599,120	367,338
विविध व्यय	1,506,685	948,385
सांविधिक देयों के विलिंबित भुगतान पर ब्याज	1,412,070	2,688,551
शुल्क तथा अशदान प्रभार	11,193	4,478
मानदेय	25,400	17,000
भरभत एवं अनुसंधान	444,877	2,433,625
सीएसआर	996,081	271,300
विनिमय उन्वावचन घाटा	208,367	1,065,130
कुल	28,428,122	37,870,500

(i) सांविधिक लेखापरीक्षक को भुगतान
(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) लेखापरीक्षा शुल्क – चालू वर्ष	185,400	84,000
(ii) कर लेखापरीक्षा शुल्क – चालू वर्ष	31,500	25,000
(iii) यात्र एवं आउट ऑफ पॉकेट भत्ता	19,000	
– स्थानीय		15,180
कुल	235,900	124,180

27. आयकर व्यय

लाग एवं हानि में स्वीकृत आय कर

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
चालू आयकर :		
चालू आयकर प्रसार	38,641,721	44,401,744
समायोजन : पूर्व वर्ष	-8,757,877	-9,915,019
आस्थगित कर :		
चालू वर्ष के संबंध में	14,635,202	49,938,040
कुल	44,519,046	84,424,765

कर व्यय और लेखांकन लाग के बीच समाधान :

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
निरंतर प्रचालनों से कर पूर्व लेखांकन लाग	181,062,905	208,052,552
आयकर पूर्व लेखांकन लाग	181,062,905	208,052,552
21.3416 प्रतिशत की भारतीय सांविधिक आयकर दर पर	38,641,721	44,401,744
राशियों पर कर प्रभाव जो परिकलन करयोग्य आय से कटौतीयोग्य (करयोग्य) नहीं है		
घटा : 90/91 के अंतर्गत कटौती		
जमा : घास 90/91 में कटौती के कारण अतिरिक्त प्रावधान		
जमा : पूर्व अवधियों के करों हेतु समायोजन	-8,757,877	-9,915,019
जमा: स्वीकार्य आस्थगित कर देयाता	14,635,202	49,938,040
	44,519,046	84,424,765
24.59 प्रतिशत की प्रभावी आयकर दर पर (31 मार्च 2018 : 40.58 प्रतिशत)		
लाग एवं हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय (निरंतर प्रचालनों से संबंधित)	44,519,046	84,424,765
	44,519,046	84,424,765

28. अन्य वृहत आय के घटक (ओसीआई)

इन्विटी में प्रत्येक प्रकार की आरक्षित निधि द्वारा ओसीआई में परिवर्तनों से असमानता नीचे प्रस्तुत है

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
निर्धारित लाग योजनाओं का पुनर्मापन	-8,375	-
निर्धारित लाग दायित्वों के पुनर्मापन के कर घटक	2,898	-
कुल	-5,477	-

29. आमदनी प्रतिशत शेयर (ईपीएस)

मूल ईपीएस राशियों का परिकल्पन वर्ष के दौरान बकया इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या द्वारा मूल कंपनी के शेयरधारकों के प्रति वर्ष के लिए लाभ को भाग करके किया जाता है।

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
मूल ईपीएस	2.10	1.90
विलयित ईपीएस	2.10	1.90

विलयित ईपीएस राशियों का परिकल्पन वर्ष के दौरान बकया इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या द्वारा (परिवर्ती प्रेफरेंशियल शेयरों पर व्याज के समायोजन के पश्चात्) मूल कंपनी के शेयरधारकों के प्रति वर्ष के लिए लाभ जमा शेयरों की वेटेड औसत संख्या जो सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तन पर जारी किए गए हैं, को भाग करके किया जाता है।

निम्नलिखित मूल ईपीएस परिकल्पन में प्रयुक्त आय और शेयर खटा को प्रदर्शित करता है :

विवरण	(खान्द सं. 5)	
	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
मूल कंपनी के शेयरधारकों के प्रति लाभ :		
नित्तर प्रचालन	136,543,859	123,627,787
बंद प्रचालन		
प्रति शेयर मूल आमदनी के लिए इक्विटी शेयरधारकों के प्रति लाभ परिवर्ती प्रेफरेंशियल शेयरों पर व्याज	136,543,859	123,627,787
विलयन के प्रभाव के लिए समायोजित मूल के इक्विटी शेयरधारकों के प्रति लाभ	136,543,859	123,627,787

निम्नलिखित मूल ईपीएस परिकल्पनों के लिए प्रयुक्त वेटेड औसत शेयरों की संख्या को दर्शाता है।

विवरण	(खान्द सं. 5)	
	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
मूल ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या	65,000,000	65,000,000
विलयन का प्रभाव:		
शेयर विकल्प	-	-
परिवर्ती प्रेफरेंशियल शेयर	-	-
विलयन के प्रभाव हेतु समायोजित इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या	65,000,000	65,000,000

शेयरों की वेटेड औसत संख्या के लिए वर्ष के दौरान कोषीय शेयर संयोजकों में परिवर्तन के वेटेड औसत प्रभाव को ध्यान में रखा गया है। इन वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग तिथि और प्राधिकरण तिथि के बीच इक्विटी शेयरों या संभावित इक्विटी शेयरों का कोई अन्य संयोजन नहीं हुआ है।

प्रकटनों सहित लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

30. आकस्मिक देयताएं/परिसंपत्तियां जिनका प्रावधान नहीं किया गया है :

- (क) कम्पनी के विरुद्ध वे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है कि राशि शून्य रूपए (शून्य रूपए)है।
- (ख) अपील के अधीन कुल प्रत्यक्ष कर विवाद मांग रूपए 15,27,42,010 (रूपए 5,14,41,170)।
- (ग) कंपनी के विरुद्ध न्यायालय में कर्मचारियों/अन्यों से संबंधित कुछ मामले लंबित हैं, जिनके संबंध में देयताएं निर्धारित नहीं हैं।

31. पूंजी प्रतिबद्धता:

संयंत्र और मशीनरी का प्रापण

दिनांक 20.02.2015 की मद सं. 10/15 के तहत निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार, कंपनी ने भारत में विभिन्न क्षेत्रीय रेलों से पुरानी रेलपथ मशीनों की खरीद और उन्हें अवसंरचना क्षेत्र में कंपनी की क्षमता निर्माण में सहायता हेतु प्रचालनिक बनाने के लिए अपनी शेयर पूंजी को 25,00,00,000 रूपए तक बढ़ा दिया है। कुल अनुमानित अनुमोदित व्यय 25,00,00,000 रूपए है जिसमें से 2,17,15,638 रूपए को 31 मार्च 2019 तक (31 मार्च 2018 को 1,99,88,399 रूपए) क्रियान्वित कर दिया गया है।

32. क) ऋणदाताओं, अग्रिमों, देनदारों के अधीन दर्शाए जा रहे कुछ शेष विषयानुसार पुष्टिकरण/समायोजन यदि कोई हो, के मद्देनजर हैं। कम्पनी उपर्युक्त सहित, पक्षों को पुष्टि के लिए पत्र भेज रही है।

ख) बिक्री-कर (टीडीएस सहित), मूल्य संवर्धन कर (वीएटी), आयकर (टीडीएस सहित) को पुष्टि/पुनर्विनियोजन / समायोजन, यदि कोई हो, के मद्देनजर अग्रिमों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

ग) प्रबन्धन के मतानुसार वसूली पर चालू परिस्थितियों ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है, को उस मूल्य से कम नहीं होना चाहिए जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

33. क. कंपनी ने यह जानने के लिए अपने आपूर्तिकर्ताओं को पत्र भेजे हैं कि क्या वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत शामिल

होते हैं या नहीं। कंपनी ने पाया कि केवल कुछ ही आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आते हैं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को दिनांक 31 मार्च 2018 तथा 31 मार्च 2017 को कोई राशि बकाया नहीं है।

ख. कंपनी को अपने किसी आपूर्तिकर्ता से इस आशय की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006(एमएसएमडी अधिनियम) के अंतर्गत आते हैं। इस सूचना के आधार पर, लघु आद्योगिक उपक्रम के प्रति देय राशि 31 मार्च 2018 को शून्य तथा 31 मार्च 2017 को (शून्य रूपए) हैं।

35. विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम

(क) आयातों पर सीआईएफ मूल्य:

(रूपए लाख में)

विवरण	2017-18	2016-17
सामग्री / मशीनरी	-	-
उपभोज्य, घटक और कलपुर्जे	2,50,000	14,23,795
कुल	2,50,000	14,23,795

(ख) विदेशी मुद्रा में अर्जन :

(रूपए लाख में)

विवरण	2017-18	2016-17
कार्य पावतियां	1,91,71,252	4,88,26,721
बैंक ब्याज	1,543	13,063
अन्य ब्याज	0.00	0.00
विदेशी विनिमय उच्चावचन लाभ(निवल)	1,92,110	0.00
अन्य	2,21,693	0.00
कुल	1,95,86,598	4,88,39,784

(ख) विदेशी मुद्रा में व्यय :

(रूपए लाख में)

विवरण	2017-18	2016-17
प्रचालनिक व्यय	2,50,000	83,27,000
परामर्शदात्री प्रशर	0.00	0.00
विदेशी विनिमय उच्चावचन हानि (निवल)	0.00	10,06,093
प्रशासनिक तथा अन्य व्यय	1,53,55,316	2,95,46,286
कुल	1,56,05,316	3,88,79,379

35. क. नियमित कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि अंशदान, उपदान, छुट्टी नगदीकरण तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को को इंड एस-19 की शर्तों के अनुसार लेखांकित किया गया है।
- ख. कंपनी ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए अल्पकालीन संविधा आधार पर कतिपय कर्मचारियों को नियुक्त किया है। नियुक्ति संविदा के आधार पर, विदेश परियोजनाओं में तैनात कर्मचारी केवल अवकाश नकदीकरण के लिए पात्र हैं और उन्हें किसी प्रकार का सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं है। तथापि, अवकाश वेतन के लिए लेखा बिहयों में प्रावधान किया गया है।
- ग. नियमित/संविदा आधार पर तैनात इरकॉन आईएसएल के कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान को कंपनी द्वारा नियमित रूप से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा कराया जा रहा है।
- घ. कंपनी के नियमित कर्मचारियों के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार तीसरे वेतन संशोधन बकाया राशियों के संबंध में कंपनी द्वारा 3,29,990 रूपए का प्रावधान किया गया है।
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड में कार्यरत कुछ कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के रोल में हैं। इनके भविष्य निधि अंशदान, उपदान, छुट्टी नगदीकरण तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को इनकी धारक कंपनी से इनवाइज/डेबिट एडवाइस के आधार पर प्रगतिरत शीर्षों में पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत रेखांकित किया गया है। एस-19 की शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभों का प्रावधान लेखांकन नीति (नोट सं.2, बिन्दु सं. 2.21) के अनुसार उनकी धारक कंपनी द्वारा किया जा रहा है।
- ड. प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान को धारक कंपनी द्वारा अपने भविष्य निधि ट्रस्ट में नियमित रूप से जमा कराया जा रहा है।

36. इंड एस-19 के अनुसार प्रकटन (कर्मचारी लाभ) आर्थिक अनुमान

विवरण	31-03-18	31-03-17
i) रियायती दर	7.80	7.50
ii) भावी वेतन वृद्धि	8.00	8.00

डेमोग्राफिक अनुमान

i) सेवानिवृत्ति आयु (.वर्ष)	60	60
ii) निशक्तता हेतु प्रावधान सहित मृत्यु दर**	आईएलएम का 100 प्रतिशत (2006 - 08)	
iii) आयु	आहरण दर (%)	आहरण दर (%)
30 वर्ष तक	3	3
31 से 44 वर्ष तक	2	2
44 वर्ष से उपर	1	1
iv) अवकाश	80	106
अवकाश प्राप्ति दर	2.50 प्रतिशत	2.50 प्रतिशत
सेवा में अवकाश व्यपगत दर	शून्य	शून्य
निकासी पर अवकाश व्यपगत दर	--	--
सेवा के दौरान अवकाश नकदीकरण दर	--	--

क. नियोजित देयता

क्र.सं.	विवरण	उपदान	
		31-03-18	31-03-17
(i)	को समाप्ति तिथि		
	इस अवधि की समाप्ति पर दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,11,783	51,914

क्र.सं.	विवरण	अवकाश नकदीकरण	
		31-03-18	31-03-17
(i)	को समाप्ति तिथि		
	इस अवधि की समाप्ति पर दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,54,417	96,749

ख. सेवा लागत

क्र.सं.	विवरण	उपदान		अवकाश नकदीकरण	
		31-03-18	31-03-17	31-03-18	31-03-17
क)	चालू सेवा लागत	47,600	38,544	65,686	71,750
ख)	लाभ/हानियों की कटौती सहित पूर्व सेवा लागत	--	--	--	--
ग)	गैर-नेमी निपटानों पर लाभ या हानि	--	--	--	--
घ)	कुल	47,600	38,544	65,686	71,750

ग. निवल ब्याज लागत

क्र.सं.	विवरण	उपदान		अवकाश नकदीकरण	
		31-03-18	31-03-17	31-03-18	31-03-17
क)	निश्चित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	3,894	929	7,256	1,197
ख)	याजना परिसंपत्ति पर ब्याज आय	-	-	-	-
ग)	निवल ब्याज लागत/आय	3,894	929	7,256	1,197

घ. लाभ दायित्वों में परिवर्तन को दर्शाती तालिका

क्र.सं.	विवरण	उपदान		अवकाश नकदीकरण	
		31-03-18	31-03-17	31-03-18	31-03-17
क)	अवधि के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	51,914	12,388	96,749	15,965
ख)	अवधि के आरंभ में अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
ग)	ब्याज लागत	3,894	929	7,256	1,197
घ)	सेवा लागत	47,600	38,544	65,686	71,750
ड.)	कटौती लाभ/हानियों सहित पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-

च)	प्रदत्त लाभ	-	-	-	-
छ)	दायित्वों पर बीमांकक(लाभ)/हानि	8,375	53	(15,274)	7,837
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,11,783	51,914	1,54,417	96,749

ड. दायित्वों पर बीमांकक (लाभ)/हानि

क्र.सं.	विवरण	उपदान		अवकाश नकदीकरण	
		31-03-18	31-03-17	31-03-18	31-03-17
क)	जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकक (लाभ)/हानि	-	-	-	-
ख)	वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकक (लाभ)/हानि	(7,985)	-	(10,624)	-
ग)	अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकक (लाभ)/हानि	16,360	53	(4,650)	7,837

च. योजना परिसंपत्ति पर बीमांकक (लाभ)/हानि

क्र.सं.	विवरण	उपदान		अवकाश नकदीकरण	
		31-03-18	31-03-17	31-03-18	31-03-17
क)	संभावित ब्याज आय	-	-	-	-
ख)	योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक आय	-	-	-	-
ग)	परिसंपत्ति पर अवधि के लिए बीमांकक(लाभ)/हानि	-	-	-	-

छ. तुलन पत्र एवं संबंधित विश्लेषण

क्र.सं.	विवरण	उपदान		अवकाश नकदीकरण	
		31-03-18	31-03-17	31-03-18	31-03-17
क)	अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,11,783	51,914	1,54,417	96,749
ख)	योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-

ग)	तुलन पत्र में अनिधित देयता / प्रावधान	(1,11,783)	(51,914)	(1,54,417)	(96,749)
घ)	तुलन पत्र में स्वीकृत अनिधित देयता	(1,11,783)	(51,914)	(1,54,417)	(96,749)

ज. आय विवरण में स्वीकृत राशियां

क्र.सं.	विवरण	उपदान		अवकाश नकदीकरण	
		31-03-18	31-03-17	31-03-18	31-03-17
क)	सेवा लागत	47,600	38,544	65,686	71,750
ख)	निवल ब्याज लागत	3,894	929	7,256	1,197
ग)	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए निवल बीमांकक(लाभ) / हानि	-	-	(15,274)	7,837
घ)	आय विवरण में स्वीकृत व्यय	51,494	39,473	57,668	80,784

झ. अन्य वृहत आय (ओसीआई)

क्र.सं.	विवरण	उपदान		अवकाश नकदीकरण	
		31-03-18	31-03-17	31-03-18	31-03-17
क)	आरंभिक निवल संचयी अस्वीकृत बीमांकक(लाभ) / हानि	-	-	-	-
ख)	पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकक(लाभ) / हानि	(8,375)	(53)	-	-
ग)	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकक(लाभ) / हानि	-	-	-	-
घ)	अवधि के अंत में अस्वीकृत बीमांकक(लाभ) / हानि	(8,375)	(53)	-	-

ट. योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन

क्र.सं.	विवरण	उपदान		अवकाश नकदीकरण	
		31-03-18	31-03-17	31-03-18	31-03-17
क)	अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
ख)	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	-	-	-	-
ग)	कर्मचारी अंशदान	-	-	-	-
घ)	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-

ड.)	अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
-----	--	---	---	---	---

ठ. योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां (डीक्यूवाई योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)

क्र.सं.	विवरण	उपदान		अवकाश नकदीकरण	
		31-03-18	31-03-17	31-03-18	31-03-17
क)	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ख)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ग)	उच्च गुणवत्ता वाले निगमित बांड	-	-	-	-
घ)	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	-	-	-	-
ड.)	संपत्ति	-	-	-	-
च)	बीमांकक द्वारा प्रबंधित निधियां	-	-	-	-
छ)	विशेष जमा योजना	-	-	-	-
ज)	बैंक शेष	-	-	-	-
	डीक्यूवाई	-	-	-	-

ड. निवल निर्धारित लाभ देयता में परिवर्तन

क्र.सं.	विवरण	उपदान		अवकाश नकदीकरण	
		31-03-18	31-3-17	31-03-18	31-03-17
क)	अवधि के आरंभ में निवल निर्धारित लाभ देयता	51,914	12,388	96,749	15,965
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
ग)	डीक्यूवाई सेवा लागत	47,600	38,544	65,686	71,750
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	3,894	929	7,256	1,197
ड.)	पुनर्मापन	8,375	53	(15,274)	7,837
च)	निधि में प्रदत्त अंशदान	-	-	-	-
छ)	उपक्रम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रदत्त लाभ	-	-	-	-
	अवधि के अंत में निवल निर्धारित लाभ देयता	1,11,783	51,914	1,54,417	96,749

द. चालू और गैर चालू में वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन .

क्र.सं.	विवरण	उपदान		अवकाश नकदीकरण	
		31-03-18	31-03-17	31-03-18	31-03-17
क)	चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	116	51	3,421	5,038
ख)	गैर चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	1,11,667	51,863	1,50,996	91,711
ग)	अवधि के अंत में डीक्यूवाई पीबीओ	1,11,783	51,914	1,54,417	96,749

ण. अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित अंशदान

क्र.सं.	विवरण	उपदान		अवकाश नकदीकरण	
		31-03-18	31-03-17	31-03-18	31-03-17
क)	सेवा लागत	53,742	43,414	71,852	78,443
ख)	निवली ब्याज लागत	8,719	3,894	12,045	7,256
ग)	अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित व्यय	62,461	47,308	83,897	85,699

त. निर्धारित लाभ दायित्व का संवेदी विश्लेषण

(i) रियायत दन में परिवर्तन का प्रभाव

क्र.सं.	विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,11,783	1,54,417
क)	0.05 की वृद्धि के कारण प्रभाव	(11,924)	(15,866)
ख)	0.05 की कमी के कारण प्रभाव	13,690	18,216

(ii) वेतन वृद्धि

क्र.सं.	विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,11,783	1,54,417
क)	0.05 की वृद्धि के कारण प्रभाव	13,596	18,089
ख)	0.05 की कमी के कारण प्रभाव	(11,955)	(15,907)

37. कंपनी ने अपनी धारक कंपनी से शून्य रूपए (वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 16.17) का ऋण लिया है। दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 22,92,00,000 रूपए (31 मार्च 2018 को 4,58,00,000 रूपए) की राशि का पुनर्भुगतान किया गया है और अब बकाया ऋण शून्य रूपए (31 मार्च 2018 को 22,92,00,000 रूपए) है। वर्ष के दौरान ऋण पर भुगतान किया गया देय ब्याज दिनांक 31 मार्च 2018 को 1,19,16,642 रूपए (वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 2,63,38,830 रूपए) है।
38. (क) रेल मंत्रालय ने रेल बजट 2009-10 के तहत चिह्नित स्थलों पर बहुउद्देशीय परिसरों के विकास की घोषणा की है जिन्हें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा।
- (ख) तदनुसार इरकॉन तथा आरएलडीए के बीच 21.08.2009 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। दिनांक 21 अगस्त, 2009 को इरकॉन तथा आरएलडीए के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार बहुउद्देशीय परिसरों के विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण का कार्य इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) द्वारा किया जाना है। इसके अतिरिक्त, बहुउद्देशीय परिसरों के लिए आरएलडीए तथा डब्ल्यूओएस यथा इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के बीच दिनांक 04.07.2013 को एक पट्टा करार पर हस्ताक्षर किए थे।
- (ग) निर्माण गतिविधियों से संबंधित प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सभी व्ययों को पूंजीकृत किया गया है और उनका मूल्यन लागत पर किया गया है। निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष व्यय/ आकस्मिक व्यय को संबंधित निर्माण या आकस्मिकता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यय के स्तर तक लागत आधार पर पूंजीकृत किया गया है।
- (घ) सभी बहुउद्देशीय परिसर परियोजनाओं को पूंजीकृत किया गया है और सभी व्ययों और ऋण पर ब्याज को विचाराधीन वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है (जिसे पूर्व में विभिन्न परियोजनाओं में पूंजीकृत किया गया था)।
- (ङ) कंपनी ने आज की तिथि तक 23 बहुउद्देशीय परिसरों को उपपट्टे पर दिया है जिनमें से दिनांक 31.03.2018 तक पांच एमएफसी यथा मैसूर, थिरुवल्ला, हैदराबाद, कन्नूर, मदुरै और बिलासपुर को देय राशियों का भुगतान न किए जाने के कारण समाप्त कर दिया गया है।

- (च) इसके लिए कंपनी ने उप-पट्टेदार से एकमुशत बयाना राशि तथा मासिक किराया प्राप्त किया है/प्राप्य है। पट्टे के अंतर्गत स्वीकार किया गया कुल राजस्व 14,82,77,654 रूपए (वित्तीय वर्ष 2016-17 में 13,66,23,588 रूपए) है। उप-पट्टेदार से प्राप्त/प्राप्य एकमुशत बयाना राशि तथा मासिक किराये को प्रोरेटा आधार पर पट्टा अवधि में सीधी-रेखा आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में लाभ के रूप में स्वीकार किया गया है।
39. दिनांक 26.12.2012 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच करार के अनुसार इरकॉन आईएसएल को श्रमिक-प्रतिदिन आधार पर इरकॉन की श्रीलंका परियोजना के लिए "श्रमशक्ति की आपूर्ति" का कार्य प्रदान किया गया है। इससे प्राप्त राजस्व शून्य रूपए (वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1,36,63,736 रूपए) है। इस पर किया गया व्यय शून्य रूपए (वित्तीय वर्ष 2016-17 में 63,98,466 रूपए) है। यह संविदा पिछले वर्ष यथा वित्तीय वर्ष 2016-17 को पूरा हो गया है।
40. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच दिनांक 31.03.2015 के करार के अनुसार, इरकॉन आईएसएल ने दिनांक 23.11.2013 से किराया प्रभार पर इरकॉन की श्रीलंका परियोजना को "डोमेस्टिक टैपिंग मशीन" को पट्टे पर दिया था। इससे प्राप्त राजस्व शून्य (वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 1,69,12,324 रूपए) है। इस पर किया गया व्यय 38,42,497 रूपए (वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 3,09,42,072 रूपए) है। यह संविदा पिछले वर्ष यथा वित्तीय वर्ष 2016-17 को पूरा हो गया है। भावी व्यवसाय हेतु मशीनों को वापस भारत लाया गया है।
41. दिनांक 01.04.2013 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच करार के अनुसार इरकॉन आईएसएल को श्रमिक-प्रतिदिन आधार पर इरकॉन की मलेशिया परियोजना के लिए "श्रमशक्ति की आपूर्ति" का कार्य प्रदान किया गया है। इससे प्राप्त राजस्व शून्य 48,16,293 रूपए (वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 82,45,215 रूपए) है। इस पर किया गया व्यय शून्य रूपए (वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 4,448 रूपए) है।
42. धारक कंपनी ने ईएमपी लेब के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए कंपनी को जम्मू में परिसंपत्तियों सहित ईएमपी लेब सुपुर्द कर दी है। कंपनी ने वर्ष के दौरान जम्मू में ईएमपी लेब के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए 9,68,315 रूपए (वित्तीय वर्ष 2016-17 में 13,46,643 रूपए) खर्च किए हैं, जिसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

43. कंपनी ने विभिन्न ग्राहकों से लागत जमा आधार पर परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण का कार्य प्राप्त और निष्पादित किया गया है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत तथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से इतर अन्य विभिन्न ग्राहकों के सीएसआर कार्यों के अंतर्गत 1,58,40,787 रूपए (वित्तीय वर्ष 2016-17 में 5,53,87,588 रूपए) का राजस्व बुक किया गया है।

44. (क) विदेश मंत्रालय (एमईए) और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच दिनांक 09.03.2017 के करार के अनुसार इरकॉन आईएसएल को पलेटवा से भारत-म्यामार सीमा (ज़ोरिनपुरी) तक दो लेन वाली सड़क के निर्माण के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं का कार्य प्रदान किया गया है।

(ख) विदेश मंत्रालय (एमईए) और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच दिनांक 09.03.2017 के करार के अनुसार इरकॉन आईएसएल को म्यामार में त्रिपक्षीय राजमार्ग के तमु-कियंगोने-कलेवा (टीकेके) पर पहुंच मार्ग सहित 69 पुलों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं का कार्य प्रदान किया गया है।

(ग) उपर्युक्त दोनों परियोजनाओं के लिए, इरकॉन आईएसएल ने यंगून, म्यामार में प्रतिनिधि शाखा कार्यालय स्थापित किया है। म्यामार में उपर्युक्त दोनों परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व को लेखांकित किया गया है और यह भारत में प्राप्त हुआ है। इसलिए म्यामार शाखा बहियों में कोई कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

45. वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त नई परियोजनाएं

क. विदेश मंत्रालय (एमईए) और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच दिनांक 09.03.2017 के करार के अनुसार इरकॉन आईएसएल को म्यामार में त्रिपक्षीय राजमार्ग के तमु-कियंगोने-कलेवा (टीकेके) पर पहुंच मार्ग सहित 69 पुलों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं का कार्य प्रदान किया गया है।

ख. भारतीय भू-पोत भाधिकरण (एलपीएआई) और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच दिनांक 17.10.2017 के करार के अनुसार इरकॉन आईएसएल को 07 भू पोटों पर सुरक्षा कार्मिकों के लिए बैरिक एकोमोडेशन के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं का कार्य प्रदान किया गया है।

ग. नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच दिनांक 14.09.2017 के करार के अनुसार इरकॉन आईएसएल को जेएनवी, अगर मालवा (मध्य प्रदेश) तथा सबरकनाथ (गुजरात) में दौ नवोदय विद्यालयों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं का कार्य प्रदान किया गया है।

घ. हरियाणा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच दिनांक 22.01.2018 के करार के अनुसार इरकॉन आईएसएल को दुधोला, पलवल, हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं का कार्य प्रदान किया गया है।

ड. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच दिनांक 10.11.2017 के करार के अनुसार इरकॉन आईएसएल को तकनीकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली में नए अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं का कार्य प्रदान किया गया है।

च. भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड लिमिटेड (कॉनकॉर) और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच दिनांक 25.10.2017 के करार के अनुसार इरकॉन आईएसएल को पारादीप पात, ओडीशा में एमएमएलपी कंटेनर टर्मिनल की स्थापना के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग एवं परियोजना पर्यवेक्षण का कार्य प्रदान किया गया है।

छ. वर्ष के दौरान कंपनी ने भारतीय पावर ग्रिड निगम लिमिटेड (पीजीसीआईएल) से स्वच्छ भारत अभियान परियोजनाओं के अंतर्गत टोयलट ब्लॉकों के निर्माण का कार्य भी प्राप्त किया है।

46. पट्टों के संबंध में प्रकटन:

कंपनी ने प्रचालनिक पट्टे पर कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं की है।

क. बहुउद्देशीय परिसरों के लिए प्रचालनिक पट्टे

(i) कंपनी ने अनेक उपपट्टाधारियों को 23 (तेईस) बहुउद्देशीय परिसर उपपट्टे पर दिए हैं, जिनमें से दिनांक 31.03.2018 को 6 एमएफसी के करार को रद्द कर दिया गया है और ये हैं कन्नूर, हैदराबाद, बिनासपुर, थिरुवल्ला, मदुरै तथा मैसूर।

(ii) गैर-रद्द पट्टे के अंतर्गत देय योग्य भावी न्यूनतम पट्टा किराया/प्राप्य निम्नानुसार है:

(रूपए लाख में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
	18,33,89,342.00	1,04,89,11,766.00	7,62,80,57,960.00
प्राप्य	(17,19,52,736.00)	(80,21,07,877.00)	(8,95,34,91,413.00)
देय	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

ख. वर्ष के लिए बहुउद्देशीय परिसरों को पट्टे पर देने के संबंध में मूल्यहास/परिशोधन का प्रकटन :-

(रूपए लाख में)

परिसंपत्तियों का विवरण	2017-18	2016-17
परिसंपत्तियों की सकल राशि	75,44,83,701	97,27,37,423
संचित मूल्यहास/परिशोधन	5,97,04,415	5,34,58,175

(रूपए लाख में)

विवरण	2017-18	2016-17
वर्ष के लिए मूल्यहास/परिशोधन	2,05,45,422	1,99,40,793

47. संबंधित पक्ष संव्यवहार

क. कंपनी की संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी उसकी धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के स्वामित्व में है।

ख. संबंधित पक्षों के संबंध और नाम निम्नानुसार हैं :

विवरण	संबंधित पक्ष का नाम
i. धारक कंपनी	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
ii. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक :	<p>श्री हितेश खन्ना (28 मार्च 2018 को त्यागपत्र दिया)</p> <p>श्री सुरजीत दत्ता</p> <p>श्री ए के गोयल</p> <p>श्री ए के गुप्ता (25 जनवरी 2018 को त्यागपत्र दिया)</p> <p>श्री पराग वर्मा (05 अप्रैल 2018 को कार्यभार ग्रहण किया) और</p> <p>श्री एम के सिंह (10 अप्रैल 2018 को कार्यभार ग्रहण किया)</p>
	<p>श्री सी के नायर (सीईओ)</p> <p>श्री अनिकेत खत्रपाल (सीएफओ)</p> <p>सुश्री दीपशिखा गुप्ता, कंपनी सचिव (31 मई 2018 को कार्यमुक्त हुई)</p>

ग. प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक निम्नानुसार है :

(रुपए लाख में)

क्र सं	विवरण	2017-18	2016-17
क)	अल्पकालीन लाभ	62,33,151	58,00,165
ख)	रोजगार पूर्व लाभ *	30,26,342	4,81,176
ग)	अन्य दीर्घकालन लाभ	-	-
	कुल	92,59,493	62,81,341

* नोट सं. 35 का संदर्भ लें।

कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन धारक कंपनी द्वारा की गई है और कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी, और कंपनी सचिव का पारिश्रमिक ऊपर दर्शाया गया है।

घ. संबंधित पक्ष संव्यवहार :

(रुपए लाख में)

विवरण	संव्यवहार		बकाया राशि	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक (उपर्युक्त ग)	नोट 47(ग) के अनुसार		44,000	42,853
धारक कंपनी से सेवाओं तथा वस्तुओं की खरीद के प्रति देय राशि	16,10,867	48,64,195	0.00	4,22,852
वेतन व मजदूरी, पीएफ अंशदान, यात्रा आदि के रुप में कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान	1,03,78,490	1,06,55,778	1,01,37,156	52,34,189
धारक कंपनी से राजस्व आय	48,16,293	3,88,21,060	3,91,12,558	6,49,35,613
धारक कंपनी से ऋण*	(22,92,00,000)	(4,58,00,000)	0.00	22,92,00,000
धारक कंपनी से लिए गए ऋण पर देय ब्याज	1,19,16,642	2,63,38,830	0.00	(1,04,960)

*वर्ष के दौरान कंपनी शून्य रुपए का ऋण लिया और 22,92,00,000 रुपए का पुनःभुगतान किया है।

48. 31 मार्च 2018 को कंपनी की इन्वेंटरी 33,583 रूपए (31 मार्च 2017 को 22,601 रूपए) है।
49. कंपनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए निवल वसूलीयोग्य मूल्य तथा अग्रेणीत लागत के निम्नतर आधार पर वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण द्वारा व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के हानिकरण का आकलन किया है। हानिकरण घाटा शून्य (वित्तीय वर्ष 2016-17 में शून्य रूपए) है।
50. i. इस अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 135 के अनुसार सीएसआर पर कंपनी द्वारा व्यय किए जाने वाली अपेक्षित सकल राशि 12,31,000 रूपए (वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2,63,000 रूपए) है।
- ii. कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित 12,31,000 रूपए (वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2,63,000 रूपए) में से 12,56,000 रूपए (वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2,71,300 रूपए) रूपए खर्च किए हैं।

किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

विवरण	2017-18	2016-17
वाटर कूलरों और वाटर प्यूरिफायरों की आपूर्ति	12,56,000	शून्य
शिक्षा संवर्धन	शून्य	2,71,300
कुल	12,56,000	2,71,300

51. कंपनी द्वारा किए गए किसी दीर्घकालीन संविदाओं पर कंपनी किसी महत्वपूर्ण भावी घाटों को नहीं देखती है, इसलिए, इस संबंध में किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन अवधि के दौरान किसी डेविेशन संविदाओं में प्रवेश नहीं किया है।

54. सेगमेंट रिपोर्टिंग:

प्रचालनिक संगमेंट की रिपोर्टिंग मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक को उपलब्ध कराई गई गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से की जाती है।

तदनुसार, कंपनी ने परियोजना परामर्श, श्रमशक्ति आपूर्ति, एमएफसी के उपपट्टाकरण तथा संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देने तथा अन्य प्रचालनिक राजस्वों के आधार पर पांच प्रचालनिक रिपोर्टिंग सेगमेंट चिह्नित किए हैं।

परियोजना के भौगोलिक स्थल के आधार पर दो प्रचालनिक सेगमेंट हैं घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय

(लाख रुपए में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
क. टर्नओवर						
प्रचालन से राजस्व	13,45,03,637	19,00,73,247	18,90,47,756	21,97,49,176	32,35,51,393	40,98,22,423
अन्य आय	13,35,413	13,063	6,62,97,734	6,25,38,038	6,76,33,147	6,25,51,101
अंत:सेगमेंट						
कुल राजस्व	13,58,39,050	19,00,86,310	25,53,45,490	28,22,87,214	39,11,84,540	47,23,73,524
ख. परिणाम						
प्रावधान पूर्व लाभ, मूल्यहास, ब्याज और कर	10,12,35,633	15,15,99,858	13,93,78,316	15,71,58,194	24,06,13,949	30,87,58,052
घटाएँ—						
प्रावधानऔर पश्चलिखित (निवल)	-	1,35,00,000	59,01,420	2,46,98,235	59,01,420	3,81,98,235
मूल्यहास	35,85,839	1,58,41,699	3,81,47,143	2,03,26,736	4,17,32,982	3,61,68,435
ब्याज	-	-	1,19,16,642	2,63,38,830	1,19,16,642	2,63,38,830
कर पूर्व लाभ	9,76,49,794	12,22,58,159	8,34,13,111	8,57,94,393	18,10,62,905	20,80,52,552
कर व्यय	2,40,09,753	4,96,10,621	2,05,09,293	3,48,14,144	4,45,19,046	8,44,24,765
कर पश्चात लाभ	7,36,40,041	7,26,47,538	6,28,98,342	5,09,80,249	13,65,38,383	12,36,27,787
ग. अन्य सूचना						
परिसंपत्तियां	4,05,13,508	12,33,30,541	2,03,24,44,285	1,89,78,83,801	2,07,29,57,793	2,02,12,14,342
स्थिर परिसंपत्तियां शामिल हैं (निवल ब्लाक)	5,42,629	8,29,51,950	98,57,22,289	94,15,60,705	98,62,64,918	1,02,45,12,655
देयताएं	4,22,011	1,51,58,345	78,90,06,802	85,90,65,400	78,94,28,812	87,42,23,745
पूजीगत व्यय सावधिक परिसंपत्तियों को जोड़कर	7,92,629	-	26,95,324	2,14,58,308	34,87,953	2,14,58,308

विवरण	प्रचालन आय		सेगमेंट परिसम्पत्तियां		स्थिर परिसंपत्तियां जोड़कर	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
परामर्श परियोजनाएं	15,50,24,209	18,38,38,761	11,34,43,965	20,09,07,237	5,42,629	-
जनशक्ति की आपूर्ति	48,16,293	2,19,08,951	3,87,87,561	2,51,00,778	-	-
एमएफसी को उपपट्टे पर देना	14,82,77,654	13,66,23,588	1,12,43,89,613	1,17,89,22,375	-	-
संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना	-	1,69,12,324	8,99,50,747	8,85,18,148	17,27,239	-
अन्य	1,54,33,237	5,05,38,799	70,63,85,907	52,77,65,804	12,18,085	2,14,58,308
कुल	32,35,51,393	40,98,22,423	2,07,29,57,793	2,02,12,14,342	34,87,953	2,14,58,308

53. पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य इस प्रकार अपनी पूंजी का प्रबंधन करना है ताकि निरंतर आधार पर अपनी क्षमताओं को सुनिश्चित और सुरक्षित रखा जा सके, जिससे कंपनी शेयरधारकों अधिकतम रिटर्न और अन्य स्टेकधारकों को लाभ प्रदान कर सके।

इसके अतिरिक्त, कंपनी आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन और वित्तीय अपेक्षाओं के आलोक में अपनी पूंजी संरचना की व्यवस्था करती है। दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

54. उचित मूल्य मापन

विवरण	31 मार्च 2018 को			31 मार्च 2017 को		
	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
(i) व्यापार प्राप्य	-	-	38,12,87,981	-	-	36,28,49,796
(ii) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	-	-	12,98,74,843	-	-	36,09,92,227
(iii) उपर्युक्त (ii) इतर बैंक शेष	-	-	41,72,05,605	-	-	19,36,41,582
(iv) स्टाफ ऋण एवं अग्रिम	-	-	5,63,500	-	-	5,80,327
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	5,95,32,272	-	-	2,21,09,572
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	98,84,64,201	-	-	94,01,73,504
वित्तीय देयताएं						
(i) ऋण	-	-	-	-	-	22,92,00,000

(ii) व्यापार प्राप्त	-	-	1,00,07,606	-	-	72,92,738
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	5,11,96,653	-	-	7,24,78,444
कुल वित्तीय देयताएं	-	-	6,12,04,259	-	-	30,89,71,182

क.श्रेणी के आधार पर वित्तीय साधन

ख. परिसंपत्तियां और देयताएं, जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा गया है जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया है।

उचित मूल्य क्रम

विवरण	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	18,34,00,000	18,34,00,000
ऋण	3,50,469	3,50,469	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	3,50,469	3,50,469	18,34,00,000	18,34,00,000
कुल वित्तीय देयताएं	-	-	18,34,00,000	18,34,00,000

उचित मूल्य के आकलन के लिए निम्नलिखित विधियां और अनुमानों का प्रयोग किया गया था:

- व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देय राशियों, रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों तथा अन्य अल्पकालीन प्राप्त तथा देय राशियों की वहन राशियों को अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों पर विचार किया गया है।
- दीर्घकालीन वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मूल्यांकन कंपनी द्वारा मापदंडों जैसे ब्याज दर, विशिष्ट राष्ट्र जोखिम कारक और अन्य जोखिम कारक पर मूल्यांकित किया गया है। इस मूल्यांकन के आधार पर, ऐसे वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्य उनकी वहन मूल्यस से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं हैं।

उचित मूल्य अनुक्रम

स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में कोट किया हुआ मूल्य (असमायोजित) हैं।

स्तर 2: लेवल 1 के भीतर शामिल कोट किए हुए मूल्य के अलावा इनपुट जो हैं जो परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए अवलोकनीय हैं, प्रत्यक्ष (अर्थात मूल्य) या अप्रत्यक्ष (मूल्य से उत्पन्न) रूप में।

स्तर 3: परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट जो आमेलित किए जाने योग्य बाजार डाटा (गैर अवलोकनीय इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

57. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देयराशियां शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का प्रमुख उद्देश्य कंपनी के प्रचालन को वित्तपोषित करना है और अपने प्रचालन के सहयोग के लिए गारंटी प्रदान करना है कंपनी के प्रधान वित्तीय परिसंपत्तियों में शामिल हैं व्यापार तथा अन्य प्राप्य राशियां और रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य, जो सीधे उनके प्रचालनों से उत्पन्न होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम, नकदी जोखिम का सामना करती है। कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उपयुक्त नीतियों तथा प्रक्रियों द्वारा शासित होती हैं और इन वित्तीय जोखिम को कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार चिह्नित, मापित और प्रबंधित किया जाता है। निदेशक मंडल इन सभी जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए इनकी समीक्षा करता है तथा इनके लिए नीतियों का अनुमोदन करता है। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत का उचित मूल्य और नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिमों से प्रभावित होने वाले वित्तीय लिखत में ऋण तथा उधार, जमा राशियां तथा अन्यस गैर-डैरिवेटिव लिखित शामिल हैं।

(ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत का उचित मूल्य और नकदी प्रवाह में उतार चढ़ाव होता है। कंपनी अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के आधार पर करती है।

(ग) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी को वित्तीय घाटे का वह जोखिम है, यदि ग्राहक या वित्तीय प्रलेख का प्रति पक्ष संविदागत दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, यह जोखिम ग्राहकों से कंपनी की प्राप्य राशियों के मूल से उत्पन्न होता है। कंपनी को व्यापार प्राप्यों, बैंक में जमाराशियों, वित्तीय संस्थानों और अन्य वित्तीय लिखतों सहित अपनी वित्तीय गतिविधियों से ऋण जोखिम की संभावना होती है।

(घ) वित्तीय लिखत एवं रोकड़ जमा राशियां

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ शेष राशियों के ऋण जोखिमों का प्रबंधन कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है। अतिरेक राशियों का निवेश प्रति पक्ष से प्राप्त पित्तीय कोटेशनों के आधार पर प्रति पक्ष की स्वीकृति से ही किया जाता है।

(ङ) नकदी जोखिम प्रबंधन

नकदी जोखिम वह जोखिम होता है जो कंपनी इनके देय होने पर अपनी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होती है। कंपनी यथासंभव स्तर तक यह सुनिश्चित करके अपने नकदी जोखिम का प्रबंधन करती है कि उसके पास सदैव पर्याप्त नकदी उपलब्ध हो, जब वह देय होती है।

कंपनी का निगमित कोष विभाग नकदी, वित्तपोषण और निपटान प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, ऐसे जोखिमों से संबंधित प्रक्रियाओं और नीतियों की निगरानी वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा की जाती है।

कंपनी की कार्यशील पूंजी स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य	12,98,74,843	36,09,92,227
बैंक शेष	41,72,05,605	19,36,41,582
इंवेंटरियां	33,583	22,601
ऋण और अग्रिम	5,63,500	5,80,327
व्यापार प्राप्य	38,12,87,981	36,28,49,796
अन्य चालू परिसंपत्तियां	2,32,73,656	2,66,43,585
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	2,14,04,084	2,16,79,005
कुल परिसंपत्तियां (क)	97,36,43,252	96,64,09,123
घटा:		
ऋण	-	4,58,00,000
वित्तीय देयताएं	6,08,53,790	7,97,71,182
अन्य चालू देयताएं	22,82,19,857	4,97,05,275
कुल देयताएं (ख)	28,90,73,647	17,52,76,457
कार्यशील पूंजी (क-ख)	68,45,69,605	79,11,32,666

नीचे प्रस्तुत तालिका दिनांक 31 मार्च 2018 को महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदागत परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करता है।

विवरण	31 मार्च 2018 को		
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष या अधिक
उधार	-	-	-
व्यापार प्राप्त	1,00,07,606	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	5,08,46,184	-	3,50,469
विवरण	31 मार्च 2017 को		
	एक वर्ष से कम		एक वर्ष से कम
उधार	-	-	-
व्यापार प्राप्त	4,58,00,000	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	72,92,738	-	-

56. अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य से संबंधित प्रमुख अनुमान, तथा अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत निम्नानुसार हैं, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों और देयताओं के वहन मूल्य को महत्वपूर्ण रूप से समायोजित करने के कारण व्यापक जोखिम हो सकता है।

क. उचित मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों का मापन डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इन विधियों के लिए इनपुट, जहां संभव हो, अवलोकनीय बाजारों से प्राप्त किया जाता है, किन्तु जहां यह व्यवहारिक नहीं है, उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए विवेक के स्तर की आवश्यकता होती है। निर्णयों में नकदी जोखिम, ऋण जोखिम तथा उतार-चढ़ाव जैसे इनपुटों पर विचार को शामिल किया जाता है। इन कारकों के संबंध में अनुमानों में परिवर्तन वित्तीय लिखतों के प्रस्तुत उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

ख. कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है कि यह संभावना हो कि करयोग्य लाभ उपलब्ध हो जिसके प्रति घाटों को उपयोग किया जा सके और आस्थगित कर परिसंपत्ति की राशि के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णयों की आवश्यकता है जिन्हें भरावी कर नियोजन नीतियों के साथ भावी करयोग्य लाभ के स्तर और संभावित समय के आधार पर स्वीकार किया जा सके।

57. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन
वित्तीय विवरणों को दिनांक 01 अगस्त 2018 को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति हेतु जारी किया गया है।

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
सीए तरुण अनिकेत खेत्रपाल	सी के नायर	सुरजीत दत्ता	एम के सिंह	
कपूर	सी.एफ.ओ	निदेशक	अध्यक्ष	
साझेदार		(डीआईएन-06687032)	(डीआईएन-06607392)	
स.सं.095949				

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 1 अगस्त.2018

संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड,
नई दिल्ली
के सदस्यों हेतु

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षण रिपोर्ट

हमने इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित), इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं।

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") की अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के परिणामस्वरूप इस रिपोर्ट को संशोधित किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दिनांक 01.08.2017 की हमारी पूर्ववर्ती रिपोर्ट को अधिक्रमित करती है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन के दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों, जो कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक), यथा संशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद-133, के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों (वित्तीय स्थिति), लाभ हानि (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह तथा इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और स्टैंडएलोन एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार अभिव्यक्ति करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों तथा उन विषयों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम और उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम के अनुच्छेद-143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस तथ्य का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरण तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में इंड एस वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक और स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के जोखिम पर निर्भर करता है। इन जोखिम आकलनों को करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी की स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की तैयारी और आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो सही और वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा तथा नीचे प्रस्तुत अन्य विषय पैराग्राफ में संदर्शित उनकी रिपोर्टों की दृष्टि से अन्य लेखापरीक्षकों से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा हमारे वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों उपर्युक्त स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना प्रदान करता है और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जो उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2018 को (कंपनी के कार्यकलापों) और इसके लाभ (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन) और इसके रोकड़ प्रवाह को दर्शाता है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की अनुच्छेद धारा 143 के उप अनुच्छेद-11 के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम **अनुबंध-क** के रूप में दे रहे हैं।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्रों को दर्शाते हुए निदेश जारी किए हैं, जिसके अनुपालन को **अनुबंध-ख** में शामिल किया गया है।
3. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :
 - (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं
 - (ख) हमारे मतानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।
 - (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ-हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
 - (घ) हमारे मतानुसार, उपयुक्त स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम-7 के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) से संगत हैं।
 - (ङ.) दिनांक **31 मार्च 2018** को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड पर लिए गए अनुसार, दिनांक **31 मार्च 2018** को कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।
 - (च) कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के उपर वित्तीय रिपोर्टिंग की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक कुशलता के संबंध में **अनुबंध-ग** में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

- (छ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:
- (i) कंपनी ने अपने स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है – **वित्तीय विवरण के नोट सं. 30 का संदर्भ लें;**
- (ii) कंपनी ने लागू नियमों के अनुसार प्रावधान किए हैं, और डेरिवेटिव संविदाओं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएं नहीं हैं जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण अप्रत्याशित घाटे हुए हैं।
- (iii) वर्ष के दौरान कंपनी के मामले में ऐसा कोई अवसर नहीं आया है जहां है निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में कोई राशि हस्तांतरित की गई हो। ऐसी राशि के अंतरण में विलंब का कोई प्रश्न नहीं उठता।

कृते कपूर गोयल एंड कंपनी पंजीकरण सं.:001370एन
सनदी लेखाकार

ह/-

सीए तरुण कपूर (साझेदार)

सदस्यता संख्या : 095949

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 26.08.2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध—क

दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016
(सीएआरओ 2016)

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड

(i) स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में

- (क) कम्पनी ने उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है जिनसे मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।
- (ख) हमें उल्लेख किए अनुसार, कंपनी की प्रकिया के अनुसार, युक्तिसंगत अंतराल पर चरणबद्ध सत्यापन कार्यक्रम में प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा किया जाने वाला नियमित सत्यापन उचित है। इस प्रकार के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पाई गई है।
- (ग) अचल परिसंपत्तियों का टाइटल डीड कंपनी के नाम पर है।

(ii) इन्वेंटरियों से संबंधित

हमें उल्लेख किए अनुसार, उपभोज्य और स्टेशनरी के इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान युक्तिसंगत अंतराल पर किया जाता है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुपालन

प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार कम्पनी अधिनियम की धारा-189 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में किसी कम्पनी, फर्म, लिमिटेड देयता साझेदारियों या अन्य पक्षों को किसी प्रकार का रक्षित या अरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए आदेश के पैरा 3 के खंड (iii) (क), (iii) (ख) तथा (iii) (ग) कम्पनी पर लागू नहीं होती।

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अंतर्गत अनुपालन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के अंतर्गत ऋण, निवेश, गारंटियों और प्रतिभूतियों के संबंध में प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

(v) जमाराशियों को स्वीकार करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 का अनुपालन

हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 तक तथा अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों, जहां लागू हो, के प्रावधानों या किसी अन्य संगत प्रावधानों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन में कोई जमाराशियां स्वीकार नहीं की हैं। कंपनी विधि बोर्ड या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य न्यायालय या अधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

(vi) हमें प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि, केन्द्रीय सरकार ने कंपनी के उत्पादों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-148 का उप अनुच्छेद (1) के अंतर्गत लागत रिकार्ड का अनुरक्षण निर्धारित नहीं किया गया है।

(vii) सांविधिक देय राशियों को जमा कराना

क) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, मूल्य संवर्धन कर, वस्तु एवं सेवाकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों के संबंध में लेखा बिहयों में कटौती की गई/संचित राशियों को सामान्य रूप से नियमित आधार पर कंपनी द्वारा सांविधिक प्राधिकरणों को जमा कराया गया है और देय होने की छह माह से अधिक की अवधि के लिए कोई भी बकाया राशि 31 मार्च 2019 को अविवादित देयों के रूप में शेष नहीं है, केवल 13159 रूपए श्रम उपकर को छोड़कर।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भविष्य निधि, आयकर बिक्रीकर, सम्पदाकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, मूल्य संवर्धन कर, वस्तु एवं सेवाकर, उपकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय के संबंध में नीचे उल्लिखित को छोड़कर इनके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए कोई अविवादित देय नहीं है :

बिंदु सं : 7(ख) का प्रकटन

निम्न से संबंधित	प्राधिकरण जहां लंबित है	आकलन वर्ष	विवादित राशि
आयकर अधिनियम, 1961, धारा 271(1)(ग) के अंतर्गत दंड	आय आयुक्त (अपील)	2014-15	5,14,41,170
आयकर अधिनियम, 1961, धारा 143(3) के अंतर्गत दंड	आय आयुक्त (अपील)	2015-16	10,13,00,840

viii) ऋणों और उधारों का पुनर्भुगतान

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों की देय राशियों के भुगतान में सिकी प्रकार की चूक नहीं की है। वर्ष के दौरान कंपनी का किसी वित्त संस्था, बैंक या डिबेंचर धारकों के प्रति कोई देय राशि लंबित नहीं है।

(ix) पब्लिक ऑफर या दीर्घकालीन ऋण द्वारा एकत्र धनराशि का उपयोग

कंपनी ने आरंभिक पब्लिक ऑफर या भावी पब्लिक ऑफर (ऋण लिखितों सहित) तथा दीर्घकालीन ऋणों के माध्यम से कोई धनराशि एकत्र नहीं की है। इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

(x) वर्ष के दौरान जालसाजी कर रिपोर्टिंग

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर वर्ष के दौरान कोई जालसाली नोटिस या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(xi) प्रबंधकीय पारिश्रमिक

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अधिनियम की अनुसूची-V के साथ पठित धारा-197 के प्रावधानों द्वारा अनिवार्य अपेक्षित अनुमोदनों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया है।

(xii) निवल स्वामित्व निधि व जमाराशियों के अनुपात के संबंध में निधि कंपनी द्वारा अनुपालन

हमारे पास उपलब्ध सूचना और रिकार्डों के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है।

(xiii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-177 तथा 188 के संबंध में संबंधित पक्ष अनुपालन

जी हां, संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी संव्यवहार अधिनियम के अनुच्छेद-177 तथा 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और उसका ब्यौरा लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित अनुसार, अपेक्षित ब्यौरों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv) शेयरों और डिबेंचरों के निजी प्लेसमेंट के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुच्छेद -42 के अंतर्गत अनुपालन

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी के शेयरों या परिवर्ती डिबेंचरों के निजी प्लेसमेंट का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन नहीं किया।

(xv) कंती अधिनियड, 2013 की अनुच्छेद-192 के अंतर्गत अनुपालन

हडें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंती के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंती ने निदेशकों या उनके संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई गैर-रोकड़ संव्यवहार नहीं किया है।

(xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियड, 1934 के अनुच्छेद -45-1क के अंतर्गत पंजीकरण की अपेक्षा

कंती को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियड, 1934 के अनुच्छेद-45-1क के अंतर्गत पंजीकरण की अपेक्षा नहीं है और तदनुसार, इस आदेश का पैरा 3 (xvi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंती पर लागू नहीं है।

कृते कपूर गोयल एंड कंती
(सनदी लेखाकार)
पंजीकरण सं.:001370एन

ह/-
सीए तरूण कपूर
(साझेदार)
सदस्यता संख्या : 095949

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.08.2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध-ख

दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इंड एस वित्तीय विवरणों पर इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड के सदस्यों की समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के शीर्षक "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत पैरा 2 में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं	निदेशक	हमारी रिपोर्ट
1.	क्या कंपनी के पास कमशः फ्रीहोल्ड और लीसहोल्ड भूमि के लिए क्लियर टाइट्टी/पट्टा विलेख हैं। यदि नहीं तो उस क्षेत्र का उल्लेख करें जहां फ्रीहोल्ड और लीसहोल्ड भूमि के लिए क्लियर टाइट्टी/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास लीसहोल्ड आधार पर भूमि उपलब्ध है और इसका क्लियर टाइट्टल उपलब्ध है।
2.	क्या कर्ज/ऋणों/ब्याज आदि को छोड़ने/बट्टा खाता डालने के कोई मामले हैं, यदि हां तो इसके कारण बताएं और इसमें कितनी राशि शामिल है।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कर्ज/ऋणों/ब्याज आदि को छोड़ने/बट्टा खाते पर डालने का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या तीसरे पक्षों के पास पड़ी इन्वेंटरियों और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त उपहार/अनुदान (अनुदानों) के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रिकार्ड रखा गया है।	कंपनी किसी इन्वेंटरी का अनुरक्षण नहीं करती है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को सरकार या अन्य प्राधिकरणों से कोई उपहार/अनुदान प्राप्त नहीं हुए हैं।

कृते कपूर गोयल एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
पंजीकरण सं.:001370एन

ह/-
सीए तरुण कपूर
(साझेदार)
सदस्यता संख्या : 095949

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.08.2018

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड की समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत पैरा 3(च) में संदर्भित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध-ग कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2018 को इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट ("दिशानिर्देश नोट")के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रवि याएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं – वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रवि याएं शामिल हैं जो (1)उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करते हैं, (2)युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3)कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के

लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

अर्हत मत

हमारे मतानुसार, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सभी सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2018 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

कृते कपूर गोयल एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)

पंजीकरण सं.:001370एन

ह/-

सीए तरुण कपूर
(साझेदार)

सदस्यता संख्या : 095949

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 26.08.2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद-143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद-143(10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.08.2019 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद-143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जो अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न प्रस्तुत करे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से
ह/0
(बी.आर.मंडल)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक,
रेलवे वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 12.09.2018

समाप्त
